शुक्रवार, 03 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(22 फरवरी, 2013 ई0)

खण्ड-483
अंक-06

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

आज की कार्य-सूची के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के अनुपूरक उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री हुकुम सिंह ने भाजपा के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।

आज की कार्य-सूची के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या-8 के अनुपूरक उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री बंशी सिंह पहाड़िया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।

आज दिनांक 22-02-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं, जो पढ़ी हुई मानी गयीं :-

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	इलाहाबाद में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत सेक्टर डी एवं सेक्टर सी के सभी मुहल्लों-गलियों में अविलम्ब सीवर लाइन बिछवाने के सम्बन्ध में।
2	श्री मुकुट बिहारी वर्मा	जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में स्थापित मुस्तफाबाद स्वास्थ्य केन्द्र में 63 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री विजय बहादुर यादव	जनपद गोरखपुर के ब्लाक खोराबार अन्तर्गत राप्ती नदी में चन्दा घाट पर स्थाई पुल का निर्माण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4	श्री राघव लखनपाल	जनपद सहारनपुर में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री संजय प्रताप जायसवाल	जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र रूदौली के सल्टौआ ब्लाक में अइला घाट पर निर्माणाधीन पुल के निर्माण कार्य को पुनः आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री राकेश बाबू	जनपद फिरोजाबाद के कतिपय मार्गों के अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री पूरन प्रकाश	जनपद मथुरा की कतिपय जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
8	श्री शारदा प्रताप शुक्ला	चौ0 चरण सिंह एयरपोर्ट अथॉरिटी लखनऊ द्वारा वहां के स्थानीय किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
9	श्री हुकुम सिंह	जनपद शामली के विकास खण्ड ऊन के गावों एवं मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री मदन गोपाल वर्मा	जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के ग्राम बसन्तखेड़ा व सुल्तानगढ़ के मध्य 133 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री जय प्रकाश निषाद	जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में शासन द्वारा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन का लाभ सभी लाभार्थियों को न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
12	श्री रामलाल अकेला	जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में 3 कि0मी0 लम्बे बाईपास का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री राम चन्द्र यादव	जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले रूदौली-नवाब बाजार सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री मदन चौहान	जनपद हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर तहसील में ओलावृष्टि से किसानों की फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

15 श्री उमेश पाण्डेय — जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य बिना टेंडर कराये, आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

आज नियम-300 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो अग्राह्य हुई।

विधान सभा द्वारा स्वीकृत नियम-301 की सूचनाओं का उत्तर समय पर न प्राप्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव ने औचित्य का प्रश्न उठाते हुये कहा कि नियम-301 में लगी उनकी सूचनाओं का जवाब 6 माह व्यतीत जाने के बाद भी प्राप्त नहीं हुआ है जोकि शासन की उदासीनता है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा इसे दिखवा लेंगे। श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

भा0द0प्र0 संहिता के सेक्शन 498 ए के तहत दहेज उत्पीड़न के अन्तर्गत निर्दोष महिलाओं एवं अबोध बच्चों के जेल में बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी ने औचित्य का प्रश्न उठाते हुये कहा कि दहेज उत्पीड़न में मृतक के हत्यारे को सजा देना उचित है लेकिन सेक्शन 498 ए के अन्तर्गत परिवार के अन्य सदस्य जिनके साथ अबोध बच्चे भी होते हैं, वे लम्बे समय तक जेल में निरुद्ध रहते हैं, इस प्रकार सेक्शन 498 ए का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि सेक्शन 498 ए के अन्तर्गत कार्यवाही के पूर्व जांच होनी चाहिये तभी दोषियों के प्रति कार्यवाही हो और इस पर सम्पूर्ण सदन को एक होना चाहिये। श्री अध्यक्ष ने कहा कि इस पर संकल्प लाकर, प्रस्ताव लाकर केन्द्र सरकार को भेजा जा सकता है। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2013-2014 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'' तथा ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :-

1-नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि तथा समय	गुरुवार, 28 फरवरी, 2013 को अपराह्न 4.00 बजे तक
2-नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	सोमवार, 04 मार्च, 2013 को अपराह्न 3.00 बजे (प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय-कक्ष में)
3-नामों की वापसी की तिथि तथा समय	गुरुवार, 07 मार्च, 2013 को समय अपराह्न 4.00 बजे तक

4-निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान	
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति के लिये	गुरुवार, 14 मार्च, 2013
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिये	

विधान भवन, लखनऊ स्थित समिति कक्ष संख्या 44-ख में पूर्वाह्न 10.30 बजे से 4.00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

इसी मध्य श्री हुकुम सिंह ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुये कहा कि जब बैठकें नहीं होती हैं तो ऐसी समितियों के गठन का कोई औचित्य नहीं है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियमों में प्राविधान है कि समितियां गठित की जायं और मंत्रिगण इनसे परामर्श लेंगे। उन्होंने शासन से भी अनुरोध किया कि जो समितियां हैं तो मंत्रिगण उनसे परामर्श लेकर कार्य करें। संसदीय कार्य मंत्री ने भी अपेक्षा की कि बैठकें होनी चाहिये और इसके लिये प्रयास होगा।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री अध्यक्ष की अनुज्ञा से प्रस्ताव किया कि-

''यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2013-2014 की ''लोक लेखा समिति,'' ''प्राक्कलन समिति,'' ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति,'' ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति,'' तथा ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति'' और ''मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों'' में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2013-2014 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे

कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल-17 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य हुईं।

लखनऊ के आलमबाग में दिनांक 21-2-2013 को मुथुट फाइनेन्स कम्पनी में बदमाशों द्वारा लूट-पाट किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश के अन्य जिलों में भी हो रही हैं। उन्होंने सरकार से ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु सख्त कदम उठाने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा उन्हें सूचना प्राप्त नहीं हुई है फिर भी सरकार प्रकरण को गम्भीरता से लेगी और सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। श्री अध्यक्ष ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो सूचना न देने वालों को तलब भी किया जायेगा। सूचना अग्राह्य हुई।

प्रदेश में गन्ना कृषकों के साथ गन्ना क्रय केन्द्रों पर की जा रही मनमानी व शुगर मिल के बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भैया ने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि गन्ने की घटतौली एवं गन्ना का पूरा मूल्य न मिलने से किसान बेहाल हैं उन्होंने इस पर चर्चा कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा इसे दिखवा लेंगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि इस पर वक्तव्य दिलवा देंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं फिर भी दिखवा लिया जायेगा। वक्तव्य की अभी जरूरत नहीं है। नेता विरोधी दल ने प्रकरण को संवेदनशील बताते हुए इस पर चर्चा कराने या वक्तव्य दिलाये जाने की मांग की। तदुपरान्त सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुये उन्होंने अपने दल सहित सदन का त्याग किया। श्री तेजपाल सिंह ने भी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मथुरा की शुगर मिल बन्द होने के कारण किसान आन्दोलित है जिसे तुरन्त चालू कराये जाने की मांग की। श्री दलवीर सिंह ने भी विचार व्यक्त करते हुये मथुरा शुगर मिल तथा अलीगढ़ शुगर मिल चालू कराये जाने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि श्री अध्यक्ष के कक्ष में मुख्य मंत्री जी के साथ उस पर निर्णय ले लिया जायेगा।

इसी मध्य नेता विरोधी दल ने संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपने ऊपर किये गये आक्षेप की प्रतिक्रिया स्वरूप संसदीय कार्य मंत्री के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जिससे सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने के कारण सदन में व्यवधान होने लगा।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आपत्ति किये जाने पर श्री अध्यक्ष ने नेता विरोधी दल द्वारा प्रयोग किये गये आपत्तिजनक अंशों को कार्यवाही से निकाल दिये जाने के निर्देश दिये।

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा नेता प्रतिपक्ष को अपने आचरण को शालीन रखने के लिये कहने पर नेता विरोधी दल सरकार पर सत्ता बल का दुरुपयोग लगाते हुये अपने दल सहित आज दिन भर के लिये सदन का त्याग करके चले गये।

श्री प्रमोद तिवारी ने उक्त घटनाक्रम पर अपने विचार व्यक्त करते हुय कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर नेता सदन के जवाब के समय नेता प्रतिपक्ष एवं पूरे सदन की उपस्थिति होनी चाहिए जिससे कि नेता प्रतिपक्ष के प्रश्न का जवाब नेता सदन दे सकें। उन्होंने सदन को संसदीय परम्पराओं से चलाये जाने का अनुरोध करते हुये सुझाव दिया कि नेता प्रतिपक्ष को मा0 अध्यक्ष अपने कक्ष में बुला कर वार्ता कर लें ताकि भविष्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग वह न करें।

प्रदेश में बिजली की आपूर्ति रोस्टर के अनुसार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री प्रमोद तिवारी की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचना को अग्राह्य किया।

कानपुर महानगर के चिड़िया घर में काले हिरणों की मौत से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री सलिल विश्नोई की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचना को अग्राह्य किया।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी जनपदों में कर्ज माफी व किसानों को सूखा राहत व बेरोजगारी की समस्या से परेशान होकर किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री दलजीत सिंह की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में बलात्कार व अपहरण की घटनाओं में निरन्तर बढ़ोत्तरी से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री हुकुम सिंह ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को रोका जाना नितान्त आवश्यक है इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि मोबाइल मजिस्ट्रेट की व्यवस्था हो जिससे तुरन्त बयान लेकर निर्णय हो जाये या ऐसे प्रकरण के त्वरित निस्तारण हेतु श्री अध्यक्ष के कक्ष में चर्चा हो जाय संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि नेता सदन अभी अपने भाषण में इस सम्बन्ध में चर्चा कर लेंगे। सूचना अग्राह्य की गई।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शासनादेशों के विपरीत मनमाने तरीके से उप विभाजन शुल्क लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये सूचना को अग्राह्य किया।

उ0प्र0 में मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित मानदेय की सीमा न बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री संजय कपूर की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री अध्यक्ष ने शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये सूचना को अग्राह्य किया।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2013 को प्रस्तुत निम्नलिखित धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा सुश्री सावित्री बाई फूले के भाषण से पुनः आरम्भ हुई।

''यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 14 फरवरी, 2013 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

डा0 संग्राम यादव
श्री गयादीन अनुरागी
श्रीमती इन्द्राणी देवी

मुख्य मंत्री ने भी चर्चा में भाग लिया।

इसी मध्य श्री उपेन्द्र तिवारी द्वारा यह कहे जाने पर कि मा0 मंत्री के कहने पर श्री अध्यक्ष द्वारा उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा यह आरोप निराधार है, यह पीठ पर आरोप है, यदि इसी तरह का आरोप लगाया जाता रहा तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा ने उत्तर भाषण दिया।

तदुपरान्त नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अन्य सदस्यों के संशोधन भी अस्वीकृत हुए माने गये। प्रो0 शिवाकान्त ओझा द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद का प्रस्ताव मूलरूप में स्वीकृत हुआ।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा मा0 सदस्य के अनुपस्थित रहने पर व्यपगत हुई :-

> ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में लागू जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना को प्रदेश की छावनी परिषदों में भी लागू किया जाय।''

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा', सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा उनके भाषण के ही मध्य आगे के लिए स्थगित हुई :-

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किया जाय।''

श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर जारी चर्चा उनके भाषण के ही मध्य आगे के लिए स्थगित हुई :-

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के महानगरों के उपनगरीय क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उपनगरीय क्षेत्र के निवासियों को भी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करायी जायं।''

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा निम्नलिखित संकल्प मा0 सदस्य की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत नहीं हुआ, जो व्यपगत माना गया :-

''इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के गरीब व मध्यम वर्ग के रोगियों की जीवन रक्षा के लिये मण्डल स्तर पर 'एम्स' के समान सुविधायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से करे।''

ठा0 सूरजपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा निम्नलिखित संकल्प के प्रस्तुतीकरण की मद मा0 सदस्य के अनुरोध पर आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में खारे पानी की समस्या के निराकरण हेतु पेयजल की उपलब्धता के लिए पाइप वाटर सप्लाई योजना लागू की जाय।''

डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा निम्नलिखित संकल्प के प्रस्तुतीकरण की मद मा0 सदस्य के अनुरोध पर आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-आगरा की पेयजल समस्या के समाधान हेतु सिंचाई विभाग द्वारा गंगा नदी का जल बल्देव रजबहा एवं पचावर ड्रेन के माध्यम से गोकुल बैराज के डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जाय।''

श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया तथा चर्चा उनके भाषण के ही मध्य आगे के लिए स्थगित हुई :-

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि शासन की 'हमारी बेटी, उसका कल' योजनान्तर्गत प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) के परिवार की प्रत्येक बालिका को रु0 30,000/-की धनराशि प्रदान की जाय।''

डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 15 जून, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्तावों पर अग्रतर जारी चर्चा मा0 सदस्य के अनुरोध पर आगे के लिए स्थगित हुई :-

(1) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर में यातायात की सुगमता हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाय।''

(2) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाय।''

(3) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर के ऐतिहासिक महत्ता के दृष्टिगत आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने के लिये प्रभावी कार्रवाई की जाय।''

आज दिनांक 22-02-2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 54 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1-श्री पंकज कुमार मलिक	नवसृजित जनपद शामली में वकीलों के लिए चैम्बरों की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।
2-श्री सुरेश राणा	जनपद-शामली के थाना भवन में सहारनपुर-दिल्ली राजमार्ग के निकट जनता धर्मशाला की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को रोके जाने के सम्बन्ध में।
3-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्या	प्रदेश में मा0 कांशीराम शहरी आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये भवनों पर अध्यासियों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, तथा
4-श्री इन्द्रजीत सरोज	जनपद कौशाम्बी के यमुना नदी के जोगापुर के पम्प कैनाल परियोजना के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1-श्री रामचन्द्र यादव	जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत गोमती नदी के सत्थिन घाट पर निर्माणाधीन सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
2-डा0 अरुण कुमार	जनपद-बरेली के कतिपय ध्वस्त हो चुके जर्जर मार्गों एवं जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।
3-श्री पूरन प्रकाश	जनपद-मथुरा की मुख्य सड़क, मथुरा से सादाबाद जाने वाले मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
4-श्री संजय कपूर	जनपद-रामपुर के टाउन एरिया केमरी में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।
5-श्री प्रदीप माथुर	माननीय विधायकों के विवेकाधीन कोष से पूर्व की भांति शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगवाये जाने की व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में।
6-श्री ललितेशपति त्रिपाठी	जनपद-मिर्जापुर के जिला सहकारी बैंक लि0 के चुनाव में मतदाता सूचियों से कतिपय सहकारी समितियों के नाम हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
7-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य	जनपद कौशाम्बी के लेहदरी घाट में गंगा जी पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में।

8–श्री राकेश बाबू	जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा टूण्डला में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत कराये गये ग्रामों में विद्युतीकरण के कार्य को ठेकेदार द्वारा अधूरा कार्य छोड़ देने से उत्पन्न जनता की समस्या के सम्बन्ध में, तथा
9–श्री अजय कुमार 'लल्लू'	जनपद कुशीनगर के निर्वाचन क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत द यूनाइटेड शुगर कम्पनी सेवरही किसानों को गन्ने बकाये का तत्काल भुगतान एवं पर्ची अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

1–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी	जनपद बुलन्दशहर की वेब चीनी मिल द्वारा किसानों का गन्ना न खरीदे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2–श्री मदन चौहान	जनपद गौतमबुद्ध नगर नोएडा में हड़ताल के दौरान हुई गम्भीर घटनाओं में निर्दोष लोगों को जेल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3–श्री जय प्रकाश निषाद	जनपद गोरखपुर के वि0 ख0 सरदारनगर के अन्तर्गत सरैया शुगर मिल प्रा0 लि0 द्वारा गन्ना किसानों के बकाया धनराशि का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4–श्री रमेश चन्द्र	जनपद मिर्जापुर के वि0 स0 क्षेत्र मंझवा के अन्तर्गत टाउन एरिया कछवां में मात्र 4-5 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5–श्री दीपक पटेल	विधान सभा क्षेत्र करछना इलाहाबाद के ग्राम तेंदुआवन में प्रजापति, यादव व आदिवासी जाति के लोगों को स्थानीय दबंगों द्वारा परेशान किये जाने के सम्बन्ध में।
6–श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भईया	जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम चन्द्रासाकला, परगना फिरोजाबाद, तहसील धौरहरा द्वारा किये गये भूमि आवंटन प्रस्ताव की पत्रावली के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।
7–श्री गेंदालाल चौधरी	जनपद-हाथरस (महामायानगर) में अलीगढ़-आगरा रोड पर फ्लाई ओवर बनाये जाने के सम्बन्ध में।
8–श्री बब्बन	जनपद चन्दौली में मिनी स्टेडियम खोले जाने के सम्बन्ध में, तथा
9–श्री राधेश्याम	जनपद सुल्तानपुर में स्थापित पानी के टंकी से तत्काल पानी की सप्लाई कराये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में गन्ना आयुक्त द्वारा स्वीकृत मौजमपुर व सादुल्लापुर में गन्ना क्रय केन्द्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत गन्ना विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शामली अन्तर्गत श्री रामेन्द्र पुत्र श्री अमन सिंह की हत्या करने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में रोडवेज का बस अड्डा बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत परिवहन मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया स्थित सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन से गोपालनगर तक जाने वाले मार्ग पर बने जर्जर पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश अंचल द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत ग्रामों में पेयजल की समस्या को देखते हुये गहरी बोरिंग वाले इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द बिन्द द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य मा0 सदस्य के अनुपस्थित रहने पर व्यपगत हुआ।

जनपद वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल अनापूर्ति तथा दूषित जलापूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य मा0 सदस्य के अनुपस्थित रहने पर व्यपगत हुआ।

जनपद आगरा के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के खराब पड़े टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट योजना के अन्तर्गत टंकियों की मरम्मत कराकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य मा0 मंत्री के लिखित अनुरोध पर आगे के लिए स्थगित हुआ।

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज में सई नदी पर पथरिया रोहाड़ा घाट एवं गुलरिया घाट (उछापुर) पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी

द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य मा0 सदस्य के अनुपस्थित रहने पर व्यपगत हुआ।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के सीमावर्ती क्षेत्र भाण्डेर रोड से खजूरी तक के सम्पर्क मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य मा0 सदस्य के अनुपस्थित रहने पर व्यपगत हुआ।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन अपराह्न 02 बजकर 57 मिनट पर मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2013 के दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

खण्ड–483, अंक–6
शुक्रवार, 03 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(22 फरवरी, 2013 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2013)

(खण्ड 483 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2013

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-47
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	47-48
इलाहाबाद में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण के अन्तर्गत सेक्टर डी एवं सेक्टर सी के सभी मुहल्लों-गलियों में अविलम्ब सीवर लाइन बिछवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48-49
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में स्थापित मुस्तफाबाद स्वास्थ्य केन्द्र में 63 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	49
जनपद गोरखपुर के ब्लाक टवोरा बार अन्तर्गत राप्ती नदी में चन्दा घाट पर स्थाई पुल का निर्माण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49-50
जनपद सहारनपुर में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	50
जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र रुदौली के सल्टौआ ब्लाक में अइला घाट पर निर्माणाधीन पुल के निर्माण कार्य को पुनः आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	51
जनपद फिरोजाबाद के कतिपय मार्गों के अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51-52
जनपद मथुरा की कतिपय जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	52
चौ0 चरण सिंह एयरपोर्ट अथॉरिटी लखनऊ द्वारा वहां के स्थानीय किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	52-53
जनपद शामली के विकास खण्ड ऊन के गांवों एवं मजरों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के ग्राम बसन्तखेड़ा व सुल्तानगढ़ के मध्य 133 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53-54

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में शासन द्वारा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन का लाभ सभी लाभार्थियों को न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	54
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में 3 कि0मी0 लम्बे बाईपास का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	54
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले रुदौली-नवाब बाजार सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54-55
जनपद हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर तहसील में ओलावृष्टि से किसानों की फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	55
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य बिना टेंडर कराये, आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	56
विधान सभा द्वारा स्वीकृत नियम-301 की सूचनाओं का उत्तर समय पर न प्राप्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	56
भा0दं0वि0 संहिता के सेक्शन 498ए के तहत दहेज उत्पीड़न के अन्तर्गत निर्दोष महिलाओं एवं अबोध बच्चों के जेल में बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	57-58
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2013-2014 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारण की सूचना...	58-59
मा0 मंत्रियों को परामर्श देने वाली समिति की बैठकें न होने के कारण इनके गठन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	59-60
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2013-2014 की 'लोक लेखा समिति', 'प्राक्कलन समिति', 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति', 'सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति' तथा 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियों में सदस्यता के लिये विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	61

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	62-78
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत)	78-100
यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में लागू जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना को प्रदेश के छावनी परिषदों में भी लागू किये जाने विषयक संकल्प पर जारी चर्चा (व्यपगत)	100
जनपद वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जलमल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किये जाने विषयक संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन	101
प्रदेश के महानगरों के उपनगरीय क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उपनगरीय क्षेत्र के निवासियों को भी मूलभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने विषयक संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन... ...	101-102
प्रदेश के गरीब व मध्यम वर्ग के रोगियों की जीवन रक्षा के लिये मण्डल स्तर पर एम्स के समान सुविधायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना प्रदेश सरकार द्वारा अपने संसाधनों से करने विषयक संकल्प (व्यपगत)	102
102जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में खारे पानी की समस्या 102के निराकरण हेतु पेयजल की उपलब्धता के लिये पाइप वाटर सप्लाई योजना लागू करने विषयक संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन ...	102
जनपद आगरा की पेयजल समस्या के समाधान हेतु सिंचाई विभाग द्वारा गंगा नदी का जल बल्देव रजबहा एवं पचावर ड्रेन के माध्यम से गोकुल बैराज के डाउन स्ट्रीम में छोड़े जाने विषयक संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन ...	102
'शासन की हमारी बेटी, उसका कल' योजनान्तर्गत प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) के परिवार की प्रत्येक बालिका को रु0 30,000/- की धनराशि प्रदान करने विषयक संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन ...	102
जनपद आगरा महानगर में यातायात की सुगमता हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही, जनपद आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई, जनपद आगरा महानगर के ऐतिहासिक महत्ता के दृष्टिगत आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने के लिये प्रभावी कार्रवाई करने विषयक डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को नियम-301 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों पर जारी चर्चा का स्थगन	103
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	103-105

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गन्ना आयुक्त द्वारा स्वीकृत मौजमपुर व सादुल्लापुर में गन्ना क्रय केन्द्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	105-106
जनपद शामली अन्तर्गत श्री रामेन्द्र पुत्र श्री अमन सिंह की हत्या करने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	106-108
जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में रोडवेज का बस अड्डा बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य	108-109
जनपद बलिया स्थित सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन से गोपालनगर तक जाने वाले मार्ग पर बने जर्जर पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश अंचल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	109-110
जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत ग्रामों में पेयजल की समस्या को देखते हुए गहरी बोरिंग वाले इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)...	110
जनपद वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल अनापूर्ति तथा दूषित जलापूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	110-111
जनपद आगरा के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के खराब पड़े टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट योजना के अन्तर्गत टंकियों की मरम्मत कराकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन ...	111
जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज में सई नदी पर पथरिया रोहाड़ा घाट एवं गुलरिया घाट (उद्धापुर) पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	111

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के सीमावर्ती क्षेत्र भाण्डेर रोड से खजूरी तक के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)...	111

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2013

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-313

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
8. अजीमुलहक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
9. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
12. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
14. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
15. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
16. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
17. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
18. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
19. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
20. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
21. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
22. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
25. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
26. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
27. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
28. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
29. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
30. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
31. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
32. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
33. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
34. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
35. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
36. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
37. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
38. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
39. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
40. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
41. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
42. आशीष यादव, श्री — बदायूं
43. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
44. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
45. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
46. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
47. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
48. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
49. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी

50. उदयराज, श्री उन्नाव
51. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
52. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
53. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
54. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
55. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
56. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
57. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
58. काली चरन सुमन, श्री आगरा
59. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
60. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
61. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
62. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
63. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
64. कैलाश, श्री गाजीपुर
65. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
66. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
67. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
68. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
69. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
70. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
71. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
72. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
73. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
74. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
75. गोमती यादव, श्री लखनऊ
76. गोरख पासवान, श्री बलिया
77. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
78. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
79. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
80. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
81. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
82. जगपाल, श्री सहारनपुर
83. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
84. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
85. जफर आलम, श्री अलीगढ़
86. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
87. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
88. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
89. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
90. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
91. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
92. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
93. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
94. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
95. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
96. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
97. दलजीत सिंह, श्री बांदा
98. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
99. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
100. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
101. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
102. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
103. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
104. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
105. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
106. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
107. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
108. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
109. धर्मराज, श्री बाराबंकी
110. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर

111. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
112. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
113. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
114. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
115. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
116. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
117. नारद राय, श्री बलिया
118. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
119. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
120. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
121. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
122. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
123. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
124. पीतमराम, श्री पीलीभीत
125. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
126. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
127. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
128. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
129. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
130. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
131. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
132. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
133. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
134. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
135. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
136. फेरन लाल, श्री ललितपुर
137. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
138. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
139. बदलू खां, श्री उन्नाव
140. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
141. बाबूलाल, श्री गोण्डा
142. बावन सिंह, श्री गोण्डा
143. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
144. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
145. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
146. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
147. बैजनाथ, श्री मऊ
148. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
149. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
150. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
151. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
152. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
153. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
154. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
155. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
156. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
157. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
158. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
159. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
160. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
161. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
162. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
163. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
164. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
165. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
166. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
167. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
168. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
169. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
170. मुन्नीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
171. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
172. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
173. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
174. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
175. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर

176. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
177. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
178. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
179. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
180. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
181. यासर शाह, श्री बहराइच
182. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
183. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
184. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
185. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
186. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
187. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
188. रणजीत सुमन, श्री एटा
189. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
190. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
191. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
192. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
193. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
194. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
195. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
196. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
197. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
198. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
199. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
200. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
201. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
202. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
203. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
204. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
205. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
206. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
207. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
208. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
209. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
210. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
211. राम करन आर्य, श्री बस्ती
212. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
213. राम गोविन्द, श्री बलिया
214. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
215. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
216. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
217. राम मगन, श्री बाराबंकी
218. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
219. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
220. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
221. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
222. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
223. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
224. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
225. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
226. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
227. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
228. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
229. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
230. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
231. ललितेशपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
232. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
233. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
234. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
235. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
236. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
237. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
238. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद

239. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
240. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
241. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
242. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
243. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
244. विजय सिंह, श्री रामपुर
245. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
246. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
247. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
248. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
249. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
250. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
251. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
252. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
253. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
254. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
255. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
256. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
257. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
258. शाकिर अली, श्री देवरिया
259. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
260. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
261. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
262. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
263. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
264. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
265. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
266. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
267. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
268. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
269. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
270. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
271. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
272. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
273. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
274. संजय कपूर, श्री रामपुर
275. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
276. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
277. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
278. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
279. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
280. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
281. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
282. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
283. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
284. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
285. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
286. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
287. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
288. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
289. सियाराम सागर, डा0 बरेली
290. सीमा, श्रीमती जौनपुर
291. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
292. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
293. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
294. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
295. सुधाकर, श्री मऊ
296. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
297. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
298. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
299. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
300. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली

301.	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	
302.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	
303.	सुरेश बंसल, श्री	गाजियाबाद	
304.	सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा	
305.	सैय्यद कासिम हसन, श्री	फतेहपुर	
306.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर	
307.	सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	
308.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर	
309.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी	
310.	हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद	
311.	हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर	
312.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत	
313.	हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत	

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा कारागार मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन एवं उपयोग पर प्रोत्साहन राशि अथवा सब्सिडी देने की जानकारी

*1-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऊर्जा की मांग के सापेक्ष आपूर्ति में अन्तर को देखते हुए सरकार का वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन हेतु सौर ऊर्जा एवं बायोगैस आधारित ऊर्जा उत्पादन स्रोतों के प्रोत्साहन हेतु कोई कार्य योजना भारत सरकार को भेजी गई है या भेजे जाने का प्रस्ताव है ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन एवं उपयोग पर प्रोत्साहन राशि अथवा सब्सिडी देने का कोई प्राविधान करेगी ? क्या सरकार की वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्र बनाकर उसकी ऊर्जा को ऊर्जा ग्रिड में समायोजन की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विजय कुमार मिश्र)-

जी हां।

भारत सरकार की वैकल्पिक ऊर्जा की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में केन्द्रीय सहायता हेतु निम्न परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं :-

(1) ग्रामों में मार्ग प्रकाश हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अन्तर्गत 32473 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराये जाने के प्रस्ताव।

(2) ऐसे अविद्युतीकृत ग्रामों, जिनका पारस्परिक विद्युत ग्रिड से विद्युतीकरण किया जाना संभव नहीं है। उनमें **रिमोट ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम** के अन्तर्गत प्रदेश के 300 से अधिक आबादी एवं 3 कि0मी0 ग्रिड से दूर के 61 मजरों एवं 100 से कम आबादी के 161 मजरों के प्रस्ताव।

(3) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामवासियों को प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने के दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 231 मिनी ग्रिड संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव।

(4) **बायोगैस पर आधारित विद्युत उत्पादन कार्यक्रम** (बी0पी0जी0पी0) के अन्तर्गत 3 कि0वा0 से 250 कि0वा0 क्षमता के संयंत्रों पर अनुमन्य रु0 40000 से 30000 प्रति कि0वाट तक परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार को केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं।

रिमोट ग्राम विद्युतीकरण, सोलर स्ट्रीट लाइट एवं मिनी ग्रिड सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी पूर्व से दी जा रही है।

जी हां। ऊर्जा ग्रिड से समायोजित लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निजी क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की नीति पूर्व से ही लागू है। सौर ऊर्जा की ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति-2013 जारी की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि तारांकित प्रश्न पर आपने मुझे अनुपूरक रखने का अवसर प्रदान किया। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि ऐसे अविद्युतीकृत ग्राम जिनकी दूरी ग्रिड से 3 कि0मी0 दूर एवं आबादी 300 से अधिक है, के 61 मजरों एवं 100 से कम आबादी के 161 मजरों का प्रस्ताव, रिमोट ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार को भेजा गया है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतने विशालतम प्रदेश में मात्र 61 मजरे एवं 161 मजरे, इतने तो शायद उत्तर प्रदेश के एक ब्लाक में ही अविद्युतीकृत ग्राम होंगे। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं और दूसरी तरफ एक बात और कहना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 300 से अधिक आबादी और 100 से कम आबादी, बात बीच की है कि 300 से अधिक आबादी के लोगों को भी आपने कहा, 100 से कम आबादी की ग्राम पंचायतों को भी कहा लेकिन वे मजरे कहां चले गये जिनकी आबादी 300 से कम थी या 100 से अधिक।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न पूछो न।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो विद्युतीकरण से वंचित ग्राम हैं, क्या इनके समूचे उत्तर प्रदेश की पुनः समीक्षा करायी जायेगी और इनका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जायेगा और कब तक भेजा जायेगा ?

श्री विजय कुमार मिश्र-

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा जितने ऐसे और ग्राम बचे हुए हैं उनका सर्वे कराने के लिये कहा गया है और उनका प्रस्ताव भेजा जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, बिजली सिर्फ देश की समस्या नहीं है। आज सारी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है और जो रास्ता दिखाया गया है। मान्यवर, बिना वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के, वैकल्पिक ऊर्जा के संभव नहीं है। कोयला खत्म हो रहा है, मंहगा हो रहा है। गैस खत्म हो रही है, मंहगी हो रही है तो मान्यवर, हर हालत में ऊर्जा के क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा ही एक मात्र विकल्प रह गया है। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस सन्दर्भ में प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा की कोई नीति बनायी है जो 2013 में आ सके क्योंकि मान्यवर, बिना नीति बनाये टुकड़ों में कुछ कर देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिये व्यापक नीति

की आवश्यकता होगी। यदि बन गयी है तो वह क्या है और यदि नहीं बनी है तो वह कब तक बन जायेगी ?

श्री विजय कुमार मिश्र-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और भविष्य में जो पारम्परिक ऊर्जा के स्रोत हैं, वह सीमित होंगे। पानी का, नदियों का संकट आप देख रहे हैं, कोयले का भी भविष्य में संकट उत्पन्न होना है। इसलिए भविष्य में वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बनने जा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार लोकप्रिय मुख्य मंत्री मा0 अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सौर ऊर्जा नीति 2013 लागू की है। 2013 आगरा के सम्मिट में मा0 मुख्य मंत्री जी ने लागू किया था अगर कहें तो हम पढ़कर सुना दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

यह बहुत बड़ा है इसकी प्रति लगवा दें।

श्री विजय कुमार मिश्र-

या हम इसकी प्रति आपको उपलब्ध करवा दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

अगर आपको लगता है कि इसमें एक या दो प्वाइंट ऐसे हैं जो बताना चाहिए तो बता दें। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप पहली बार बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, इसलिए बता दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वर्ष 2013-14 में क्या लक्ष्य रखा गया था ?

श्री विजय कुमार मिश्र-

वर्ष 2016-17 तक हम लोगों ने 500 मेगावाट उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है। इस साल हम लोगों ने 20 मेगावाट का लक्ष्य रखा था जो लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, तीन जगहों पर। अगले वित्तीय वर्ष में 200 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है और 2016-17 तक 500 मेगावाट तक का लक्ष्य रखा गया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह प्रश्न वैकल्पिक ऊर्जा से सम्बधित है और वैकल्पिक ऊर्जा में सिर्फ सोलर इनर्जी नहीं आती है। इस बात को हम लोग लगातार कहते चले आ रहे हैं। नगर निगमों में बायो डिग्रेडेबल जो कूड़ा निकलता है उसका उपयोग करके हम लोग सारे के सारे नगर की स्ट्रीट लाइटिंग कर सकते हैं जो कि वैकल्पिक ऊर्जा के एक क्षेत्र में आता है। वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग करके हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जो पम्प चलते हैं उनको एनराइज कर सकते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करके हमारे खेत में जितना कबाड़ बचता है बायोगैस, हम उससे गैस बना सकते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा से हम घरेलू ढेर सारे उपकरण चला सकते हैं। आपने जो बताया, वह सिर्फ ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में बताया। क्या सिर्फ इतने मात्र से प्रदेश की वैकल्पिक ऊर्जा की विकास की समस्याएं समाप्त हो जायेंगी या अन्य क्षेत्रों में भी सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

श्री विजय कुमार मिश्र-

वैकल्पिक ऊर्जा में जो बायोगैस पर आधारित है इस पर भी योजना चल रही है और जो एक महत्वपूर्ण योजना कृषि विभाग के माध्यम से चला रहे हैं वहां गांवों में जो 2 किलोवाट के पम्प हैं उसको भी सोलर के माध्यम से चलाने के लिये हम लोग कृषि विभाग के माध्यम से कार्यवाही कर रहे हैं और उसमें काम शुरू होने जा रहा है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 अध्यक्ष जी, कूड़ा बहुत काम की चीज है और पिछली सरकार ने कूड़े से काम लेना चाहा था और करार भी हुआ जो करार हुआ वह यह था कि कूड़े के जो कारखाने लगेंगे, उनसे बिजली बनेगी लेकिन बिजली बनाने के बजाय बड़े-बड़े कारखाने कोई 2 किलो खाद बना रहा है और कोई ढाई किलो खाद बना रहा है और वह तर्जुबा तकरीबन नाकामयाब हो गया। लखनऊ में तत्कालीन मा0 प्रधान मंत्री जी ने कूड़े का एक बहुत बड़ा कारखाना लगवाया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन क्योंकि उस वक्त तकनीक बहुत एडवांस नहीं थी। लेकिन एक कोशिश थी, उनकी तरफ से वह भी वाइएबिल नहीं हो सका और नहीं चल सका। पिछली सरकार ने भी कोशिश की लेकिन इनकी कोशिश में क्योंकि नीयत अच्छी नहीं थी, लिहाजा कुछ ऐसे लोगों ने काम किया जो ए टू जेड नाकाम रहे। अब फिर एक कोशिश हो रही है। दरअसल पिछली सरकार से शिकायत यह है कि जो कन्डीशन्स तय हुई थी अगर उन कन्डीशन्स पर वे लोग पूरे नहीं उतरे थे तो करार खारिज हो जाना चाहिए था। उन लोगों ने ऐसा नहीं किया और नगर निगम बहुत कर्जे का शिकार हो गया और बहुत बड़ा बोझ उनके ऊपर आ गया। श्रीमन्, रोज हाई कोर्ट के चक्कर हमारे अधिकारी लगाते हैं। उनको नोटिसें आती हैं वहां से, वह पैसा मांगते हैं, सरकार की हैसियत नहीं है देने की। कूड़ा बहुत तादाद में है। कूड़ा दो तरफ का होता है। विदेश में हम जब गये थे हमने देखा था कि वहां बड़े-बड़े कूड़ा रखने के खुले मैदान हैं। मान्यवर, उनका डिमॉन्सट्रेशन भी हुआ था। मान्यवर, जब कूड़ा बहुत बड़ी तादात में एकत्र हो जाता है तो फिर उसे कम्प्रेस करके बारिस वगैरा से खाद बनाने के लिये छोड़ दिया जाता है। वहां पालीथीन लगाकर उस पर कूड़ा एकत्रित किया जाता है। उसमें यदि एक बूंद भी गन्दा पानी चला जाता है नीचे जमीन में तो वह अगर हम पियेंगे तो वह बीमारी उत्पन्न करता है। प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसके बिल्कुल बरकस, हमारे यहां जो कूड़ा होता है वह शहरों में होता है, नदी के किनारे उसे छोड़ दिया जाता है। आप मुरादाबाद जायेंगे तो देखेंगे कोसी और गंगा दोनों के किनारे बेशुमार कूड़ा है, वहां कूड़ा डालने की जगह नहीं है। सड़कों के किनारे आप देखेंगे कि ओवरहेड टैंक बनाये गये हैं या लगे हुए हैं। कूड़ा जब एकत्रित होता है तो वह यह कोशिश करते हैं कि बारिश का पानी नीचे न जाने पाये। हमारे यहां इतने संसाधन नहीं थे। हां अब इसमें कोशिश की जा रही है, मैं भी लगा हुआ हूं कि इस पर काम हो। यह बहुत बड़ी चीज है कूड़ा बेशुमार है, जब छोटे देश अपने यहां उसका कारखाना लगा सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं तो हमें भी कोशिश करनी होगी। हमारा बहुत बड़ा देश है। मान्यवर, अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष इसका डिमान्सट्रेशन भी हुआ है। सोलर इनर्जी बनाने के लिये डिमान्सट्रेशन भी हुआ है। एक निजी कम्पनी आगे आई भी है। कूड़े से बिजली बने इसके दो फायदे हैं एक तो कूड़ा उठने लगेगा। जमीन बचेगी और जमीन के अन्दर जाने वाला जहर बचेगा। लोहा, ईंट, रोड़ी और पत्थर है वह सब थ्रिल करके अलग निकाल देते हैं। एक जिससे

बिजली बनती है वह कूड़ा है। मान्यवर, जमर्नी की एक कम्पनी का भी डिमान्सट्रेशन हुआ है उन्होंने जो दिखाया है उसमें कोशिश कर रहे हैं, कि उनके खर्चे पर उन्होंने इनवाइट भी किया है जाकर देखा जाए। हमारे अधिकारी उनके खर्चे पर वहां जायेंगे और उसे देखेंगे कि उनका कारखाना कैसे चल रहा है। उन्होंने एक नया कारखाना टर्की में भी लगाया है। कूड़े से बिजली बने इसकी कोशिश में लगे हैं। अभी-अभी इतला मिली है कि जापान की एक कम्पनी ने दुबई में कारखाना लगाया है और तीन-चार दिन पहले उसमें बिजली बनने लगी है। मैंने उन लोगों से कहा है कि पता लगायें कि वहां कितना कूड़ा है और कितनी बिजली बन रही है जो हमारे यहां कूड़ा है उसका उपयोग हो सके यह हम देख रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पिछली सरकार ने कितना कूड़ा-कचरा आपके लिए छोड़ गयी है जो वह छोड़ गयी है उसको निस्तारित करने के लिये आपकी क्या योजनाएं हैं ? क्या आप उससे बिजली बनायेंगे ? आप उनके कूड़े-कचरे को अच्छा कामों में लगायेंगे कि नहीं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैंने कहा कि कूड़ा भी कई किस्म का है।

एक सदस्य बहुजन समाज पार्टी से-

इनके सारे मंत्री कूड़ा जमा कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कूड़े में एक कूड़ा वह है जिसके अन्दर इनर्जी है हमारे पत्तल भी चाटकर फेंकी जाती है। पत्तल में कुछ रह नहीं जाता है तो फिर बिजली बने कैसे, किस कूड़े से कितनी बिजली बन सकेगी बनेगी या नहीं यह देखने की बात है। लेकिन वैकल्पिक ऊर्जा के सिलसिले में कोशिश में लगे हैं और हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम योजनायें बहुत अच्छी हैं, गरीब तक हम पहुंच रहे हैं, किसान तक पहुंच रहे हैं, मजदूर तक पहुंच रहे हैं, छात्र तक पहुंच रहे हैं, बच्चियों तक पहुंच रहे हैं कि उनका भविष्य अच्छा हो, तीन नस्लें सुधरेंगी उनकी, तालीम का मसला हल होगा। लेकिन बिजली खुद में कितनी बड़ी समस्या है हम जानते हैं कि हमारी यह सारी योजनायें एक तरफ और अगर हम वैकल्पिक बिजली का इंतजाम नहीं कर सके तो हमारी सारी कोशिशों पर कहीं न कहीं सवालिया निशान लगता है। इसका पूरी तरह एहसास है और पूरी कोशिश है और जल्द ही हो सकता है कि कूड़े के सिलसिले में उस दिन अहलूवालिया जी तशरीफ लाये हुए थे उन्होंने यह कहा कि अगर आपके पास कोई अच्छा प्लान हो तो भारत सरकार भी इसमें मदद करने के लिये तैयार है। लेकिन अब प्रमोद जी जवाब नहीं देंगे इस पर क्योंकि अब वह नेता नहीं है कांग्रेस के। कुम्भ के लिये जो पैसा भारत सरकार से मिलना था वह भारत सरकार ने मना कर दिया था। अगर भारत सरकार के सहारे पर बैठे होते तो कुम्भ में जिस बेइज्जती का सामना होता और जिन मसाइल का सामना होता और यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के किसी भी वायदे पर या किसी ऐसी बात पर जिस पर हमें यकीन न हो, उसको सामने रखकर अपनी कोई स्कीम तैयार करे। कूड़े के सिलसिले में भी हम यह कहना चाहेंगे कि

यकीनदिहानी सिर्फ यकीनदिहानी की हद तक होना काफी नहीं होती। हमने जिन कम्पनीज से बात की है या जिनसे बात चल रही है उनसे हम यह भी बात कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम उन्हें कोई राहत दे सकेंगे तो जमीन की हद तक तो दे सकेंगे, उसका भी उसे मालिक नहीं बनायेंगे या तो वह जमीन उनकी जायदाद में हिस्सेदार होगी और जो फैक्टरी वह यहां लगायेंगे अगर काम करेगी तो उनसे बिजली खरीदी जायेगी और काम नहीं करेगी तो अपनी फैक्टरी और लोहा यहीं छोड़कर जायेंगे, वापस लेकर नहीं जायेंगे। इस तरह की हमारी कोशिश है कि हम उम्मीद करते हैं कि कोई न कोई हल जल्दी तलाश करने की कोशिश करेंगे और ऐसा शायद संभव हो सकेगा।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गेहूं खरीद केन्द्रों से गोदामों तक सुरक्षित भण्डारण हेतु न पहुंचाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*01-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद, रबी खरीद सत्र, 2012 में हुई है ? क्या सरकारी खरीद का लगभग 93 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीद केन्द्रों से गोदामों तक सुरक्षित भण्डार हेतु न पहुंचने की जानकारी सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो किन कारणों से तथा क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)-

जी हां, रबी क्रय योजना वर्ष 2012-13 में कुल 50.62 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है।

जी नहीं, 50.62 लाख मीट्रिक टन गेहूं की गयी कुल खरीद के सापेक्ष 50.49 लाख मीट्रिक टन गेहूं की डिलीवरी भारतीय खाद्य निगम को की जा चुकी है। मात्र 0.13 लाख मीट्रिक टन गेहूं सम्प्रदान हेतु अवशेष है।

इस सम्बन्ध में खाद्य विभाग के 03, पी0सी0एफ0 के 17 तथा यू0पी0एस0एस0 के 03 इस प्रकार कुल 23 कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी तथा साथ ही कुल 33 आढ़तियों के विरुद्ध भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि रबी खरीद सत्र, 2012 में खरीदे गये गेहूं का 0.13 लाख मीट्रिक टन गेहूं अब तक भारतीय खाद्य निगम को नहीं प्राप्त हुआ तो क्या माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे कि वह गेहूं कहां है और उनके भण्डारण डिलीवरी की क्या व्यवस्था कराई जायेगी ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

श्रीमन्, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और स्पष्ट कर दें कि आढ़तियों द्वारा जो खरीदे गये गेहूं 0.13 मीट्रिक टन में लगभग 0.1 लाख मीट्रिक टन वह आढ़तियों के माध्यम से खरीद की गयी, प्रदेश सरकार का कोई पैसा इसमें नहीं लगा, हमने उनको बोरा भी नहीं दिया है हमारा उसमें

कोई आर्थिक घाटा भी नहीं है। हां, करार हमारा जरूर टूटा है, करार उनसे यह था कि आप खरीद करके और इसका सम्प्रदान एफ0सी0आई0 में करेंगे लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों को उनकी फसल का भरपूर मूल्य मिला और मार्केट रेट बढ़ गया इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने एफ0सी0आई0 में सम्प्रदान न करके उसको खुले बाजार में जाकर के बेचा है। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें प्रदेश सरकार का कोई घाटा, वित्तीय नुकसान, वित्तीय हानि नहीं हुई है लेकिन इसके साथ ही उन आढ़तियों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है और उनके लाइसेन्स को निरस्त करने की कार्यवाही भी की गई है।

जनपद आगरा को सोलर सिटी बनाये जाने की जानकारी

*02-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविख्यात ऐतिहासिक इमारत ''ताजमहल'' को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या सरकार ताजनगरी (आगरा) को सोलर सिटी बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय कुमार मिश्र-

जी हां।

आगरा को सोलर सिटी बनाये जाने का प्रस्ताव नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात् नगर निगम, आगरा द्वारा उक्त का मास्टर प्लान तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया, जिसे भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 2012 में अनुमोदित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी के जवाब में है कि अक्टूबर, 2012 में आगरा को सोलर सिटी बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार ने मंजूर कर लिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2012 से अब तक इसमें क्या प्रगति हुई और आगरा को सोलर सिटी बनाने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? मान्यवर, दूसरा छोटा सा सवाल है कि क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आगरा को सोलर सिटी बनाने के बाद जो आगरा में अभी तक बिजली की खपत होती है उसमें कितने प्रतिशत बिजली की खपत बचेगी ?

श्री विजय कुमार मिश्र-

मान्यवर, आगरा नगर निगम द्वारा इसकी डी0पी0आर0 लगभग तैयार हो चुकी है और उसको स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार को जल्द ही भेजे जाने का प्रस्ताव है और जो आपने दूसरा प्रश्न किया कि कितनी बिजली बचेगी उसका मान्यवर, जवाब यह है कि आगरा शहर में जो विद्युत खर्च है उसमें 10 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि आगरा को सोलर सिटी बनाने का कब तक पूरा हो जाएगा। मान्यवर, जब सरकार ने डी0पी0आर0 बनायी होगी तो कोई लक्ष्य भी रखा होगा कि 2014, 2015 या 2016 तक आगरा पूर्ण रूप से सोलर सिटी बन जायेगा, माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष-

वह जवाब दे तो रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने कहा कि डी0पी0आर0 बनाकर भारत सरकार को भेजा जा रहा है।

श्री विजय कुमार मिश्र-

मान्यवर, डी0पी0आर0 लगभग बन चुकी है और उसे केन्द्र सरकार को भेजा जाना है। केन्द्र सरकार जब स्वीकृत करके भेज देगा तो तुरन्त लागू कर दिया जायेगा।

प्रदेश में बी0पी0एल0 श्रेणी के लाभार्थी परिवारों की संख्या में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध

*03-श्री हुकुम सिंह

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जिन परिवारों को अभी तक बी0पी0एल0 कार्ड के माध्यम से कोई अनुदानित सामग्री उपलब्ध नहीं हो पायी है, उनका पुनः सर्वेक्षण कराकर अनुदानित सामग्री उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या 106.79 लाख निर्धारित की गयी है, जिसके सापेक्ष प्रदेश में राशन कार्ड प्रचलित है। प्रदेश के बी0पी0एल0 परिवारों के पुनसर्वेक्षण का कार्य ग्राम्य विकास अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-3096/38-6-2007-129 एल0सी0/2001, दिनांक 05-11-2007 द्वारा प्रारम्भ किया गया था। ग्राम्य विकास अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-1796/38-6-2008-129 एल0सी0/2001, दिनांक 04-10-2008 द्वारा पुनर्सर्वेक्षण की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है।

राज्य सरकार ने बी0पी0एल0 श्रेणी के लाभार्थी परिवारों की संख्या में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है किन्तु भारत सरकार ने किसी एक राज्य के मामले में इसमें परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर का पहला भाग है ''जी नहीं''। मैंने प्रश्न यह पूछा है कि जो परिवार बी0पी0एल0 से आच्छादित नहीं हैं लेकिन गरीबी की रेखा से नीचे हैं क्या उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कोई योजना है, यह मेरा प्रश्न है और आपने कहा कि ''जी नहीं'' और कारण आगे दे दिया। क्या यह सही नहीं है कि जो ए0पी0एल0 परिवार हैं मान्यवर, कुल तीन श्रेणी हैं बी0पी0एल0, अन्त्योदय और ए0पी0एल0 पिछले चार महीने से सर्वेक्षण करने के उपरान्त उन परिवारों में से भी 20 प्रतिशत परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है जो ए0पी0एल0 परिवार हैं और गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार हैं। मान्यवर, इसमें उत्तर आ गया कि ''जी नहीं'' तो मान्यवर, मैं इसे क्या समझूं ? मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च, चार महीने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा या केन्द्र सरकार के द्वारा एक सुविधा उपलब्ध करायी

गई है उन परिवारों को जो बी0पी0एल0 में आच्छादित नहीं है। सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि जब यह कार्यक्रम चल ही रहा है उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है और मार्च तक उपलब्ध कराया जा रहा है तो प्रदेश सरकार इस बात पर विचार करे, भले ही वहां बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या न बढ़े, प्रस्ताव न मानें लेकिन एक योजना आपने चलाई है तो उसे आगे बढ़ा दीजिए, वह मार्च तक क्यों है ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मान्यवर, जब इस प्रश्न के उत्तर की तैयारी हो रही थी तो उसी समय हम लोगों को लग रहा था कि आदरणीय हुकुम सिंह जी ने प्रश्न किया है तो इसके पीछे कोई गूढ़ निहितार्थ होगा। यह आप माननीय सदस्य जिस योजना की बात कर रहे हैं वह नितान्त अस्थाई है और मार्च के महीने में जो अतिरिक्त खाद्यान्न हमारा है जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उन्हीं के ए0पी0एल0 के राशन कार्ड पर उसकी मुहर लगाई जा रही है और चूंकि हमारे पास अतिरिक्त खाद्यान्न हैं अतः उसको बी0पी0एल0 की दरों पर उनको दिया जा रहा है। लेकिन यह कोई योजना नहीं है, यह कोई स्थाई नहीं है जब तक हमारे पास यह खाद्यान्न है तब तक उसको प्रदेश सरकार की तरफ से गरीबों में बांटा जा रहा है। कोई स्थाई योजना जिनका बी0पी0एल0 कार्ड नहीं बना है प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, शब्दों का अन्तर है योजना नहीं है कार्यक्रम है। न योजना हो आप कार्यक्रम ही मान लें उसको, मार्च तक एक कार्यक्रम चलाया आपने गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का और यह कि प्रदेश सरकार ने अपने बजट भाषण में भी और माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में भी इस बात का उल्लेख किया कि रिकार्ड खरीद की है आपने खाद्यान्न की और रिकार्ड उत्पादन भी हुआ है। जब खाद्यान्न आपके पास उपलब्ध है अभी भी और वह आगे भी उपलब्ध रहेगा क्योंकि आपने रिकार्ड उत्पादन किया और रिकार्ड क्रय भी किया तो उस स्कीम को या कार्यक्रम को मैं योजना नहीं कहूंगा क्योंकि आप उसको योजना मानते नहीं हैं, उस कार्यक्रम को आगे चलाने में दिक्कत क्या है जब खाद्यान्न उपलब्ध है। एक कार्यक्रम आपने बना लिया और उनका चिन्हीकरण कर लिया जो ए0पी0एल0 परिवार थे उसमें से 20 प्रतिशत को आपने चिन्हित भी कर लिया कि यह गरीब हैं बी0पी0एल0 की श्रेणी में आते हैं इनको खाद्यान्न मिलना चाहिए और खाद्यान्न दिया भी जा रहा है उनको लेकिन 31 मार्च तक है तो आगे उसको चलाने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आपका कहना है कि जब आपके पास खाद्यान्न है और आपने कहा कि यह अस्थाई योजना है इसे बढ़ाये जाने में दिक्कत है यह कह रहे हैं कि अगर आपके पास खाद्यान्न उपलब्ध है तो इसे चलाने में क्या दिक्कत है ? यह तो अस्थाई योजना है इसलिए इस पर दबाव तो नहीं बन सकता।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

श्रीमन्, इससे बेहतर होता कि सभी दल दबाव बनाते केन्द्र सरकार पर कि हमारे बी0पी0एल0 और अन्त्योदय कार्डों की संख्या बढ़ाई जाती और स्थाई रूप से हम उनको खाद्यान्न

उपलब्ध करा सकते लेकिन मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह की कोई योजना बी0पी0एल0 परिवारों को आप योजना कहें या कार्यक्रम कहें इस तरह का कोई कार्यक्रम हमारे यहां विचाराधीन नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और पूरे प्रदेश के लगभग 4-5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं और कई दिनों से मान्यवर, मैं आपके समक्ष नियम-56 में सूचना भी दे रहा हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2002 में यह सूची बनी आज भी इस सूची में 30 से 40 प्रतिशत तक गड़बड़ी है। इस सूची के आधार पर।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न 8 नम्बर है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं 3 नम्बर पर पूछ रहा हूं, मैं मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में पूछ रहा हूं कि इस बी0पी0एल0 की सूची के आधार पर इंदिरा आवास मिलता है, बी0पी0एल0 सूची के माध्यम से इलाज होता है और पेंशन भी 60 साला इसी आधार पर मिलती है क्योंकि उसमें 66 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार का है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो सूची बन गयी थी एक बार यह आर्डर हुआ था कि इसको फिर से जांच करा लिया जाय उस आर्डर को रुकवा दिया गया। वह अपने आपमें पत्थर की लकीर हो गयी, ऐसा लगता है कि जैसे आकाशवाणी हो गयी हो उसके बाद से उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। पिछले दस साल से यह इसी हाउस में सुन रहे हैं आखिरकार यह कब तक सुनेंगे ? आपके माध्यम से मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इसका फिर से परीक्षण करवायेंगे कि इसमें जो गलत नाम हैं उनको निकालकर जो नये नाम हैं पात्र वह उसमें शामिल करेंगे अगर वह करेंगे तो हाउस में घोषणा कर दें ? यह केवल हमारी पीड़ा नहीं है पूरे हाउस में बैठे हैं लोग इधर उधर, यह सारे लोगों की पीड़ा है। सरकार यह मानती है कि बी0पी0एल0 परिवार हैं और पांच हजार की सीमा तय कर दी, 5 हजार की सीमा हो गयी उनको 4 महीने का खाद्यान्न दिया जायेगा। मैंने जो प्रश्न पूछा है कि उसका उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, पूरा उत्तर आ गया। आप कह रहे हैं कि खाद्यान्न देंगे, उन्होंने कहा कि हमारी कोई योजना नहीं है। आठवें नम्बर पर भी एक प्रश्न लगा है उसमें आप सप्लीमेंटरी कर लीजियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अगर मा0 मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो दिला दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं रोक नहीं रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं, अगर जवाब देना चाहेंगे तो क्या पीठ से यह भी होगा कि रोक दिया जायेगा। मान्यवर, आपकी ख्याति विदेशों में है कि बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे स्पीकर

हैं उत्तर प्रदेश की विधान सभा में और मान्यवर, हम एक प्रश्न का उत्तर चाह रहे हैं, वह नहीं मिल पा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आठवें प्रश्न में पूछियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसी में दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, अगर उत्तर देना चाहें तो दीजिए। खन्ना जी, फिर आठवें प्रश्न में सप्लीमेंटरी मत करियेगा।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मान्यवर, एक ऐसे अनुपूरक प्रश्न के लिए बात आपकी ख्याति तक के लिए ला दी गयी तो मेरा उठना मजबूरी हो गयी। पहली बात तो यह है कि आपका अनुपूरक इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। आपका जो प्रश्न है कि 4-5 करोड़ परिवार तो इससे भी मैं सहमत नहीं हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 4-5 करोड़ लोग।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

श्रीमन्, एक कार्ड एक परिवार को मिलता है लगभग 22 से 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी है और 4-5 करोड़ बी0पी0एल0 कार्ड उसमें कहां एडजस्ट कर देंगे। इस प्रकार से तो पूरा प्रदेश ही बी0पी0एल0 हो गया। एक आपकी जिज्ञासा थी कि अगर कहीं कार्ड गलत बना है, बी0पी0एल0 या अन्त्योदय कार्ड किसी अपात्र व्यक्ति का बना है तो समय-समय पर उसकी जांच होती है और वह कार्ड निरस्त होता है यह प्रक्रिया है, जो चल रही है। अगर आपके क्षेत्र में आपके जनपद में कोई ऐसा हो जो गलत हो तो उसकी जांच करायी जा सकती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 40 प्रतिशत गलत है और यह गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी का जो जवाब है वह तो अनुपूरक का हिस्सा है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि 2007 में किन कारणों से पुनरीक्षण का कार्य शुरू हुआ था और 2008 में इसे क्यों रोक दिया गया ? क्या आप महसूस करते हैं कि पिछली सरकार का जो कूड़ा था जिसे ढोना चाहिए या यह सही था ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

श्रीमन्, मैं इतना जानता हूं कि समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार हमारे मुखिया आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार में यह योजना, यह कार्यक्रम शुरू किया गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ रोक लगा दी गयी और उसके बाद आने वाली सरकार ने उस सर्वेक्षण को पूरी तरीके से रोक

दिया है और जैसे ही यह कानूनी अड़चनें हटती हैं उनको फिर से शुरू किया जायेगा। जहां तक बात बी0पी0एल0 कार्ड की है तो आप लिखकर दे दें, जांच करा लूंगा।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

महाना जी बी0पी0एल0 के सम्बन्ध में आठवें नम्बर पर प्रश्न लगा है, उसमें पूछ लीजियेगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आठवें नम्बर पर नहीं पूछंगा। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को अगले 04 महीने तक, मार्च तक के लिए बढ़ाया। आपके पास कितना खाद्यान्न, आप समझते थे कि सरप्लस है जो इन 4 महीने तक ए0पी0एल0 के परिवारों को बी0पी0एल0 के परिवारों के तरीके से उनको राशन दिया जा सकता था। कोई न कोई आपने उसकी स्टाकिंग की होगी कि इतना स्टाक हमारे पास है उसके खत्म हो जाने के बाद हम उसको रोक देंगे। कितना स्टाक आवश्यक था। इन 04 महीने के लिए उन ए0पी0एल0 के परिवारों को देने के लिए और जितना आवश्यक था क्या उसके बाद सरप्लस बचता है या नहीं बचता है यह दोनों मान्यवर, बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, क्या इसकी सूचना है ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी कितना स्टाक सरप्लस है और प्रतिमाह कितने की आवश्यकता है इसकी सूचना अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि पूरा कैलकुलेट करके मार्च तक हम लोगों ने जोड़ा है। जहां तक सदस्य की सूचना की बात है आपकी अनुमति हो तो हम माननीय सदस्य को भिजवा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैं अब अगला प्रश्न ले रहा हूं। आठवां प्रश्न भी इसी पर है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, श्री दलवीर सिंह जी पूछने वाले हैं पहले यह पूछ लें उसके बाद मैं पूछ लूंगा।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, अभी आश्वासन समिति की मीटिंग हुई हमारे खन्ना साहब जो चेयरमैन हैं उन्होंने बुलाई। मेरा यह सवाल था आश्वासन समिति में कि पूरे प्रदेश भर की समस्या थी। सरकार ने यह योजना चलाई बहुत अच्छी योजना है इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन योजना बड़े गलत ढंग से इम्प्लीमेंट हो रही है। यह तथाकथित कार्ड जिन्हें बी0पी0एल0 कार्ड कहा जा रहा है यह चार महीने के लिए बने वहां के डीलर और प्रधान ने अपने आदमियों को पूरे कार्ड जारी कर दिये शेष आदमी अवशेष रह गये आश्वासन समिति की मीटिंग में प्रमुख सचिव खाद्य भी थे मैंने अपने जनपद अलीगढ़ में जांच भी कराई एक विकास खण्ड को माडल के रूप में उसमें हमारे अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया वह जांच होकर आई है शायद प्रमुख सचिव जी भी बैठे हैं जो वहां जांच अधिकारी गये थे उन्होंने यह

माना कि यह कार्ड बिल्कुल फर्जी बने हैं और गलत बने हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसका पुनः सर्वे करा लिया जाय और ढंग से कराया जाय तो योजना बहुत अच्छी है लेकिन प्रधान और सेक्रेट्री ने जो घर बैठे जो कार्ड बना दिया है जिनके पास सौ-सौ बीघा खेती है उनके भी कार्ड बना दिये कई जगह पर ऐसा हुआ कि लोगों ने समझा कि वह बी0पी0एल0 कार्ड बन रहा है जिस पर सब सुविधाएं मिलेंगी इसलिए तीन-तीन सौ पांच-पांच सौ रुपये भी लोगों ने ठगे तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में इसका सर्वे कराया जाय और पात्र व्यक्तियों का चयन किया जाये इतना मैं कहना चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी सदन के समस्त सदस्यों की चिन्ता यह है कि जब आपके पास अनाज है तो इस कार्यक्रम को आप आगे क्यों नहीं चलाते, केन्द्र सरकार के ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं ? आज स्पष्ट आश्वासन आना चाहिए था कि जब तक हमारे पास सरप्लस अनाज है हम इस योजना को आगे चलायेंगे माननीय मंत्री जी ने उस बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया इसका साफ-साफ मतलब है कि केवल केन्द्र सरकार पर जिम्मेदारी ठहराकर आप अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। इस सरकार के बैठने का फायदा क्या है जब यह गरीबों को अनाज नहीं दे सकते हैं। जब उनको भोजन भी नहीं दे सकते तो फायदा क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात हो गई।

श्री हुकुम सिंह-

सरकार को स्पष्ट निर्देश देने चाहिए थे।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कहा है कि इस्टीमेट बनवा रहे हैं। आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

अनाज के भण्डार भरे पड़े हैं आखिर वह अनाज कहां जाएगा ? गरीबों को सरकार दे नहीं रही है। सरकार की इस नीति के विरोध में मैं और मेरा दल सदन त्याग रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्यों ने सरकार विरोधी नारे लगाये तथा श्री हुकुम सिंह के साथ सदन त्यागकर चले गये।)

*4-श्री मनीष असीजा-

[मा0 सदस्य के अनुरोध पर स्थगित]

प्रदेश में हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु योजनाएं

*05-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हथकरघा उद्योग बदहाली व बन्दी के कगार पर पहुंच चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको बढ़ावा देने तथा इससे जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री शिव कुमार बेरिया)-

जी नहीं।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के हथकरघा बुनकरों के लिए निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही हैं :-

1-एकीकृत हथकरघा विकास योजना।

2-हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना।

3-मेला एवं प्रदर्शनी।

4-हथकरघा बुनकरों के लिए महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना।

5-हथकरघा क्षेत्र के पुनरुद्धार, सुधार एवं पुनगर्ठन योजना (रिवाइवल, रिफार्म एण्ड रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज फार हैण्डलूम सेक्टर)।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को करने के पीछे मेरा उद्देश्य यह था कि जो हथकरघा उद्योग में लगे हुए बुनकर हैं विशेषकर जो वाराणसी हैं जो बनारसी साड़ियां हैं। जो विश्व प्रसिद्ध हैं वह विलुप्त होने की कगार पर जा रही हैं उसके पीछे कारण यह है कि बनारसी साड़ियों की जो मार्केटिंग है उसकी सुविधा नहीं है सरकारी स्तर पर। जो उसके लिये आवश्यक संसाधन सूत, रंग इत्यादि जो भी आवश्यक है, उन सारी चीजों की मुहैया कराने की सरकार की कोई योजना नहीं है और इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी कि बनारसी साड़ियों की कारीगरी का जो एक अनूठा उदाहरण है वह सारे कारीगर काम के अभाव में कोई पेशराजी का काम कर रहा है, कोई रिक्शा खींचने पर मजबूर है अपना परिवार चलाने के लिये। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि यह जो बनारसी साड़ी उद्योग है और अन्य हथकरघा उद्योग है उसमें जो कठिनाइयां आ रही हैं क्या सरकार कोई ऐसा उपाय करेगी कि जो बनारसी साड़ी के उद्योग में लगे हुए मजदूर हैं वह पुनः अपने उसी धंधे में लग सकें ? बनारसी साड़ी की मार्केटिंग हो सके, बनारसी साड़ी में लगने वाले जो संसाधन हैं, वह उचित दर पर सूत इत्यादि सरकार उपलब्ध करायेगी।

श्री शिव कुमार बेरिया-

श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले कहा जबसे वर्तमान सरकार आई है बुनकर उद्योग के लिये लगातार यह सरकार कृत संकल्प है और बुनकरों के लिये जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उनमें एक तो क्लस्टर योजना चल रही है जिसके माध्यम से इस 300 से 500 के बीच में क्लस्टर बनाते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के अन्दर हमारे क्लस्टर जो चल रहे हैं और दूसरा ग्रुप एप्रोच जिसमें हम 10 से 100 तक जो बुनकर हैं हम उनको शामिल करते हैं और उनके माध्यम से हम काफी हद तक बुनकरों को समाहित करके यह बुनकर उद्योग को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। जहां तक बनारस का मामला है, 17 हजार बुनकर हमारे क्लस्टर में काम कर रहे हैं और ग्रुप रिपोर्ट में 336 में 8 हजार बुनकर हमारे काम कर रहे हैं। लगातार बुनकर उद्योग को बढ़ावा देने का सरकार काम कर रही है और बुनकर जो हमारे कपड़ा बनाकर भेजते हैं तो हम मेलों के माध्यम से जो हम जिला स्तर पर लगाते हैं, राज्य स्तर पर लगाते हैं, उनके सारे उत्पाद जो आते हैं उनको खपाने का काम करते हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, आपने क्लस्टर वगैरह का सारा विवरण दे दिया लेकिन मूल प्रश्न मेरा यह था कि जो लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं, कारीगर जो बहुत निपुण हैं, खानदानी तौर पर इस काम को करते चले आ रहे हैं। मैं चूंकि बनारस का हूं उनके बीच में उठता बैठता हूं उनके दर्द को समझता हूं।

श्री अध्यक्ष-

वह आपके वोटर भी होंगे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

उनकी परेशानी यह है कि कुछ को-आपरेटिव बनाकर के कुछ बड़े जो व्यवसायी हैं वह सारी सुविधाएं खा जा रहे हैं जो गरीब मजदूर हैं जो ग्रास रूट लेबिल पर जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसी पर उनका परिवार चलता है। मेरा आशय इतना है कि आप क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो लेबर हैं जो मजदूरी करके महाजनों के यहां इत्यादि के यहां विवश हैं मजदूरी करने के लिये उनको स्वावलम्बी बनाने के लिये, बनारसी साड़ी उद्योग को जीवित रखने के लिये जो संसाधन चाहिए वह को-आपरेटिव के माध्यम से जो बड़े लोग खा जा रहे हैं वह उन मजदूरों को मिले, ऐसी कोई व्यवस्था करने पर विचार करेंगे, अगर नहीं है तो आपको विचार करना चाहिए, ऐसा आग्रह है मेरा आपसे।

श्री शिव कुमार बेरिया-

मैंने पहले कहा कि क्लस्टर को अपने उत्पादन के लिये जो कच्चा माल क्रय करने के लिये आवश्यकता होती है उसके लिये 3 लाख रुपया एक मुश्त सहायता दी जाती है। दूसरा आधुनिक डिजाइन के लिए, बुनकरों को, सरकार के द्वारा तीन लाख रुपये एक मुश्त इस काम के लिये भी दिया जाता है ताकि आधुनिक डिजाइन बुनकर भाई सीख सकें। जहां आपका सवाल है कि बड़े लोग हैं वह इस पर कब्जा कर रहे हैं और बुनकर मारा-मारा घूम रहा है। इसके नाम पर यह कमाई कर रहे हैं उसके बारे में सरकार की तरफ से मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी शिकायत है या आप कोई शिकायत देंगे तो सरकार उसके लिए कृत संकल्प है उसके लिये सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी ?

प्रदेश में मंहगाई नियंत्रण हेतु कार्य योजना

06-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) एवं श्री सतीश महाना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई महंगाई को रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

प्रदेश में मंहगाई को नियंत्रित करने हेतु पहले से ही कार्य योजना विद्यमान है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :-

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की रोकथाम, जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव पर अंकुश लगाने हेतु चावल, दाल, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल पर स्टाक लिमिट लागू हैं।

आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति तथा मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के सम्बन्ध में आयुक्त, खाद्य एवं रसद के कार्यालय कक्ष में खाद्य नियंत्रण कक्ष स्थापित हैं जो खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्य की प्रतिदिन समीक्षा करता है। इस सम्बन्ध में आयुक्त, खाद्य एवं रसद कार्यालय का टोल फ्री नम्बर 1800 180 0150 जनसुविधा हेतु उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं में हो रही मूल्य वृद्धि की रोकथाम एवं कालाबाजारी, जमाखोरी पर नियंत्रण हेतु समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0 प्र0 को सख्ती से कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में माह जनवरी, 2012 से माह दिसम्बर, 2012 तक प्रदेश में 39,766 छापे मारे गये, 1,329 मामलों में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी, 423 व्यक्ति गिरफ्तार, 1,501 व्यक्ति अभियोजित एवं 07 व्यक्तियों को सजा दिलायी गयी। 6,150 दुकानों को निलम्बित एवं 3,939 दुकानों के लाइसेन्स निरस्त किये गये तथा 249.01 लाख रुपये की प्रतिभूति एवं 1602.87 लाख रुपये की आवश्यक वस्तुएं जब्त की गयीं।

जन सामान्य को सस्ती दरों पर दालें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित राशन की दुकानों के माध्यम से रु0 19 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 9378 मी0 टन पीली मटर की दाल एवं 48.50 रु0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 1850 मी0 टन अरहर दाल की आपूर्ति की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

मान्यवर, मैं माननीय मत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं इन्होंने लिखा है कि इतने आदमी गिरफ्तार किये, इतने दुकानदार निलम्बित कर दिये तो यह तो पता चले कि दुकान किसकी निलम्बित हुई, आज तक यह जानकारी नहीं है किसकी दुकान का निलम्बन हुआ और किसकी गिरफ्तारी हुई ? दूसरी बात आपने लिखा है कि खाद्यान्न इतने मीट्रिक टन अरहर की दाल, इतने मीट्रिक टन, मटर की दाल इतने मीट्रिक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं तो आप हमें यह बतायें कि आज तक इसके प्रचार-प्रसार के लिये कोई प्रबन्ध हुआ ? किसी को पता है आज तक ? यह सब कालाबाजारी की दुकानों में पहुंच जाता है और बिक जाता है। किसी गरीब आदमी को दालें नहीं मिल पाती हैं। क्या कोई प्रचार-प्रसार इस सम्बन्ध में हुआ है, यह बता दें ? दूसरी बात क्या सरकार इसके ऊपर वैट कम करने के लिये कोई सुविधा बनायेगी ताकि गरीब आदमी को यह खाद्यान्न मिलते रहें ? हर चीज में वैट के बारे में लिखा गया गरीबों के बारे में आपने क्या सोचा है, यह बता दें ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

पहला प्रश्न माननीय सदस्य का है कि कहां दुकानें बन्द कराई गई और किन लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई ? तो मैं बता दूं कि 6,150 दुकानों को निलम्बित किया गया। 1,501 व्यक्ति अभियोजित किये गये हैं पूरा डिटेल अगर इनको चाहिए तो यह बड़ा दुष्कर है यहां बताना।

श्री अध्यक्ष-

आपका कहना है कि आपने जो दाल वगैरह दिया दुकानों को यह कहां बंटती हैं, उसमें कालाबाजारी है यह कह रहे हैं तो इसमें बता दीजिए।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

दूसरा प्रश्न जो आपने अनुपूरक किया कि दाल का वितरण कहां हुआ इसकी भी प्रति हम आपको उपलब्ध करा देंगे। केन्द्र सरकार से हमें इतनी ही दाल उपलब्ध कराई गई हम प्रयास में लगे हुए हैं। पुनः अरहर की दाल और मटर की दाल उपलब्ध हो। क्योंकि बाजार से 15 से 20 रुपये सस्ते मूल्य पर यह उपलब्ध हो सकेगी केन्द्र सरकार से अभी यह सप्लाई आई नहीं है। जैसे ही आयेगी इसको प्रसारित प्रचारित किया जाएगा। तीसरी बात आपने वैट कम करने की बात कही तो वैट कम करने की अभी कोई योजना नहीं है और यह हमारे विभाग से सम्बन्धित भी नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

मान्यवर, मेरा पूछना है कि दाल बांटने की जो बात आप कह रहे हैं, वह दाल कहां भेजी गयी ? पूरा सदन बैठा है, हमारा कहना है कि किसको दाल दी गयी। आपने बताया कि इतनी गिरफ्तारियां हुई, इतनी दुकानें निरस्त की गयी, इससे हमारा मतलब नहीं है, हम तो यह चाहते हैं कि खाद्यान्न गरीबों को मिले। आज तक दाल कहां बंटी, यह हम जानना चाहते हैं, यदि दाल बंटवाने के लिए भेजी गयी तो वह गयी कहां ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, महाना जी, अब आप पूछें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मुझे लगता है कि यह सरकार केन्द्र सरकार के ऊपर निर्भर है। केन्द्र सरकार ने भेज दिया, माननीय मंत्री जी ने शायद यही कहा है और अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया है, अपनी तरफ से कोई चिन्ता नहीं है। मान्यवर, जो यह जवाब आया है, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं इन्होंने लिखा है कि दाल, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल पर स्टाक लिमिट लागू है। क्या यह जो फुटकर दुकानदार हैं, प्राइवेट दुकानदार हैं या वॉलमार्ट आदि हैं, क्या इनमें कोई स्टाक लिमिट तय है ? दूसरी बात यह है कि क्या इसके लिए यह लाइसेन्स लेते हैं, जिनके यहां दाल मिलती है, तेल मिलता है, क्या उनके लाइसेन्स लेने की कोई प्रक्रिया है ? आपने कहा कि हमने इतने लाइसेन्स निरस्त कर दिये, यदि लाइसेन्स लेते हैं तो वह सरकार की निर्धारित प्रक्रिया के हिसाब से लिया होगा। एक बात और क्या आप तेल और दाल राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित करवा रहे हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि आपने किसके लाइसेन्स निरस्त कर दिये, उनकी कितने स्टाक की लिमिट है ? किस आधार पर उनके लाइसेन्स निरस्त किये हैं, क्या आपने किसी प्राइवेट दुकानदार के यहां छापा मारा है, जिसके पास लाइसेन्स था और आपने निरस्त कर दिया हो ? कौन से ऐसे लोग हैं जिनके आपने लाइसेन्स निरस्त किये हैं ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि किनके लाइसेन्स निरस्त किये गये, वह कौन से लोग हैं, मुझे कंठस्थ तो नहीं है, जिनके खिलाफ कार्यवाही हुई है और वह संभव भी नहीं है कि वह याद किया जा सके। लेकिन जिनके खिलाफ कार्यवाही हुई है, वह हम आपको भिजवा देंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने कहा कि लाइसेन्स निरस्त किया है जो यह तेल और दाल बेचने वाली दुकानें हैं, क्या इनको लाइसेन्स लेने का कोई प्राविजन है। इस तरह की प्राइवेट दुकानदारों को लाइसेन्स लेने का कोई प्राविजन ही नहीं है तो आपने उनके लाइसेन्स निरस्त कैसे किये ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आपका कहना यह है कि यह जो फुटकर दुकानदार हैं जो छोटे-छोटे दुकानदार तेल और दाल आदि बेचते हैं, क्या उनको भी लाइसेन्स दिये जाने का कोई प्राविधान है ? यही इनका जानने का उद्देश्य है।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मान्यवर, लाइसेन्स निरस्त करने और दण्डित करने का प्राविधान है, उसमें कोटेदार भी शामिल हैं। इसके अलावा आपने यह पूछा कि जो वालमार्ट और बड़ी दुकानें हैं, उनके लिए क्या सीमा है। मान्यवर, मेरे संज्ञान में उनके लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है कि वह कितना बेंच सकते हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है कि दाल, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल पर स्टाक लिमिट लागू है और आप कह रहे हैं कि कोई लिमिट नहीं है जवाब कुछ आया है और मंत्री जी उत्तर कुछ और दे रहे हैं। मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है कि जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव पर अंकुश लगाने हेतु चावल, दाल, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल पर स्टाक लिमिट लागू है। आपने यह नहीं कहा है कि यह राशन की दुकानों पर लागू है, इसमें लिखा है कि 'जमाखोरों', क्या राशन के दुकानदार जमाखोरों की श्रेणी में आते हैं जो ज्यादा खाद्यान्न जमा कर लेते हैं या जो प्राइवेट दुकानदार हैं, उन पर यह लागू है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय महाना जी, अब हम आगे का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न सं0-7।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कह दिया, जवाब आ गया।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह सरकार आम जनता को लेकर चिन्तित नहीं है। मंहगाई को लेकर चिन्तित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया।

प्रदेश के होम्योपैथिक अस्पतालों एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में दवा एवं शीशी की व्यवस्था

*07-श्री राजेश त्रिपाठी (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में होम्योपैथिक अस्पतालों में दवाओं एवं शीशी का अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी होम्योपैथिक अस्पतालों एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में दवा एवं शीशी की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

श्री राजेश त्रिपाठी जी नहीं है, अब अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय राशन कार्डों को पुनः बनाये जाने की जानकारी

*08-श्री अगयश राम सरन वर्मा, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री संजय प्रताप जायसवाल, कुंवर भारतेन्द्र-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय राशन कार्ड पुनः बनाये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो पुनः राशन कार्ड कब से बनाना प्रारम्भ होगा तथा उसके मानक क्या-क्या होंगे ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जी हां।

प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत नये सिरे से राशन कार्डों का मुद्रण व वितरण हेतु शासनादेश संख्या-490/29-6-2012-298सा/03, दिनांक 30-04-2012 द्वारा निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उ0 प्र0 के आदेश संख्या-217/आ0पू0रा0का0-01(6)/2005, दिनांक 22-01-2013 द्वारा शासनादेश संख्या-490/29-6-2012-298सा/03, दिनांक 30-04-2012 में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप समस्त जिलाधिकारियों को अपनी अध्यक्षता में समिति गठित कर छः सप्ताह में राशन कार्डों का मुद्रण व वितरण पूर्ण कराने के निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। बुकलेट फार्म में राशन कार्ड के आवरण, अन्तिम एवं अन्दर के पृष्ठों के मुद्रण हेतु मानक व स्पेसिफिकेशन शासनादेश संख्या-490/29-6-2012-298सा/03, दिनांक 30-04-2012 में निर्धारित है।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मान्यवर, सामान्यतः यह पाया जाता है कि जो राशन कार्ड निर्गत किये जाते हैं उसमें अपात्र लाभार्थी और निर्गत करने वाले अधिकारियों तथा सस्ते गल्ले के विक्रेता तीनों मिलकर साजिश रचते हैं और भारी मात्रा में फर्जी राशन कार्ड निर्गत हो जाते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसी दण्डात्मक व्यवस्था करने जा रही है जिससे यह फर्जी राशन कार्ड निर्गत होना बंद हो जायें। दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है कि जो नये राशन कार्ड निर्गत होने जा रहे हैं उनमें केवल 6 पृष्ठ संलग्न किये गये हैं जबकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं एक माह के लिए एक पेज निर्धारित होता है अगर 12 पृष्ठ निर्धारित कर दिये जायें तो राशन कार्डों में जो राशन निर्गत होने का उल्लेख होगा बीच में कोई समस्या खड़ी नहीं होगी। मैं जानना चाहूंगा कि यह जो नये राशन कार्ड निर्गत होने जा रहे हैं उसमें 12 पृष्ठ सुनिश्चित किये जायेंगे ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो पहला प्रश्न है वह कहीं से भी अनुपूरक की श्रेणी में नहीं आता। क्या बी0पी0एल0 परिवारों के जो गलत कार्ड बन गये हैं उनके खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्यवाही सरकार करेगी या नहीं करेगी, यह कहीं से भी अनुपूरक की श्रेणी में नहीं आ रहा है। आपका प्रश्न है कि क्या ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय राशन कार्ड पुनः बनाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है तो उसका उत्तर है जी हां। पुनः नये कार्ड बनेंगे। यदि हां तो पुनः राशन कार्ड कब से बनाना प्रारम्भ होगा तथा उसके मानक क्या-क्या होंगे ? इसका भी उत्तर मैंने दे दिया है और स्पेसिफिकेशन मैं फिर बता दूं। बुकलेट का साइज 18/13 से0मी0 चौड़ा होगा, राशन कार्ड का आवरण का प्रथम तथा अन्तिम पृष्ठ सुदृढ़ एवं लेमिनेटेड होगा ताकि राशन कार्ड क्षतिग्रस्त न हो। पृष्ठों को बढ़ाये जाने का आपका जो सुझाव है उस पर मैं विभाग में बात कर लूंगा अगर उसकी आवश्यकता समझी जाएगी तो मैं निर्देश दे दूंगा।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मान्यवर, फर्जी राशन कार्ड की बात रह गयी।

श्री अध्यक्ष-

फर्जी राशन कार्ड का लिखकर दे दीजिए, जांच हो जाएगी। आपका उत्तर आ गया।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम मा0 मंत्री जी से जानना चाहते हैं, इन्होंने जो उत्तर दिया है विभाग ने इनका उत्तर ठीक नहीं है, इन्होंने कहा है कि नये सिरे से राशन कार्ड बनना प्रारम्भ हो गये। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी की नीयत तो सही है, लेकिन इनके विभाग की नीति बिल्कुल खराब है। अभी तक नये सिरे से राशन कार्ड बने ही नहीं। मान्यवर, लेखपालों की हड़ताल थी, प्रधान ने, ग्राम पंचायत अधिकारी ने और कोटा डीलर ने मिलकर राशन कार्ड बना लिये, ए0पी0एल0 को बी0पी0एल0 में कन्वर्ड कर दिया और ए0पी0एल0 को बी0पी0एल0 में वह कन्वर्ड किया है जिनके पास ट्रैक्टर है जो सभापति है जो वकील हैं जो अध्यापक हैं। हमारी ही विधान सभा में इस तरह के अनेकों फर्जी कार्ड बनाकर लगभग दो करोड़ का खाद्यान्न घोटाला हुआ है। हम मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि क्या सरकार दोबारा से इसका सर्वे करायेगी और जो फर्जी राशन कार्ड जिन्होंने बनाये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी और गरीबों को दोबारा से राशन कार्ड बनवाने की व्यवस्था की जायेगी।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय धर्मपाल जी वरिष्ठ सदस्य हैं, मंत्री भी रहे हैं। यह कहीं से भी अनुपूरक की श्रेणी में आ नहीं रहा है। कृपया पुनः प्रश्न पढ़ दीजिए। आपने सवाल किया है कि क्या नये बी0पी0एल0 कार्ड बनेंगे, मैंने कहा जी हां बनेंगे। कब तक बनेंगे ? छः हफ्तों की एक समय सीमा उनको दी गई है जो गत अभी जनवरी के प्रथम सप्ताह के लगभग दी गई है दोबारा और अगर उनको कोई कठिनाई होती है जिलाधिकारियों को तो यह समय और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आपने पूछा कि पुनः राशन कार्ड कब से बनना प्रारम्भ होगा तो वह निर्माणाधीन अवस्था में है, छपाई

की प्रक्रिया में है और उसके मानक क्या-क्या होंगे तो जो कार्ड के मानक है वह मैं पुनः दोहरा दे रहा हूं। कार्ड 18 सेमी0 लम्बा होगा, 13 सेमी0 चौड़ा होगा, लैमिनेटेड होगा।

श्री अध्यक्ष-

अब एक बार तो आप बता चुके हैं, दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री धर्मपाल सिंह-

अब आप यह सब क्या बता रहे हैं ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जो आप पूछ रहे हैं, वही मैं बताऊंगा। जो आपने प्रश्न किया है, आपका जो सवाल है, उसी का मैं उत्तर दूंगा और आप अपने मूल प्रश्न से इतर, उसके अलावा अगर आप अनुपूरक पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब इसे छोड़िये, इसमें विवाद मत खड़ा कीजिए। देखिये इसमें मा0 मंत्री जी का कहना है कि जो मूल प्रश्न है, उससे सम्बन्धित जो अनुपूरक है, उसका उत्तर मैं दूंगा। मा0 मंत्री जी ऐसा नहीं है, कोई प्रश्न अगर अनुपूरक नहीं बनता है और अगर किसी ने पूछ लिया है तो उसका उत्तर देने के लिये आप बाध्य नहीं है, यह नहीं है कि आप उसका उत्तर दीजिए ही, कह दीजिए कि इसका उत्तर नहीं है, यह नहीं कहना चाहिए कि मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा।

(विपक्ष के कई मा0 सदस्य एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

श्री अध्यक्ष-

मैं समझता हूं कि सारी बातों का उत्तर आ गया, नया राशन कार्ड बनने का या फर्जी राशन कार्ड बनने का, जिसके लिए उन्होंने कहा कि जो भी शिकायत हो आप लिखकर हमें दे दीजिए, उसकी जांच हो जायेगी या नये ढंग से कुछ बनाने का है तो उन्होंने कहा है कि हम देख लेंगे उसके सम्बन्ध में विभाग में बात कर लेंगे फिर अधिकारियों को निर्देशित कर देंगे तो अब कौन सा सवाल इसमें बचा है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से मा0 खाद्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ए0पी0एल0 कार्ड के सम्बन्ध में अभी एक नई जो योजना आई है, कार्यक्रम चल रहा था। मा0 हुकुम सिंह जी के प्रश्न में भी वह आया है कि भारत सरकार ने लगभग पौने चार लाख मिलियन टन गेहूं और पौने पांच लाख मिलियन टन चावल दिया था। जिसके लिये इसका वितरण होना था चार महीने में और अभी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ए0पी0एल0 कार्ड के ऐसे लोग जिनकी 5 हजार रुपये मासिक आय है, उस पर अतिरिक्त बी0पी0एल0 की मुहर लगा के उन लोगों को खाद्यान्न दिया।

श्री अध्यक्ष-

ये सवाल तो पहले ही हो गया। ये तो मा0 हुकुम सिंह जी ने पहले ही पूछ लिया।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपसे संरक्षण चाहेंगे कि इस पर क्या होगा और दूसरा जो बहुत अहम प्रश्न है और हम सब लोगों को सदन से सम्बन्धित हैं। मा0 खाद्य मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार से इस योजना को बढ़ावा दिया जाये। मान्यवर, अभी केन्द्र सरकार द्वारा संसद में अभी फूड सेक्योरिटी बिल आने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से अपील करूंगा कि फूड सेक्योरिटी बिल आने के बाद ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 कार्ड सब सही हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह अनावश्यक क्वेश्चन है, ये सवाल नहीं बनता है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, फूड सेक्योरिटी बिल, ये सब क्या है ? आप इसमें सीधे पूछना चाहें कि बी0पी0एल0 कार्ड गलत है, क्या उस पर पुनर्विचार करेंगे ? ये सवाल है।

(कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने के मध्य)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, फूड सेक्योरिटी बिल को पूरा सदन चाहे भारतीय जनता पार्टी हो।

श्री अध्यक्ष-

फूड सेक्योरिटी बिल और ये प्रश्न अलग-अलग है। वह पार्लियामेन्ट का है, ये यहां का है। इसका फूड सेक्योरिटी बिल से क्या मतलब है ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, फूड सेक्योरिटी बिल का समर्थन करायें।

(कई मा0 सदस्यों के साथ बोलने से उत्पन्न शोर के मध्य)

जब फूड सेक्योरिटी बिल आ जायेगा तो पूरे भारत वर्ष में अपने आप खाद्यान्न शुरू हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ये प्रश्न ही नहीं बनता है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो बी0पी0एल0 कार्ड बनना है। यह एक बी0पी0एल0 सूची के आधार पर बी0पी0एल0 कार्ड बनता है और वह सर्वे पहले से ही 2002 में हुआ है, उसके बाद आज तक सर्वे नहीं हो पाया है जो नये बी0पी0एल0 कार्ड बनने हैं। वह जो सर्वे हुआ है, सर्वे में हमारे जनपद कुशीनगर और तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में सर्वे में नाम तो है पिता का नाम नहीं है। जिसके कारण यह स्थिति है कि जो नाम है, अगर मान लीजिये कि धनन्जय नाम है तो जो बड़े टाइप के लोग हैं, वे लोग अपना नाम उसमें इंगित कर लेते हैं और गरीब छूट जाता है। मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो कार्ड बनेगा, वह सूची में अब जो नया सर्वे करायेंगे या कार्ड बनायेंगे, उसमें नाम के साथ पिता का नाम इंगित करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

बस इतना ही सवाल है। मा0 मंत्री जी ये कह रहे हैं कि जिनके पिता का नाम छूट गया है, उसको फिर जुड़वा देंगे। आप बता दीजिये।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

श्रीमन्, बी0पी0एल0 सूची एक अलग चीज है, बी0पी0एल0 कार्ड अलग चीज है। जो आपने कहा, उसमें पिता का नाम अंकित कराना है तो आपका सुझाव स्वागत योग्य है और इसके निर्देश हो जायेंगे।

(श्री बंशी सिंह पहाड़िया के द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

पहाड़िया जी, बैठिये, इसमें आखिरी सवाल आपका है बस।

(कई मा0 सदस्यों द्वारा एक साथ अनुपूरक प्रश्न करने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे, ये इतने प्रश्न पूछने का सवाल ही नहीं है, जितना आप पूछ रहे हैं।

कुंवर भारतेन्दु सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, बड़ा गम्भीर विषय है। जब भी हम सब गांवों में जाते हैं, वहां पर सैकड़ों गरीब ऐसे मिलते हैं जो कि न बी0पी0एल0 सूची में हैं और न कार्ड धारक हैं। मा0 मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने 6 हफ्ते का समय दिया है जनवरी में, वे 6 हफ्ते समाप्त हो चुके हैं और जैसे अभी बताया कि पडरौना से लेकर के बिजनौर तक कहीं भी जमीन पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। क्या मा0 मंत्री जी एक तिथि निश्चित करेंगे कि फलानी तिथि तक सारे गरीबों के कार्ड बन जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ये बता रहे हैं कि इसमें कोई तिथि, कार्ड बनाने की क्या प्रक्रिया है ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं या तो मैं अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रहा हूं या तो जो मा0 प्रश्नकर्ता है उनका प्रश्न आप लोगों ने नहीं पढ़ा। गरीबों को कार्ड मिला, अपात्रों को मिला है, पात्रों को मिला है। यह एक अलग विषय है। अभी जो आपने सवाल किया है कि आपने पूछा कि बी0पी0एल0 कार्ड कब तक बनेंगे और उस कार्ड के मानक क्या होंगे। ये आपका प्रश्न है तो कार्ड के मानक उसकी लम्बाई, चौड़ाई, उसके कागज की मोटाई मैं कई बार बता चुका हूं। अब आप अनावश्यक रूप से अनुपूरक लगा करके तो जो मैं अपनी बात स्पष्ट कर रहा हूं उसको तो समझने का प्रयास करिये न।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप सवाल यह कर रहे हैं कि जिसका नहीं बना है कार्ड क्या उसको आप बनवायेंगे। इसमें ये सब सवाल क्यों बार-बार पूछ रहे हैं ?

(विपक्ष के कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने के कारण व्यवधान की स्थिति)

श्री अध्यक्ष-

मा0 अनुरागी जी बैठ जाएं। मा0 सदस्य आप लोग बैठ जाएं। मा0 पहाड़िया जी बैठ जाएं जो मूल प्रश्न है उसको पढ़ना चाहिए और उसी के अनुरूप इसमें अनुपूरक करना चाहिए और आप लोग तो पढ़े बिना ही अनुपूरक प्रश्न कर देते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक क्षण अगर आप अवसर दें तो मैं पूछना चाहता हूं कि कार्ड के मानक क्या हैं ? मान्यवर, आशय यह है कि कार्ड बनवाने वाले के मानक क्या है, परिवार के मानक क्या है, वह पात्र हैं कि नहीं ? अब मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। अगर हमारा सवाल यह होता कि कार्ड बनवाने के मानक क्या हैं तो क्या उसका साइज रखा जायेगा ? उसकी लम्बाई-चौड़ाई रखी जायेगी। अगर आप हमारा मजाक बनवाना चाहते हैं इसी तरह से तो मान्यवर, यह आपका अधिकार है। यहां हमारे बैठने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर इतनी नॉन सिरियसली उत्तर दिये जायेंगे कि 6 इंच लम्बा होगा, 3 इंच चौड़ा होगा, यही मानक होगा क्या ? क्या यही मानक बनेगा। यहां मान्यवर, आप आसन पर बैठे हैं, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। प्रश्न स्पष्ट था कि उसके मानक क्या हैं, बदले हैं कि वही हैं, इतनी ही बात थी सिर्फ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य जिस तरह से आप कह रहे हैं, उस तरह से तो किसी ने पूछा नहीं कि बी0पी0एल0 सूची में नाम डालने का मानक क्या है ? ऐसे सवाल को पूछा जाना चाहिए था, ऐसे तो कोई पूछ नहीं रहा है (शोर) मा0 हुकुम सिंह जी ने संजीदगी से बताया कि बी0पी0एल0 कार्डधारक होने के लिए उसका मानक क्या है, यह सवाल होना चाहिए था ? आप यह पूछ ही नहीं रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, क्या आप भी यही समझे हैं ? अगर आप भी यही समझे हैं तो फिर तो हमें कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि हम आपके माध्यम से ही यह बात पहुंचा सकते हैं। आप भी यही समझेंगे कि उसकी लम्बाई-चौड़ाई हमने पूछी है, तो कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, प्रश्न यह होना चाहिए था कि जो कार्डधारक हैं या बी0पी0एल0 सूची में जिनके नाम हैं, उनका मानक क्या है, कितनी आर्थिक स्थिति में वह बी0पी0एल0 कार्डधारक बनेंगे ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सोच में थोड़ा अन्तर है। मान्यवर, खाद्य मंत्री जो हैं अब तक मैदान में खेलते रहे हैं, वह खिलाड़ी हैं। स्पोर्ट्स मैन भी अच्छे रहे होंगे, इन्हें मैदान की लम्बाई-चौड़ाई का पता है। पूछा क्या है और जवाब क्या देते हैं, हमने खाली मानक पूछे थे ?

श्री अध्यक्ष-

एक प्रश्न बचा है, उसे ले लेने दीजिए काहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सुरेश कुमार खन्ना जी का प्रश्न लेने दीजिए आपकी पार्टी के सदस्य हैं।

(शोर)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसका जवाब तो दिलवा दीजिए। सारा सदन खड़ा है। जवाब तो दिलवा दीजिए। मान्यवर, पूरा विपक्ष जवाब चाहता है। मान्यवर, जवाब तो दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी इन लोगों का मतलब यह है कि जो बी0पी0एल0 कार्डधारक होते हैं, उनका मानक क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो, तब वह कार्डधारक बनते हैं, यह बताना है ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी अभी स्वयं आपने यह कहा कि यह प्रश्न इस तरीके से नहीं, बल्कि इस तरीके से पूछना चाहिए और जो भी इस प्रश्न में पूछा गया, उसका उत्तर पूरी तरीके से आ गया है तो मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं कि जितना मेरी समझ में आया और जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर इसके अलावा कुछ और आप जानना चाहें तो पुनः प्रश्न करें। फिर प्रश्न लगवाइए। इसके अनुपूरक में यह नहीं आ रहा है।

(विपक्ष के कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने के कारण व्यवधान की स्थिति)

श्री अध्यक्ष-

कृपया मा0 सदस्य बैठ जाएं। आप लोग शांत रहिए।

(सरकार की तरफ से जवाब न आने के विरोध में श्री बंशी सिंह पहाड़िया ने कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के साथ सदन से बर्हिगमन किया)

प्रदेश में सौर ऊर्जा के लिए तैयार यंत्रों पर सब्सिडी बढ़ाने अथवा इनकी कीमतों को घटाने की मांग

*09-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के माध्यम से कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य वर्ष 2012-13 में रखा गया है ? क्या सरकार सौर ऊर्जा के लिए तैयार यंत्रों पर सब्सिडी बढ़ाने अथवा इनकी कीमत घटाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विजय कुमार मिश्र-

जी हां।

प्रदेश में सौर ऊर्जा के माध्यम से बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 2012-13 में 20 मेगावाट का लक्ष्य है।

सौर ऊर्जा संयत्रों की सब्सिडी बढ़ाने अथवा सोलर संयत्रों की कीमत घटाने सम्बन्धी प्रकरण शासन में विचाराधीन नही है।

सौर ऊर्जा संयंत्रों पर भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सब्सिडी का प्राविधान अनुमन्य है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु उपयोगी रिमोट ग्राम विद्युतीकरण, सोलर स्ट्रीट लाइट एवं मिनीग्रिड सोलर पावर प्लान्ट की योजनाओं पर राज्य सरकार की सब्सिडी पूर्व से दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, क्या यह सरकार कोई सोलर इनर्जी के लिए अपनी नीति बनायेगी ? 1957 में इजरायल ने अपने यहां पालिसी बनायी थी इसकी। मान्यवर, प्रदेश में सोलर इनर्जी के विकास के लिए एक रिसर्च सेन्टर की आवश्यकता है ताकि इसकी कॉस्ट भी घट सके। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी देकर स्ट्रीट का प्रावधान किया है। क्या शहरों में भी असेवित बस्तियों में स्लम बस्तियों में भी स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था करायेंगे सब्सिडी प्रदान करके।

श्री विजय कुमार मिश्र-

मान्यवर, कुल चार योजनायें हमारी चल रही हैं। जिसमें एक योजना है रिमोट ग्राम विद्युतिकरण और दूसरी उसी तरह से सम्बन्धित है छोटे-छोटे पावर प्लांट लगाकर 10-10 घरों को एक-एक बल्ब और मोबाईल चार्जर आदि की सुविधा प्रदान की जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईट के लिए सब्सिडी जो प्रदान कर रही है उसी भांति शहरी क्षेत्रों में असेवित, स्लम बस्तियों में सब्सिडी प्रदान कर स्ट्रीट लाईट की सुविधा लगवाने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

शहरी क्षेत्रों में सरकार स्ट्रीट लाईट लगवा देगी खंभा लगवा देगी अब सब्सिडी कहां से देगी। अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

*10-श्री सतीश महाना-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में चमड़ा उद्योग को बढ़ाने की कार्य योजना बनाये जाने की मांग

01-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में चमड़ा उद्योग को बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)(श्री भगवत सरन गंगवार)-

भारत सरकार की एसाइड, एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनाओं तथा राज्य सरकार की त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अन्य औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ चर्म उद्योग से सम्बन्धित इकाइयों को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग

नोटः-तारांकित प्रश्न संख्या-9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

मंत्रालय द्वारा चमड़ा उद्योग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित की जा रही मेगा लेदर क्लस्टर की परियोजना के सम्बन्ध में दो प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

02-श्री उपेन्द्र तिवारी-

[दिनांक 21-02-2013 को अता0प्र0सं0-17 द्वारा उत्तरित]

जनपद फिरोजाबाद के कांच उद्योग मे लगे श्रमिकों के लिये आवासीय योजना बनाये जाने की मांग

03-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में स्थित विश्व प्रसिद्ध ''कांच उद्योग'' में लगे न्यूनतम स्तर पर जीवन यापन कर रहे लाखों श्रमिक परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु सरकार आवासीय योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 बकार अहमद शाह)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार से सहायता प्राप्त औद्योगिक आवासीय योजना, 1952 के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में 1000 तथा शिकोहाबद में 252 आवासों की एक-एक श्रमिक कालोनी पूर्व से ही निर्मित है। अतः फिरोजाबाद में श्रमिकों की अन्य कोई आवासीय योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में विकलांगों की पेंशन बढ़ाये जाने की मांग

04-श्री सुरेश बंसल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांग पेंशन मात्र 300/-रु0 प्रतिमाह है, जबकि हरियाणा प्रदेश में 700/-रु0 प्रतिमाह है ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ती महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए विकलांग पेंशन बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। प्रदेश में न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांगजन को रु0 300/- प्रतिमाह विकलांग पेंशन दी जा रही है जबकि हरियाणा में न्यूनतम 70 प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांगजन को रु0 300/- प्रतिमाह तथा दृटिबाधित, मूक बधिर, मानसिक मंदित तथा 100 प्रतिशत अस्थि विकलांगता वाले व्यक्तियों को रु0 600/- प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।

विकलांग पेंशन में वृद्धि प्रदेश की वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को अन्य प्रदेशों की भांति बोनस दिये जाने की मांग

05-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य में प्रति कुन्तल 65/-रु0 की वृद्धि की गयी है जो पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार किसानों को अन्य प्रदेशों की तरह बोनस देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को शोषण से बचाने के लिए निर्धारित मूल्य व बोनस के साथ खरीद करके स्वयं भण्डारण करने की मांग

6-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2012-13 में धान की अपेक्षित खरीद नहीं की गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि धान की अपेक्षित खरीद नहीं होने के कारण तथा कृषि मंत्रालय भारत सरकार के मानक व गुणवत्ता के अनुसार चावल तैयार नहीं होने के कारण भारतीय खाद्य निगम ने चावल लेने से मना कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में किसानों को शोषण से बचाने के लिए निर्धारित मूल्य व बोनस के साथ खरीद करके स्वयं भण्डारण की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 में दिनांक 09-02-2013 तक 15.33 लाख मी0टन धान की गयी है।

खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 में प्राकृतिक एवं अन्य कारणों से धान से उत्पादित चावल में क्षतिग्रस्त दानों का प्रतिशत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 3 प्रतिशत से अधिक आने के कारण प्रारम्भ में भारतीय खाद्य निगम को चावल डिलीवरी की गति धीमी रही थी एवं इस कारण धान खरीद प्रभावित हुई। राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा इस हेतु नामित अधिकृत टीम की आख्या व विश्लेषण के उपरान्त दिनांक 20-12-2012 से चावल में क्षतिग्रस्तता के निर्धारित मानक 3.0 प्रतिशत से शिथिल कर 4.0 प्रतिशत कर दिया गया। तदोपरान्त धान खरीद एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की प्राप्ति मे वृद्धि हुई है।

जी नहीं, वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विकलांगो को पेंशन देने की नीति व पेंशन में बढ़ोत्तरी किये जाने की मांग

07-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांगों को पेंशन दिये जाने की नीति क्या है ? क्या जनपद बलिया में पेंशन के सभी आवेदन-पत्र निस्तारित कर सभी विकलांगों को पेंशन दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए विकलांगों के पेंशन में बढ़ोत्तरी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांगजन जिनकी मासिक आय रु0 1000/- तक हो, को रु0 300/- प्रतिमाह की दर से विकलांगजन पेंशन दी जा रही है।

जी नहीं।

बजट की उपलब्धता के अनुसार विकलांग पेंशन स्वीकृत की जाती है।

जी नहीं।

राज्य सरकार के उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है।

जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत विकलांगों को पेंशन दिये जाने की जानकारी

08-डा0 अरूण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद के बरेली तहसील क्षेत्र अन्तर्गत कितने विकलांगों को विकलांग पेंशन दी जा रही है तथा दिसम्बर, 2012 तक कितने आवेदन अनिस्तारित हैं ? क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2013-14 में (आवेदन किये) सभी विकलांगों को पेंशन देना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

बरेली जनपद के बरेली तहसील क्षेत्र अन्तर्गत 5776 विकलांगों को पेंशन दी जा रही है तथा दिसम्बर, 2012 तक 310 आवेदन-पत्र अनिस्तारित है।

बजट की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सन्तोष यूनिवर्सिटी एवं सन्तोष मेडिकल कालेजों आदि द्वारा एम0बी0बी0एस0, बी0डी0एस0 एवं पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा में कैपिटेशन फीस लेकर दाखिले दिये जाने की जानकारी

09-डा0 अरूण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने मान्यता प्राप्त प्राइवेट मेडिकल और डेन्टल कालेज हैं ? क्या सन्तोष यूनिवर्सिटी एवं सन्तोष मेडिकल कालेज सहित ये कालेज एम0बी0बी0एस0, बी0डी0एस0 एवं पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा में कैपिटेशन फीस लेकर दाखिले करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मान्यता प्राप्त प्राइवेट मेडिकल कालेजों की संख्या-15 तथा प्राइवेट डेन्टल कालेजों की संख्या 25 है।

एम0बी0बी0एस0, बी0डी0एस0 एवं पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा में कैपिटेशन फीस लेकर दाखिले दिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के एस0जी0पी0जी0आई0, एम0एस0 में कतिपय विभागों को चालू कराये जाने की जानकारी

10-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0जी0पी0जी0आई0, एम0 एस0, लखनऊ में प्लास्टिक सर्जरी, पाल्मोनरी, जच्चा-बच्चा एवं बच्चों के विभाग के भवन 2 वर्षों पूर्व बनकर तैयार होने

के बावजूद नर्सों की नियुक्ति न होने के कारण क्रियाशील नहीं हो पाये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन चारों विभागों को व्यवस्थित कर यथाशीघ्र चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

चारों विभागों की ओ0पी0डी0 प्रारम्भ से ही क्रियाशील है।

गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती पर प्रतिबन्ध है। रोक हटने के पश्चात नर्सों/पैरा-मेडिकल स्टाफ आदि की भर्ती कर उक्त विभागों को चालू कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कैम्पस चिकित्सालय स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध का प्रस्ताव

11-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार रूहेलखण्ड मण्डल में एन0एच0-24 पर मीरानपुर कटरा या उसके आस-पास में एम्स की शाखा खुलवाने के लिए केन्द्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड तथा रूहेलखण्ड क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के स्तर का उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थान स्थापित करने अथवा रायबरेली में स्थापित होने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कैम्पस चिकित्सालय स्थापित करने का अनुरोध अर्द्ध0 शा0 पत्र संख्या-1611/71-2-2012-30/12, दिनांक 17 मई, 2012 द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने पर स्थल चयन पर विचार किया जाना संभव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम खुर्दराई को ग्राम पंचायत राईखेड़ा का अंग माने जाने जानकारी

12-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम खुर्दराई, रज्जक नगर/निजामपुर गोटिया अलग-अलग ग्राम पंचायत के अंग हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि भौगोलिक दृष्टि से निजामपुर गोटिया व रज्जकनगर, सहजवाजनगर से दूर होने तथा रेल की पटरी बीच में होने के कारण इसका विकास नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तीनों ग्राम पंचायतों को मिला कर एक ग्राम पंचायत बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

जी हां।

ग्राम खुर्दराई नाम का कोई राजस्व ग्राम नहीं है बल्कि अभिलेखों में राजस्व ग्राम राईखुर्द, ग्राम पंचायत राईखेड़ा का अंग है। शेष दो राजस्व ग्राम अस्तित्व में नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

13-श्री उमेश पाण्डेय-

[दिनांक 20-02-2013 को अता0प्र0सं0-96 द्वारा उत्तरित]

जनपद मऊ में जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय किसानों के धान को क्रय किये जाने सम्बन्धी जानकारी

14-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ में जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय किसानों के धान को क्रय न किये जाने के कारण क्षेत्रीय किसान अपने धान को दलालों एवं बिचौलियों के माध्यम से बेचने हेतु मजबूर होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जी नहीं। खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत जनपद-मऊ में किसानों से दिनांक 13-02-13 तक 10.662 मी0 टन धान की खरीद की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण कराये जाने की नीति

15-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने की क्या नीति है ? क्या महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक ग्राम में घरों के बाहर शौचालय बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

भारत सरकार के नई मार्ग निर्देशिका के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत निम्न श्रेणी में आने वाले लाभार्थियों के शौचालय का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कराया जाना है :-

(क) समस्त बी0पी0एल0 परिवार

(ख) निम्न श्रेणी में आने वाले ए0पी0एल0 परिवार के लिए भी शौचालय का निर्माण कराया जायेगा :-

1-समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति

2-समस्त लघु एवं सीमान्त कृषक

3-समस्त भूमिहीन खेतीहर मजदूर

4-विकलांग सदस्य वाला परिवार

5-वैसा परिवार जिसकी मुखिया महिला हो

निर्मल भारत अभियान योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय उपरोक्त श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि पर बनाये जाने का प्रावधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नये राशन कार्ड बनाये जाने की समय-सीमा की जानकारी

16-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-12-2012 को [समस्त] प्रदेश में पुराने राशन कार्डों की समय-सीमा समाप्त हो गयी है तथा नये राशन कार्ड नहीं बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो नये राशन कार्ड कब तक बनने शुरू होंगे ? क्या इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-3811/29-6-2012-298सा/03, दिनांक 31-12-2012 द्वारा वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डों की वैद्यता अवधि 06 माह (जून, 2013) अथवा उसके पूर्व लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराये जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ायी गयी है।

राशन कार्डों के मुद्रण व वितरण हेतु शासनादेश संख्या-490/29-6-2012-298सा/03, दिनांक 30-04-2012 द्वारा निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं, जिसके क्रम में आयुक्त, खाद्य एवं रसद के आदेश संख्या-217/आ0पू0रा0का0-01(6)/2006, दिनांक 22-01-2013 द्वारा शासनादेश दिनांक 30-04-2012 में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप समस्त जिलाधिकारियों को अपनी अध्यक्षता में समिति गठित कर छः सप्ताह में राशन कार्डों का मुद्रण व वितरण पूर्ण कराने के निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

खाद्यायुक्त के उपरोक्त आदेश दिनांक 22-10-2013 द्वारा छः सप्ताह की समय-सीमा निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर महानगर में बी0पी0एल0 कार्ड बनाने की मांग

17-श्री सतीश महाना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों के बी0पी0एल0 कार्ड अधिकारियों द्वारा न बनाने से आम गरीब जनता को इस मंहगाई के दौर में जीवन यापन करना दूभर हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कानपुर महानगर में बी0पी0एल0 कार्ड बनाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करके बी0पी0एल0 कार्ड बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए 106.79 लाख बी0पी0एल0 परिवारों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनपद कानपुर नगर हेतु

102161 बी0पी0एल0 एवं 63148 अन्त्योदय कुल 165309 राशन कार्ड का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष कुल 165309 बी0पी0एल0 राशन कार्ड प्रचलित है जिनके सापेक्ष बी0पी0एल0 दरों पर खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।

जी नहीं।

बी0पी0एल0 श्रेणी में आने वाले लाभार्थी परिवारों की संख्या में वृद्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है, किन्तु भारत सरकार ने किसी एक राज्य के मामले में इसमें परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया है।

जनपद पीलीभीत के कतिपय ग्रामों के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

18-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या पंचायती मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर, जनपद पीलीभीत की क्षेत्र पंचायत बिलसण्डा में ग्राम वकैनिया, तह0-रामपुर अमृत (भीकमपुर) के पास बीसलपुर बिलसण्डा मार्ग से कनपरा अल्पिका पर पक्षी विहार पसगवां तक के मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान में बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए बेड की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

19-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में गम्भीर बीमारी वाले मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार संस्थान में बेड बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

संस्थान एक शैक्षणिक संस्था है, संचालित पाठ्यक्रमों में शैय्या का निर्धारण मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के मानक के अनुसार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में स्थानीय ताला उद्योग को संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिये जाने की योजना

20-श्री दलवीर सिंह-

क्या लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी (विदेशी) ताले का प्रवेश मार्केट में होने से अलीगढ़ के व्यापारियों को आधुनिक तकनीक की आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थानीय ताला उद्योग को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवत सरन गंगवार-

जी हां, जनपद अलीगढ़ में ताला उद्योग को संरक्षण प्रदान करते हुए निर्यात के प्रोत्साहन हेतु एसाइड योजना के अन्तर्गत रु0 315.77 लाख की लागत से डाई मेंकिंग एवं कास्टिंग हेतु एक सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि0 का ट्रेनिंग एवं सर्विस सेंटर संचालित है, जिसमें ताईवान से आयातित मशीनों द्वारा पिन सिलेण्डर लाक एवं पार्ट्स का प्रशिक्षण एवं सेवाकार्य का लाभ उद्यमियों/कामगारों को सुलभ कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, काला बाजारी एवं मूल्यों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही

21-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जमाखोरी एवं कालाबाजारी के कारण खाद्य वस्तुओं के थोक व खुदरा दामों में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जी नहीं।

प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी एवं मूल्यों को नियंत्रित करने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :-

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की रोकथाम, जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव पर अंकुश लगाने हेतु चावल, दाल, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल पर स्टाक लिमिट लागू है।

आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति तथा मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के सम्बन्ध में आयुक्त, खाद्य एवं रसद के कार्यालय कक्ष में खाद्य नियंत्रण कक्ष स्थापित है, जो खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्य की प्रतिदिन समीक्षा करता है। इस सम्बन्ध में आयुक्त, खाद्य एवं रसद कार्यालय का टोल-फ्री की नम्बर 1800 180 0150 जनसुविधा हेतु उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं में हो रही मूल्य वृद्धि की रोकथाम एवं कालाबाजारी, जमाखोरी पर नियंत्रण हेतु समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सख्ती से कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में माह जनवरी, 2012 से माह दिसम्बर, 2012 तक प्रदेश में 39,766 छापे मारे गये, 1,329 मामलों में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी, 423 व्यक्ति गिरफ्तार, 1,501 व्यक्ति अभियोजित एवं 07 व्यक्तियों को सजा दिलायी गयी। 6,150 दुकानों को निलम्बित एवं 3,939 दुकानों के लाइसेंस निरस्त किये गये तथा 249.01 लाख रुपये की प्रतिभूति एवं 1602.87 लाख रुपये की आवश्यक वस्तुएं जब्त की गयीं।

जनसामान्य को सस्ती दरों पर दालें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित राशन की

दुकानों के माध्यम से रु0 19 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 9378 मी0टन पीली मटर की दाल एवं 48.50 रु0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 1850 मी0टन अरहर दाल की आपूर्ति की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड डुमरियागंज के ग्राम पंचायत तिलगाड़िया बुजुर्ग में मनरेगा से कराये गये कार्यों में धनराशि का दुरूपयोग करने वालों की विरूद्ध कार्यवाही की मांग

22-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड डुमरियागंज के ग्राम पंचायत तिलगड़िया बुजुर्ग के ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी तरीके से खड़न्जा दिखाकर मनरेगा की धनराशि का दुरुपयोग किये जाने की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र तहसील दिवस, डुमरियागंज में दिनांक 20-03-12 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच में दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा कम्प्यूटर से राशन वितरण एवं स्मार्ट कार्ड योजना लागू करने की जानकारी

23-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राशन वितरण में हेराफेरी व कालाबाजारी रोकने के लिये सरकार प्रदेश में कम्प्यूटर से राशन वितरण स्मार्ट कार्ड योजना लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस योजना का प्रारूप क्या होगा ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जी हां।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-196/2001-पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण की चरणबद्ध कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण पर व्यय धनराशि में से 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

कम्प्यूटरीकरण के प्रथम चरण में लाभार्थियों के राशन कार्डों का डिजिटेलाइजेशन विभाग के पोर्टल, शिकायत निवारण केन्द्र की स्थापना एवं सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट के कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया जाना स्वीकृत हुआ है। भारत सरकार की प्लान स्कीम में स्वीकृति प्राप्त होने पर द्वितीय चरण में उचित दर विक्रेताओं के आटोमेशन व एन0पी0आर0 डाटा से सम्बद्ध कर लाभार्थियों को बायोमेट्रिक कार्ड उपलब्ध कराने पर विचार किया जायेगा।

मिर्जापुर मण्डल के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में राशन वितरण स्मार्ट कार्ड को लागू करने की मांग

24-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राशन वितरण स्मार्ट कार्ड योजना सभी मण्डलों के एक-एक जिले में लागू किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार मिर्जापुर मण्डल में उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र का चयन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार भारत सरकार के निर्देशन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। इस प्रणाली के चरणबद्ध कम्प्यूटरीकरण पर व्यय राशि का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किये जाने की व्यवस्था है। भारत सरकार द्वारा इस विषय में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित दर विक्रेताओं के आटोमेशन व लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कार्यवाही द्वितीय चरण में की जायेगी।

जी नहीं।

भारत सरकार के निदेशानुसार वर्तमान में प्रथम चरण में केवल सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट का कम्प्यूटरीकरण प्रक्रियाधीन है।

जनपद गोरखपुर में निर्माणाधीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में शिक्षण सत्र आरम्भ कराये जाने की मांग

25-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में निर्माणाधीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में अगले सत्र, 2013 से प्रथम बैच का शिक्षण कार्य आरम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गोरखपुर का भवन निर्माणाधीन है।

जनपद हमीरपुर सदर में चिकित्सा विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग

26-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर सदर में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय खोले जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख/009404 दिनांक 19-06-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। इस सम्बन्ध में पत्र संख्या-ख/009403, दिनांक 31-6-2012 प्राप्त हुआ है।

बुन्देलखण्ड के जनपद हमीरपुर में चिकित्सा विश्वविद्यालय खोले जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

27-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत फतेहाबाद मार्ग श्यामों मोड़ से बजहेरा नहर तक व बजहेरा नहर से बहेटा सुजगई, विसेरा कलां इरादत नगर मार्ग तक की जर्जर एवं गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत/निर्माण कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर में बीसलपुर रोड पर दुर्गा मन्दिर के पास मुर्गे व बकरे का गोश्त बेच रहे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही

28-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत निगोही में बीसलपुर-शाहजहांपुर रोड पर दुर्गा देवी मन्दिर के पश्चिम मुख्य मार्ग पर बेकर कशाओं द्वारा बडे पैमाने पर बगैर डाक्टरी परीक्षण कराये मुर्गे व बकरों को हलाल किया जाता है जिससे भारी दुर्गन्ध आती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

स्थलीय निरीक्षण किया गया। तख्त पर अस्थायी रूप से तीन व्यक्ति मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर मुर्गे व बकरे का गोश्त बेच रहे थे। उनके पास न तो नियमानुसार जिला पंचायत का लाइसेन्स था और न ही जिला पंचायत द्वारा लाइसेन्स जारी किया गया है। उनके द्वारा न ही डाक्टरी परीक्षण का कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया।

उन व्यक्तियों को निरीक्षण के समय ही स्थल से हटा दिया गया है। वैधानिक कार्यवाही हेतु थानाध्यक्ष, निगोही को पत्र दिनांक 7-2-2013 द्वारा लिखा गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत धान क्रय केन्द्र खोले जाने की जानकारी

29-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत धान क्रय केन्द्र स्थापित न होने के कारण कृषकों को अपना धान बेचने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्रय केन्द्र स्थापित करते हुए अन्य विभागों द्वारा खोले गये क्रय केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जी नहीं।

कृषकों की सुविधा के लिये शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत खाद्य विभाग तथा अन्य सरकारी क्रय एजेन्सियों के कुल निम्न 06 क्रय केन्द्र खोले गये हैं :-

1-विपणन शाखा-सिधौली तथा तिलहर मण्डी।

2-पी0सी0एफ0-स0स0लि0 सिधौली।

3-एस0एफ0सी0-तिलहर मण्डी।

4-यू0पी0एस0एस0-सण्डाखास।

5-नेफैड-राजनपुर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में ग्राम पंचायत स्तरीय रिक्त सफाई कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति की मांग

30-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में ग्राम पंचायत स्तरीय सफाई कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जनपद आगरा में सफाई कर्मचारियों के 54 पद रिक्त हैं।

मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सफाई कर्मियों के विकलांगजन के बैकलाग की पूर्ति हेतु 08 पदों का विज्ञापन दिनांक 25-11-2012 को प्रकाशित कराया जा चुका है। सामान्य भर्ती हेतु समूह ''घ'' के पदों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध है। अतः शेष पदों पर भर्ती की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज लखनऊ में मानक के अनुसार डाक्टर तथा टेक्नीशियन उपलब्ध कराये जाने की मांग

31-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ में मानक के अनुसार डाक्टर तथा टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त इन्स्टीट्यूट को मानक के अनुरूप डाक्टर तथा टेक्नीशियन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

निर्धारित प्रक्रियानुसार औपचारिकताएं पूर्ण होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत पंचायती राज विभाग द्वारा स्वचालित शौचालय निर्मित कराये जाने की मांग

32-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में वर्ष 2000 से अगस्त, 2012 तक कितने स्वचालित शौचालय कहां-कहां निर्मित कराये गये हैं ? क्या यह सही है कि गुणवत्ता में मानक के अनुरूप नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

स्वचालित शौचालय निर्मित किये जाने सम्बन्धी योजना पंचायती राज विभाग में संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रम विभाग के अन्तर्गत आने वाली श्रमिक कालोनियों में उनमें निवास कर रहे अध्यासियों को उनका मालिकाना हक प्रदान कराने की मांग

33-श्री सतीश महाना-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग के अन्तर्गत आने वाली श्रमिक कालोनियां जो अत्यन्त जर्जर हालत में हैं, को उनके मूल आवंटी अथवा उनके कब्जेदारों को मालिकाना हक देने की नीति बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रमिक कालोनियों को उनमें निवास कर रहे अध्यासियों को उनका मालिकाना हक प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2788/36-4-94-18/1992, दिनांक 24-9-1994, संख्या-515/36-4-95-16/1992, श्रम अनुभाग-4, दिनांक 21-2-1995 एवं पत्र संख्या-41 सी0एम0/36-4-1995-18/1992, दिनांक 07-12-1995 निर्गत किये गये थे परन्तु अध्यासियों द्वारा रुचि न लिये जाने के कारण भवनों को हस्तान्तरण नहीं हो सका।

प्रदेश के समस्त राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों में लेक्चरर, रीडर व प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने की मांग

34-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्टेट नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कालेज, लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय इलाहाबाद, स्टेट होम्योपैथी मेडिकल कालेज मुरादाबाद, स्टेट होम्योपैथी कालेज गाजीपुर, डा0 बी0एच0 होम्योपैथी मेडिकल कालेज फैजाबाद व होम्योपैथी मेडिकल कालेज आजमगढ़ में केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के मानक के

अनुसार लेक्चरार, रीडर व प्रोफेसर तैनात हैं ? यदि नहीं तो क्या सरकार इन कालेजों में मानक के अनुसार लेक्चरार, रीडर व प्रोफेसर तैनात करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी हां।

प्रदेश के समस्त राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों एवं अस्पताल में रिक्त पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अधियाचन प्रेषित किया जा चुका है। आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। आयोग से शेष चयन की सूची प्राप्त होने पर नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में सी0एन0जी0 गैस के नये फिलिंग स्टेशन स्थापित कराये जाने की मांग

35-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में लाखों की संख्या में सी0एन0जी0 गैस आधारित वाहन, गैस हेतु कई-कई घण्टे लाइन में खड़े रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सी0एन0जी0 गैस के नये फीलिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जनपद आगरा में ताजमहल होने के कारण प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाये रखने के लिये सी0एन0जी0 से संचालित आटो रिक्शा ही चलने के लिये अधिकृत हैं। जनपद में कार्यरत सी0एन0जी0 स्टेशनों की संख्या को देखते हुए सी0एन0जी0 संचालित वाहनों की संख्या बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त आटो रिक्शाओं में अन्य चार पहिया वाहनों की तुलना में सी0एन0जी0 भरने में अधिक समय लगने के कारण सी0एन0जी0 स्टेशनों पर आटो रिक्शा वाहनों की लाइन लग जाती है। प्रदेश के किसी भी जनपद में सी0एन0जी0 गैस के नये फिलिंग स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही भारत सरकार के नियंत्रणाधीन तेल कम्पनियों द्वारा की जाती है। अतः प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने का औचित्य नहीं है।

जनपद गोरखपुर के तहसील गोला के ग्राम मामखोर में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हेतु भवन के निर्माण की मांग

36-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के तहसील गोला के ग्राम-मामखोर एवं भीटी-पड़ौली में आयुर्वेदिक चिकित्सालय किराये एवं जर्जर खाद के गोदाम में चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पतालों का भवन निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद गोरखपुर के तहसील गोला के ग्राम-मामखोर में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय किराये के मकान में एवं ग्राम भीटी-पड़ौली में बीज गोदाम में निःशुल्क संचालित है।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापनाए/भवन निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत की जाती है। इसके लिए जिला योजना अनुश्रवण समिति का प्रस्ताव भूमि एवं बजट की उपलब्धता आवश्यक होती है। मामखोर हेतु जिला योजना अनुश्रवण समिति का प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा भीटी-पड़ौली हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण अभी भवन निर्माण संभव नहीं है।

उक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के कतिपय बारातघरों व कम्युनिटी हालों के निर्माण कार्य को पूरा किये जाने की जानकारी

37-श्री राकेश बाबू-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में जिला पंचायत फिरोजाबाद के अधीन निर्माणाधीन कम्युनिटी हाल-ओवरा, ब्लाक नारखी कम्युनिटी हाल-कुसवाहा बस्ती, बछगांव, ब्लाक-नारखी, कम्युनिटी हाल जाटव बस्ती बछगांव, ब्लाक-नारखी तथा कम्युनिटी हाल इमलिया (रामगढ़ उम्मरगढ़), ब्लाक टूण्डला का निर्माण कार्य पूरा किये जाने की समय-सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

1-ओवरा (ओखरा) में अम्बेडकर पार्क की बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत एवं बारातघर का निर्माण दिनांक 22-3-2012।

2-कुशवाहा बस्ती बछगांव में बारातघर का निर्माण दिनांक 14-2-2012।

3-कम्युनिटी हाल जाटव बछगांव के अम्बेडकर पार्क में बारातघर एवं बाउन्ड्रीहाल का निर्माण दिनांक 6-3-2012।

4-इमिलिया में अम्बेडकर पार्क पर बारातघर एवं गेट आदि का निर्माण दिनांक 18-8-2011।

धनाभाव के कारण कार्य स्थगित कर दिया गया था। वर्तमान में धन उपलब्ध हो गया है। कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

[12-20 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22-02-2013 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गईं। पहली सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत सेक्टर डी एवं सेक्टर सी के सभी मुहल्लों-गलियों में अविलम्ब सीवर लाइन बिछवाने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में स्थापित मुस्तफाबाद स्वास्थ्य केन्द्र में 63 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री विजय बहादुर यादव की जनपद गोरखपुर के ब्लाक खेराबार अन्तर्गत राप्ती नदी में चन्दा घाट पर स्थाई पुल का निर्माण न

किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चौथी सूचना श्री राघव लखनपाल की जनपद सहारनपुर में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र रूदौली के सल्टौआ ब्लाक में अइला घाट पर निर्माणाधीन पुल के निर्माण कार्य को पुनः आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्री राकेश बाबू की जनपद फिरोजाबाद के कतिपय मार्गों के अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा की कतिपय जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री शारदा प्रताप शुक्ला की चौ0 चरण सिंह एयरपोर्ट अथॉरिटी लखनऊ द्वारा वहां के स्थानीय किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, नवीं सूचना श्री हुकुम सिंह की जनपद शामली के विकास खण्ड ऊन के गावों एवं मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्री मदन गोपाल वर्मा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के ग्राम बसन्तखेड़ा व सुल्तानगढ़ के मध्य 133 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में, ग्यारवीं सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में शासन द्वारा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन का लाभ सभी लाभार्थियों को न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना श्री रामलाल अकेला की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में 3 कि0मी0 लम्बे बाई-पास का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, तेरहवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले रूदौली-नवाब बाजार सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर तहसील में ओलावृष्टि से किसानों की फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, पन्द्रहवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य बिना टेंडर कराये, आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई।

1-डा0 अरुण कुमार, 2-श्री ललितेशपति त्रिपाठी, 3-श्री प्रदीप चौधरी, 4-श्रीमती रूबी प्रसाद, 5-श्री भगवती प्रसाद, 6-श्री गोरख पासवान, 7-श्री जय प्रकाश अंचल, 8-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, 9-श्री पंकज कुमार मलिक।

(स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई।)

इलाहाबाद में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत सेक्टर डी एवं सेक्टर सी के सभी मुहल्लों-गलियों में अविलम्ब सीवर लाइन बिछवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[मान्यवर, इलाहाबाद में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत डी0 डिस्ट्रिक्ट (सेक्टर) में सीवर लाइन व एस0टी0पी0 का निर्माण 20-12-2012 कुम्भ मेला के पहले पूर्ण होना था, किन्तु गंगा प्रदूषण इकाई (जल निगम) इलाहाबाद की अकर्मणयता, भ्रष्टाचार व

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भेदभावपूर्ण कार्यवाही से यह मिशन असफल होता जा रहा है। इस क्षेत्र के गंगानगर, राजापुर, ऊंचवागढ़ी, शान्तिनगर, ओमनगर, वेलीगांव, म्योराबाद, ममफोर्डगंज, मधवापुर, तुलारामबाग, दारागंज, अलोपीबाग, सोहबतियाबाग आदि मुहल्लों की सभी सड़कों गलियों में अभी तक सीवर लाइन नहीं विछाई गई है जिससे यहां के काफी नागरिक इससे सदैव-सदैव के लिये वंचित हो जायेंगे।

इसी योजना के अन्तर्गत सी सेक्टर की भी स्थिति स्पष्ट न होने से यहां क्षेत्रिय विकास निधि व अन्य विभागों से सड़कों गलियों का निर्माण अधर में लटका है। सीवर लाइन से सड़कें खुद जाती है और धन का अपव्यय होता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर डी सेक्टर के सभी मुहल्लों-गलियों में सीवर लाइन अविलम्ब विछवाने तथा सेक्टर सी में सीवर लाइन बिछाने की समय सीमा निश्चित कराने की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में स्थापित मुस्तफाबाद स्वास्थ्य केन्द्र में 63 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज, जनपद बहराइच में 30 बेड वाले निर्मित मुस्तफाबाद स्वास्थ्य केन्द्र में बिजली का अभाव है। यहां पर 63 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर प्रस्तावित होने के बावजूद 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगा है जो रोज फुंक जाता है, जनरेटर की सुविधा नहीं है परिणामस्वरूप पानी व प्रकाश का अभाव है। इमरजेंसी की सुविधा नहीं है, इमरजेंसी के लिये आवश्यक उपयोगी दवायें भी उपलब्ध नहीं है। एक्स-रे टेक्नीशियन है परन्तु एक्स-रे मशीन नहीं है। आपरेशन थियेटर में अब तक एक भी आपरेशन नहीं हुआ है उसमें कबूतर निवास कर रहे हैं क्यों कि बिजली, पानी तथा दवायें नहीं है। डाक्टर एवं नर्सों की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इस चिकित्सालय में अभी तक कोई प्रभारी चिकित्साधिकारी नियुक्त नहीं है। परिणामतः करोड़ों की लागत से बनी विशाल बिल्डिंग सरकार इस व्यवस्था को चिढ़ा रही है। इससे जनमानस का दर-दर इलाज के लिये भटकना पड़ रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए 30 बेड वाले मुस्तफाबाद स्वास्थ्य केन्द्र पर उपरोक्त समस्त व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के ब्लाक टवोरा बार अन्तर्गत राप्ती नदी में चन्दा घाट पर स्थाई पुल का निर्माण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव-

[महोदय, जनपद गोरखपुर के ब्लाक खोराबाद अन्तर्गत ग्राम प्यासी के पास चन्दा घाट पर पान्टून का अस्थाई पुल बना है। इस पान्टून पुल पर आवागमन का अत्यधिक दबाव है प्रतिदिन लाखों लोगों का आना-जाना होता है। जिस पर देवरिया-गोरखपुर से होकर चंवरी, रायगंज, बेलवार, तरकुलानी, गौर, बरसाइत, कुंई होकर चन्दाघाट पार करके सोहगौरा, मलांव होते हुए कसिहार के पास

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोरखपुर- वाराणसी मार्ग को जोड़ता है। बरसात के दिनों इस पान्टून के पुल को हटा दिया जाता है जिससे उक्त आवागमन पूर्ण रूप से बाधित होने के कारण पचासों कि0मी0 की दूरी तय करके आना-जाना पड़ता है। इससे आम नागरिकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनहित में चन्दा घाट पर स्थाई पक्के पुल का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ग्राम प्यासी के पास राप्ती नदी के चन्दा घाट पर स्थाई पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राघव लखन पाल शर्मा-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर नगर का व्यापारी वर्ग वर्तमान में अपनी समस्याओं को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन से गुहार लगा चुका है परन्तु उसकी समस्याओं का निराकरण अभी तक सम्भव नहीं हो सका है जिस कारण व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है।

वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 श्री एस0एस0 गंगवार द्वारा व्यापारियों के प्रति तानाशाही व निरंकुश कार्यशैली का परिचय देते हुए जमकर आर्थिक एवं मानसिक शोषण किया जा रहा है। इनके द्वारा शोषण की नीयत से रजिस्टर्ड एवं ईमानदार व्यापारियों का माल रोककर जांच के नाम पर माल को सीज किया जा रहा है। 80 प्रतिशत मामलों में अवैध धन उगाही करके माल को बिना पेनाल्टी के छोड़ दिया जाता है। इसके साथ एस0आई0बी0 की जांच तथा छापे बिना उच्चाधिकारियों की अनुमति के डाले जा रहे हैं। मात्र 3-4 जगहों पर ही जिलाधिकारी सहारनपुर से अनुमति लेकर छापे डाले गये हैं। करमुक्त व्यवसाय पर भी जबरदस्ती पंजीयन कराने के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। नये रजिस्ट्रेशन का मामला हो या फार्म-38 लेना हो या प्रतिवर्ष केस कराने के नाम पर सुविधा शुल्क निर्धारित है। श्री एस0एस0 गंगवार की विभागीय जांच हेतु नोएडा जोन के आई0ए0एस0 अधिकारी श्री रविन्द्र को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जब तक जांच चल रही है तब तक श्री गंगवार को किसी अन्य जनपद में स्थानान्तरित या कार्यमुक्त कर दिया जाय। जांच अधिकारी द्वारा नोएडा से ही जांच की कार्यवाही की जा रही है जबकि उनको सहारनपुर आकर जांच पूरी करनी चाहिये।

सहारनपुर का व्यापारी वर्ग लगातार आन्दोलनरत है तथा धरना-प्रदर्शन व पुतला दहन के माध्यम से अपने रोष का इजहार कर रहा है। शांन्ति व्यवस्था की स्थिति कभी भी खराब हो सकती है। इन्हीं व्यापारियों से सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। इस चेकिंग से विभाग में फैले भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिल रहा है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 श्री एस0एस0 गंगवार को सहारनपुर नगर से अन्यत्र किसी जनपद में स्थानान्तरित किये जाने तथा नियम विरुद्ध कार्य करने पर उनके विरुद्ध कार्य करने पर उनके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र रुदौली के सल्टौआ ब्लाक में अइला घाट पर निर्माणाधीन पुल के निर्माण कार्य को पुनः आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद-बस्ती में विधान सभा क्षेत्र-रुदौली के सल्टौआ ब्लाक में स्थित अइला घाट पर सेतु निर्माण निगम, बस्ती के द्वारा पुल के निर्माण को वन विभाग, बस्ती के द्वारा कार्य रोकने हेतु नोटिस दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पुल के निर्माण का कुछ हिस्सा वन विभाग की जमीन में आ रहा है जब तक जमीन का स्थानान्तरण नहीं हो जाता तब तक यदि कार्य कराया गया तो मुकदमा पंजीकृत करा दिया जायेगा। नोटिस प्राप्त होने के बाद सेतु निर्माण निगम बस्ती के द्वारा पुल निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। अइला घाट पर पायल ब्रिज का निर्माण मेरी जानकारी में 40-50 वर्ष पूर्व में की गई थी जो कि विगत 02 वर्ष से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ग्रामीणों के द्वारा बांस-बल्ली के सहारे आवागमन का कार्य किसी तरह चलाया जा रहा था। जनपद-बस्ती तथा गोण्डा के सरहदी मार्ग पर बने इस पुल का आवागमन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा नये पुल निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी परन्तु कार्य शुरू होने के कुछ दिन के उपरान्त ही कार्य बन्द करा दिया गया तथा ग्रामीणों के आवागमन का कार्य पुराने जर्जर पुल से ही होता रहा। पुल निर्माण हेतु मेरे क्षेत्र के लगभग 50 गांवों के निवासियों के द्वारा नये पुल के निर्माण के तथा पुराने पुल पर हो रही दुर्घटनाओं के खिलाफ धरना-प्रदर्शन, पत्रकारों द्वारा समाचार-पत्र के माध्यम से इस पुल के निर्माण के सम्बन्ध में सूचना प्रकाशित कराई गई तब जाकर सेतु निर्माण निगम, बस्ती की नींद टूटी तथा दिसम्बर, 2012 के आखिरी दिनों में कार्य फिर से प्रारम्भ कराया गया जो अब वन विभाग की आपत्ति के कारण पुनः रोक दिया गया है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद फिरोजाबाद के कतिपय मार्गों के अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश बाबू-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-फिरोजाबाद विधान सभा टूण्डला के अन्तर्गत 2011-12 में स्वीकृत मार्ग निम्नवत् हैं जिला योजना 2011-12

1-गोथुवा सकरौली मार्ग से मिलक तक।

2-आतीपुर से खेरिया मार्ग।

3-नगला धनी की अधूरी डावर की सड़क से नगला जरिया तक।

4-भीकनपुर मार्ग से रहपुरा मार्क तक।

उपरोक्त मार्ग अधूरे पड़े रहने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति काफी जनाक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त मार्गों को यथाशीघ्र पूरा कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा की कतिपय जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि हमारे जनपद-मथुरा में मेरे बल्देव विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न सड़कें पूर्ण रूप से क्षत विक्षत एवं जर्जर होने के कारण अन्य जनपदों के आने जाने का आवागमन बन्द हो गया है जिससे क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को आवागमन में बहुत अधिक असुविधा हो रही है। अतः जनहित में निम्न सड़कों का नवनिर्माण/मरम्मत कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है जिनका विवरण निम्नलिखित है।

1-मथुरा से सादाबाद मार्ग (मथुरा जनपद की मुख्य सड़क सं0 102) पुनः निर्माण/विशेष मरम्मत,

2-राया से बलदेव मार्ग,

3-झुड़ावई से अच्छेहरा मार्ग टूटे हुए पुनः निर्माण/विशेष मरम्मत,

4-अवैरनी पचावर मार्ग पर नगला रायसिंह से ग्राम नगला रतिया तक लगभग 1.50 कि0मी0,

5-नगला लोका से नगला बीच तक लगभग 1.00 कि0मी0,

6-पचावर से नगला रतिया होते हुए बल्देव जुगसना मार्ग तक लगभग 3.00 कि0मी0,

7-पचावर जुगसना मार्ग से नगला कुजी होते नगला वाला तक लगभग 1.500 कि0मी0,

8-पचावर से नगला चेता भडऊगड़ होते हुए अनौडा तक लगभग 5.00 कि0मी0,

9-जुगसना राजवाहा से बल्टीगढ़ी खेड़ा तक 1.50 कि0मी0,

10-बल्देव जुगसना मार्ग पर सरकण्ड से नगला विधि होते हुए दधैटा तक 2.00 कि0मी0,

11-सरायदाऊद से नगला बुर्ज तक 1.50 कि0मी0,

12-बल्देव जुगसना मार्ग पर जुगसना से नगला मेदू तक 1.00 कि0मी0,

13-पचावर कारब मार्ग पर स्थित माइनर की पटरी बल्देव राया मार्ग तक 1.500 कि0मी0,

14-राया सादाबाद मार्ग पर तम्बका से नगला बीच तक लगभग 1.50 कि0मी0,

अतः इस जनहित व लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से नवनिर्माण/विशेष मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

चौ0 चरण सिंह एयर पोर्ट अथारिटी लखनऊ द्वारा वहां के स्थानीय किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान लखनऊ जनपद के इस ज्वलंत मुद्दे की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं, ग्राम बेहसा, चिल्लावा, गुडौरा, छुहारा खेड़ा व भक्तीखेड़ा आदि के किसान जिस पर खेती कर अपना जीवनयापन करते हैं। वह जमीन नानजेड श्रेणी में दर्ज है। जिसका मालिक कायस्थ पाठशाला था। सभी किसान सिकमी कास्तकार है। जमींदारी प्रथा समाप्त होने पर यह जमीन किसानों के नाम दर्ज होनी चाहिये थी, किन्तु राजस्व विभाग द्वारा किसानों को आज तक भूमिधर घोषित नहीं किया गया है। एयरपोर्ट अथारिटी उक्त भूमि का गजट करके भूमि अधिग्रहण करना बताया जा रहा है, परन्तु जिस भूमि का गजट हुआ है, उस पर अथारिटी पहले से ही काबिज है। जिस भूमि पर किसान खेती कर रहे हैं उसका फर्जी गजट दिखाकर अथारिटी जबरन कब्जा कर किसानों का उत्पीड़न कर रही है।

उपरोक्त भूमि में से कुछ भूमि पर विभिन्न मा0 न्यायालयों में वाद लम्बित है। जिसमें से वाद संख्या-3856/2010 का मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ से किसानों को स्टे मिला हुआ है।

अतः इस गम्भीर विषय को सरकार के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद शामली के विकास खण्ड ऊन के गांव एवं मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हुकुम सिंह-

[महोदय, शामली जनपद का विकास खण्ड ऊन सर्वाधिक पिछड़ा विकास खण्ड है। कृषकों के लिये न तो यहां पर कोई नहर प्रणाली की सुविधा उपलब्ध है और न ही सरकार की ओर से सिंचाई हेतु किसी अन्य सुविधि को उपलब्ध कराया गया है। इस विकास खण्ड के 60 से अधिक गांव/मजरे ऐसे हैं जिनमें निर्बल वर्ग एवं अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। परन्तु इन गांव/मजरों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। विवश होकर गांववासियों को अंधेरे में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। प्रदेश के विद्युत परिषद् से लेकर स्थानीय अधिकारियों तक दर्जनों बार मिलकर तथा पत्राचार के माध्यम से आग्रह किया गया कि प्राथमिकता के आधार पर प्रश्नगत गांव/मजरों का विद्युतीकरण करा दें। परन्तु विभाग की ओर से कोई सकारात्मक कार्यवाही अब तक नहीं की गई है।

यह जनहित का प्रश्न है। मेरा अनुरोध है कि सरकार को निर्देशित किया जाय कि अविलम्ब उक्त गांव/मजरों का विद्युतीकरण करायें।]

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के ग्राम बसन्त खेड़ा व सुल्तानगढ़ के मध्य 133 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन गोपाल वर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 238 जहानाबाद जनपद फतेहपुर बहुत ही पिछड़ा एवं गरीब क्षेत्र है। चार नदियों के बीच का क्षेत्र है एक तरफ गंगा, बीच में रिन्द नदी तथा दूसरी तरफ यमुना नदी बहती है। यमुना पट्टी बुन्देलखण्ड से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भी ज्यादा बदतर स्थिति में है क्षेत्रीय जनता की मांग है कि ग्राम बसन्त खेड़ा व सुल्तानगढ़ के बीच 133 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने की नितान्त आवश्यकता है जिससे किसानों को बिजली मिलने से खेती की सिंचाई व छात्रों की पढ़ाई हो सके।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में शासन द्वारा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन का लाभ सभी लाभार्थियों को न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद-गोरखपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के अन्तर्गत शासन द्वारा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन को संचालित किया जा रहा है, लेकिन क्षेत्र में लगभग 20 या 30 प्रतिशत लोगों को ही लाभ मिल पा रहा है। उक्त योजनाओं को क्षेत्र में बड़ी धीमी गति से क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिससे क्षेत्र में काफी संख्या में पात्र लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार स्थानीय अधिकारियों एवं उच्च अधिकारियों से उक्त समस्या के निराकरण हेतु अनुरोध किया परन्तु अभी तक शासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में 3 कि0मी0 लम्बे बाईपास का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम लाल अकेला-

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत जनपद रायबरेली के अन्तर्गत क्षेत्रीय जनता की आवागमन जैसी गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु बछरावां बाईपास का निर्माण लखनऊ-इलाहाबाद मार्ग एन0एच0 24 बी, कि0मी0 49 से बहराइच-बांदा राष्ट्रीय मार्ग 13, किमी0 1.77 के मध्य का निर्माण कार्य लम्बाई 3.00 कि0मी0 का बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मेरा सरकार से उपरोक्त बाईपास बनाये जाने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले रूदौली-नवाब बाजार सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[महोदय, जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत रूदौली-नवाब बाजार नया गंज एहार मांगी सुधारपुर सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 11 कि0मी0 विगत दो वर्षों से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। उक्त मार्ग तहसील रूदौली के वासियों को जनपद मुख्यालय आने-जाने का मुख्य मार्ग है। क्षेत्रवासियों द्वारा उपरोक्त मार्ग के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कराये जाने की मांग विगत कई वर्षों से की जाती रही है। मेरे द्वारा भी उक्त मार्ग के विशेष मरम्मत कराये जाने व चौड़ीकरण कराये जाने का अनुरोध-पत्र के माध्यम से माननीय मंत्री जी से किया गया जिसके कारण लोक निर्माण विभाग खण्ड-2 द्वारा मार्ग के विशेष मरम्मत का प्रस्ताव भी शासन को प्रस्तुत किया गया। परन्तु अभी तक इस मार्ग के विशेष मरम्मत के प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा नहीं दी गई है। जिसके कारण ग्राम पंचायत सधारपुर, चांदपुर, मांगी, कोंड़रा, एहार, हरिहरपुर बलइया, सराय मुगल, सिपाभट, सौंसा, सरकटिया, परसौली, सराय हामिद व रूदौली नगर की लगभग 01 लाख आबादी को आवागमन की गम्भीर कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। मार्ग के विशेष मरम्मत व चौड़ीकरण न कराये जाने से क्षेत्रवासियों में गम्भीर आक्रोश व्याप्त है। इस सम्बन्ध में ग्रामवासी आये दिन धरना-प्रदर्शन भी कर रहे हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए रूदौली-नवाब बाजार, नयागंज, एहार मांगी, सधारपुर सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर तहसील में ओलावृष्टि से किसानों की फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[महोदय, तहसील गढ़मुक्तेश्वर के अन्तर्गत पिछले दिनों में बारिस व ओलावृष्टि से भारी फसल नष्ट होने से हानि हुई है। कर्ज लेकर किसानों ने सरसो, गेहूं, आलू आदि फसलों के बीज, खाद, सिंचाई, उर्वरक का इन्तजाम किया था लेकिन ओलावृष्टि से खेतों के खड़ी फसलों के नष्ट होने से किसानों के बरबाद होने की आशंका हो गई है क्योंकि यह सूचना अत्यन्त लोकमहत्व, अविलम्बनीय किसानों से जुड़ी है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।]

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य बिना टेंडर कराये, आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय-

[मान्यवर, संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-मऊ के मेरे विधान सभा क्षेत्र मधुवन के विकास खण्ड-फतहपुर मण्डाव, घोसी एवं कोपागंज के अन्तर्गत अदरी कटघरा मोड़ शहीद मार्ग पर बिना टेण्डर कराये दो फर्मों को केवल बाण्ड बनाकर कार्य आवंटित कर दिया गया है, इन दोनों फर्मों को रु0 8.18 करोड़ निर्गत भी कर दिया गया है, जो रु0 44 करोड़ की लागत से बनने वाली है, सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के कारण सरकार को करोड़ों रुपये का भारी राजस्व हानि हुई है। जिसकी क्षेत्रीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार शिकायत भी की गई है परन्तु अभी तक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासन स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न ही दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की भी मांग करता हूं।]

[12.25] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22 फरवरी, 2013 को नियम-300 के अन्तर्गत 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं पहली सूचना श्री रामचन्द्र यादव की है विधान सभा द्वारा स्वीकृत नियम-301 की सूचनाओं का उत्तर माननीय सदस्य को समय पर न प्राप्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी जी की भा0दं0प्र0 संहिता के सेक्शन 498ए के तहत दहेज उत्पीड़न के अन्तर्गत निर्दोष महिलाओं एवं अबोध बच्चों के जेल में बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप की जनपद बहराइच की पयागपुर, विशेश्वरगंज तथा हुजूरपुर विकास खण्डों को मिलाकर नई तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री राकेश बाबू की जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा टुण्डला में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत ग्रामों में ठेकेदारों द्वारा कराये गये विद्युतीकरण के कार्यों को अधूरा छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, 109 तथा 110 के अन्तर्गत निर्दोषों को जेल में निरुद्ध कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्री मदन चौहान की विधान भवन के गेट नं0 1 व 3 के सामने दारुलशफा विधायक निवास के लिये जाने हेतु सड़क पर पैदल पथ बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

देखिये माननीय सदस्य सभी जानते हैं, नियमावली भी पढ़े होंगे यह नियमावली में किस-किस प्रकार के तथ्य रहते हैं तब वह नियम-300 का प्रश्न बतना है। इसमें सभी ने किसी ने सड़क बनाने के लिये लिख दिया किसी ने तहसील बनाने के लिये लिख दिया किसी ने कुछ लिख दिया यह इस पर नहीं होता है। मैं आप सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं अगर आप यह सूचना ले करके मेरे पास पहले आ जाया करें तो मैं आपको पूरा समझा दूं कि बनता है या नहीं अगर आप नहीं प्रयास करते हैं समझने का तो समझ लीजिये समय बर्बाद करने से क्या फायदा। यह सब इसमें बनते नहीं।

विधान सभा द्वारा स्वीकृत नियम-301 की सूचनाओं का उत्तर समय पर प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

श्री रामचन्द्र यादव का है 301 की सूचना विधान सभा से सम्बन्धित है इसका उत्तर नहीं मिलता है तो यह तो कुछ बन सकता है कुछ औचित्य। आप बतायें आपको नहीं मिली सूचना।

श्री रामचन्द्र यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, यह दो महीने की बात बता रहे हैं और यह दो महत्वपूर्ण सूचनायें 301 की हैं इन पर अभी तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कोई भी जवाब, कोई भी उत्तर आज तक नहीं दिया गया, यह गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह जरा दिखवा लें इनका 301 का उत्तर नहीं पहुंचा है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जी मान्यवर, जैसा आदेश है।

भा0दं0प्र0 संहिता के सेक्शन 498ए के तहत दहेज उत्पीड़न के अन्तर्गत निर्दोष महिलाओं एवं अबोध बच्चों के जेल में बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना माननीय प्रमोद तिवारी जी की है। तिवारी जी आप तो घुमा कर 300 बना ही देते हैं। यह आपका विषय है फौजदारी की दफाओं में यह जो बच्चे दहेज उत्पीड़न में बन्द हैं, यह 300 कैसे बनता है, आप बताइये।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं अपनी बात रखकर, फिर 300 कैसे बनता है, यह बता दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त मानवीय प्रश्न है। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कृपापूर्वक इस पर विचार कर लें एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान्यवर, आज आप जेलों में चले जायें, विजिटर के रूप में हमारा अधिकार है, हम जाते हैं या समाज में हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं। मान्यवर, एक विधा बहुत चल गई है भगवान न करें दुर्भाग्य से किसी के घर में कोई बहू आत्महत्या कर ले या किसी कारण से उसकी हत्या हो जाये। मान्यवर, जिसने हत्या की है, वह हत्यारा है उसे भारत के कानून के मुताबिक फांसी पर लटका देना चाहिये, इसमें कहीं कोई विचार-विमर्श की जरूरत नहीं। पर यह 498ए के कारण उस घर में बूढ़े मां-बाप, वह भाई-बहन, यहां तक कि वह बहन मान्यवर, जिसकी शादी हो चुकी है और जो दूसरे परिवार में जा चुकी है यही नहीं, मां-बाप के साथ दो और तीन साल के मासूम और अबोध बच्चे जेल में जा रहे हैं, घर में अगर 5 साल, 6 साल, 7 साल की मासूम लड़की है, वह जेल में जा रही है, 6-7 साल का बच्चा है, वह जेल में जा रहा है, आप कल्पना करें मान्यवर, कि कुछ दिनों बाद पता लगता है और सब कहते हैं मान्यवर, इन्वेस्टीगेटिंग आफीसर से पूछिये वह कहता है हां मुझे मालूम है कि लड़की की शादी हो गई है और घटना के दिन यह दूरदराज तक नहीं थी, यह अपने परिवार में अपनी ससुराल में थी। लड़का पढ़ने के लिये हास्टल में था लेकिन उसके बावजूद भी 498ए के तहत परिवार और परिवार के सभी रिश्तेदार एक लम्बे समय तक जेल में रहने के लिये मजबूर हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपसे ज्यादा मान्यवर, समाज में कोई नहीं घूमता, आप स्वयं देखते होंगे कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में इस तरह की शिकायतें आम हो गई होंगी। हम यहां इस सदन में इसलिये नहीं बैठे हैं कि सिर्फ तकनीकी बातों पर जायें। इस सदन को ही यह अधिकार है इस प्रदेश में, कि वह नियम और कानून परिवर्तित कर सकता है। यह अधिकार हमको मान्यवर, मिला हुआ है। लाखों लोग हैं जो यह सपना देखते हैं कि कभी इस विधान सभा में पहुंचें लेकिन सबका भाग्य नहीं होता है। जो लोग यहां पहुंच गये हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। दल के बंधन अपनी जगह हैं लेकिन कहीं मानवीय प्रश्न पर दलों के बंधन टूटने चाहिये और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूरे सदन को एक होना चाहिये। 498ए का जितना सदुपयोग हो रहा है उससे ज्यादा 100 गुना दुरुपयोग हो रहा है। 3 साल और 4 साल की बच्ची को जेल में भेजने का क्या औचित्य है, गर्भवती महिलायें जिनके बच्चे जेल में जन्म ले रहे हैं, उनको जेल में रहने का क्या अधिकार है। मैं मान्यवर, अनुग्रहीत होऊंगा। मैंने अपनी समस्या रख दी है आप कृपापूर्वक वहां से बता दें कि हो सकता है कि यह नियम-300 में आये या न आये पूरी तरीके से। लेकिन अगर लगता है कि यह मानवीय प्रश्न है और इससे समाज में कहीं न कहीं एक बड़ा तबका प्रभावित हो रहा है तो मान्यवर, आज आप उस पीठ से निर्देश दें कि संकल्प लेकर आयें। आप निर्देश दे दें कि माननीय नेता सदन सारे नेताओं के साथ बैठ जायें। मान्यवर, एक अधिकार तो लॉ एण्ड आर्डर कानून व्यवस्था स्टेट का सब्जेक्ट है, जरूरत पड़े तो मान्यवर, एक दिशा-निर्देश यह जारी कर दें, मैं समझता हूं कि इस बात पर सभी सहमत हो जायेंगे कि 498ए में प्रिलिमनरी जांच हो। मान्यवर, आई0ओ0 एक प्रिलिमनरी जांच करे, उसे लगे कि इसमें जो दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाये और जो निर्दोष हैं उन्हें मान्यवर, चार्जशीट तक किसी भी हालत में गिरफ्तार न किया जाये, यह अधिकार तो इस सरकार को है। अगर लगता है कि इसमें कोई कानून परिवर्तन की जरूरत है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सदन में संकल्प लाकर इसमें काननू परिवर्तन के लिये भारत की संसद को भेजने का हमारा अधिकार है। हम भारत की संसद को अपना प्रस्ताव भेजें और अगर नहीं भेजेंगे तो इन हजारों महिलाओं का, 90 साल के बुजुर्गों का, 2 साल, 3 साल, 7 साल की मासूम बच्चियों का, मान्यवर, उन लड़कों का जिन्होंने जन्म नहीं लिया है और जो जन्म ले रहे हैं जेल में, सबका पाप इस उत्तर प्रदेश सदन पर रहेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि नियम आप तय कर लें, व्यवस्था आप तय कर लें और व्यवस्था तय करने के बाद मान्यवर, कोई निराकरण यह सदन प्रस्तुत करे। जरूरत पड़े तो संसद में प्रस्ताव भेजिये और जरूरत पड़े तो निर्देश दीजिये लेकिन इन निर्दोष और बेगुनाह को बचाने के लिये आज यह सदन कोई कदम उठाये और चूंकि आप इससे सहमत है इसलिये औचित्य का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 तिवारी जी, यह औचित्य का प्रश्न तो है नहीं। पार्लियामेन्ट इस ऐक्ट को संशोधित कर सकती है। जो केन्द्र में सरकार है, जितना आग्रह यहां किया जा रहा है उतना आग्रह हम लोगों को वहां भी करना चाहिये। इसमें एक बात जरूर हो सकती है कि आप संकल्प लाकर, उस पर बहस कराकर एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज सकते हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं किया जा सकता है और न ही यह औचित्य का प्रश्न ही बनता है। यह एक मानवीय प्रश्न था, आपने इसे उठाया, अब मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं संकल्प लाऊंगा, चूंकि आप सदन में वचन दे चुके हैं इसलिये उसे स्वीकार कर लीजियेगा।

[12.30] उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2013-2014 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा प्रदेश स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारण की सूचना

श्री अध्यक्ष-

अब नियम-315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत सदन को सूचना देनी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2013-2014 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'' तथा ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :-

1-नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि तथा समय	गुरुवार, 28 फरवरी, 2013 को अपराह्न 4.00 बजे तक
2-नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	सोमवार, 04 मार्च, 2013 को अपराह्न 3.00 बजे (प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय-कक्ष में)
3-नामों की वापसी की तिथि तथा समय	गुरुवार, 07 मार्च, 2013 को समय अपराह्न 4.00 बजे तक
4-निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान	
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति के लिये	गुरुवार, 14 मार्च, 2013
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिये	

विधान भवन, लखनऊ स्थित समिति कक्ष संख्या 44-ख में पूर्वाह्न 10.30 बजे से 4.00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

मा0 मंत्रियों को परामर्श देने वाली समिति की बैठकें न होने के कारण इनके गठन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसमें मेरा निवेदन सुन लें। मान्यवर, आपने तीस समिति गठित की माननीय मंत्रियों को परामर्श देने वाली, जैसा कि अभी आपने उल्लेख किया है। वह गठित है, आप द्वारा नोटीफाइड भी है। मान्यवर, मेरी विनम्रतापूर्वक जिज्ञासा है कि पूरे वर्ष में क्या किसी भी समिति की कोई बैठक हुई और अगर वह इतनी अनावश्यक है तो फिर उनका गठन करने से क्या फायदा है ? मान्यवर, यह एक्सरसाइज हर साल होती है और अगर उनकी आवश्यकता नहीं समझी जाती, मीटिंग नहीं बुलाई जाती, माननीय विधायकों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता तो फिर उनके गठन करने का प्रयोजन क्या रह गया। मेरा निवेदन यह है कि या तो यह समितियां प्रभावी बनें, बैठकें हों जैसे कभी होती थी या फिर इनका गठन न किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, चूंकि हमारी नियमावली में प्रावधान है कि इस तरह की समितियां गठित की जायेंगी और गठित करके मा0 मंत्रियों की अध्यक्षता में या उनके नेतृत्व में उनको दे दी जाती हैं। अब यह मंत्रियों का काम है कि उसकी बैठक कराकर उससे अवगत करायें, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यह अपेक्षा की जाती है कि जब समितियां बनती हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, 403 विधायकों के संरक्षक आप हैं।

श्री अध्यक्ष-

मुझे पूरी बात कहने दीजिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। मान्यवर, हम लोग आपको संरक्षक के रूप में देखते हैं, हमने एक समस्या आपके सामने रखी और उसे अपनी ओर से नहीं बल्कि सभी की ओर से रखी, इसमें सत्तापक्ष के भी विधायक हैं और विपक्ष के भी विधायक हैं। मान्यवर, अगर आवश्यकता नहीं है तो मान्यवर, फिर क्यों गठन किया जाये। मान्यवर, आपने तो इतना हल्का कर दिया कि वह करें या न करें।

श्री अध्यक्ष-

पहले आप मेरी बात सुन लें। जब आपने मुझसे कहा उसमें मेरा कहना यह है कि जब समिति बन जाती है तो अपेक्षा की जाती है कि मा0 मंत्री इसमें परामर्श लेंगे। जो इसके मेम्बर हैं कभी-कभी ऐसे भी प्रश्न आये हैं जब मैं पिछली बार था तो बहुत जगह लोग नामांकित हुए और जब उनकी बैठकें नहीं बुलाई गईं तो उन्होंने मुझसे शिकायत की। तो मैंने जैसे पी0जी0आई0 था, यूनिवर्सिटीज थीं तो उसके चलते मैंने उन लोगों के खिलाफ नोटिस दिया। किसी मेम्बर ने नहीं कहा कि मीटिंग नहीं बुलाई गई। लेकिन मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जरूर अपेक्षा करता हूं कि यह समितियां हैं तो इनका उपयोग होना चाहिये।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

पहले तो मैं हुकुम सिंह जी की जो जिज्ञासा और परेशानी है उससे मैं अपने आपको जोड़ना चाहूंगा और इन 10 महीनों के लिये मैं अपने आपको खुद भी मुजरिम मानता हूं। मीटिंग नहीं हुई क्योंकि परिपाटी बहुत दिनों से ऐसी ही चल रही है, तो उसे होना चाहिये क्योंकि पार्लियामेंटरी सिस्टम में भी यही है। वहां भी जिन कमेटियों के हम सदस्य होते हैं मीटिंग्स होती हैं और उसके नतीजे भी आते हैं, तो यह मीटिंग्स होनी चाहिये। कम से कम मैं तो इसे शुरू करने की कोशिश करूंगा।

[12.37] उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2013-2014 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति तथा प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियों में सदस्यता के लिये विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 22 फरवरी, 2013 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं :-

''यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2013-2014 की ''लोक लेखा समिति,'' ''प्राक्कलन समिति,'' ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति,'' ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति,'' तथा ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति'' और ''मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों'' में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2013-2014 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि ''यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2013-2014 की ''लोक लेखा समिति,'' ''प्राक्कलन समिति,'' ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति,'' ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति,'' तथा ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति'' और ''मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों'' में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2013-2014 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित

करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[12.40] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22 फरवरी, 2013 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें प्रथम 2 सूचनाओं को शलाका के आधार पर ग्राह्यता हेतु स्वीकार किया जायेगा। अन्य सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

पहली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की लखनऊ के आलमबाग में दिनांक 21-2-2013 को मुथूट फाइनेंस कम्पनी में बदमाशों द्वारा लूट-पाट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राजबली जैसल, चौ0 गजेन्द्र सिंह, श्री दीपक पटेल, श्री फेरनलाल अहिरवार, श्री बृजेश शर्मा, श्री लोकेश दीक्षित, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री शमशेर बहादुर सिंह, श्री कृष्ण कुमार ओझा, श्री सुरेश बंसल तथा ठा0 दलवीर सिंह आदि की प्रदेश में गन्ना कृषकों के साथ गन्ना क्रय केन्द्रों पर की जा रही मनमानी व शुगर मिल के बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री प्रदीप माथुर, श्री प्रमोद तिवारी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री प्रदीप चौधरी, श्री बंशी लाल पहाड़िया, श्रीमती रूबी प्रसाद, श्री गयादीन अनुरागी, श्री अजय कुमार 'लल्लू', कु0 कौशल सिंह, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री मो0 मुस्लिम, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री राधेश्याम तथा श्री ललितेशपति त्रिपाठी आदि की प्रदेश में बिजली की आपूर्ति रोस्टर के अनुसार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री हुकुम सिंह, श्री सतीश महाना, श्री रामचन्द्र यादव, कु0 भारतेन्द्र सिंह, श्री राघव लखन पाल, श्रीमती सीमा, श्री सुरेश राणा, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री राम चन्द्र यादव, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य की प्रदेश में बलात्कार व अपहरण की घटनाओं के निरन्तर बढ़ोत्तरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

पांचवीं सूचना श्री सलिल विश्नोई की कानपुर महानगर में चिड़ियाघर में काले हिरणों की मौत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

छठी सूचना श्री दलजीत सिंह की बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी जनपदों में कर्ज माफी व किसानों को सूखा राहत व बेरोजगारी की समस्या से परेशान होकर किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई हैं उनके नाम हैं :-

1-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, 2-श्री सुरेश कुमार खन्ना, 3-श्री संजय कपूर, 4-श्री जगन प्रसाद गर्ग, 5-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, 6-श्री पूरन प्रकाश, 7-श्री राकेश बाबू, 8-श्री अगयश राम सरन वर्मा।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, मुझे भी दो मिनट बुला लें।

श्री अध्यक्ष-

आप कुछ तो समझें आप इतने सीनियर मेम्बर हैं। श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा) की सूचना महत्वपूर्ण और तात्कालिक है इसलिये उनको पहले ले लिया।

*श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण, तात्कालिक और कानून व्यवस्था से सम्बन्धित घटना की ग्राह्यता पर बोलने की कृपापूर्वक अनुमति प्रदान किया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, अभी 21 तारीख की घटना लेकिन इसके ठीक एक दिन पहले 20 तारीख को भी नाका क्षेत्र में एक मेरठ के स्वर्ण व्यवसायी श्री विशाल चन्द्र जैन जब अपने सोने के बने जेवरात और कैश के साथ आ रहे थे तो नाका क्षेत्र में भी बदमाशों ने उनको बट से मारकर और लहूलुहान कर उनका तीन किलो सोने का जेवरात और नगदी लूट लिया पुनः कल की घटना है कि यह मुथूट फाइनेंस कम्पनी है यह नवे रोड आलमबाग क्षेत्र में है वहां एक-एक करके कई बदमाश उस फाइनेंस कम्पनी में आते हैं और जैसे-जैसे कर्मचारी आते जाते हैं उनको अपनी गिरफ्त में लेकर और किचन में और बाथरूम में बन्द कर दिया जाता है और इसी क्रम में जब अन्त में उनके मैनेजर आते हैं तो उनको भी अपने अर्दब में लेकर उनको मारकर उनसे स्ट्रांग रूम की चाबी और आलमारी की चाबी ले ली जाती है और उसके बाद बड़े आराम से 6 किलो सोना और लाखों रुपये की नगदी लूट ली जाती है और उसमें सबसे सी0सी0टी0वी0 कैमरा और फुटेज वगैरह से पहचान की जाती है, वह पूरा सिस्टम ही उखाड़ ले जाते हैं ताकि कोई सबूत न रहे और उसका उपयोग करके पुलिस अपराधियों तक पहुंच न सके। इस प्रकार की जो दुस्साहसिक घटना हुई और अन्त में जब लोगों को एहसास हुआ कि अपराधी लूटपाट करके जा चुके हैं कंधे के धक्के से दरवाजा खोलकर फिर पुलिस को सूचना दी गई।

श्री अध्यक्ष-

ग्राह्यता पर बोलिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

अध्यक्ष जी मैं तो इतना शार्ट बोल रहा हूं। अध्यक्ष जी आप तो एकदम सुर लय ताल बिगाड़ देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

नेता को इस तरह के डिस्टर्बेंस से फर्क नहीं पड़ता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष जी एक तो मेरा नियम-56 में आता नहीं है और आता है तो इतना इण्टरेप्शन होता है कि हमको समझ में नहीं आता है कि मैं लाऊं कि न लाऊं।

श्री अध्यक्ष-

नेता को खूब प्रेपेयर रहना चाहिए इण्टररेप्शन से घबराना नहीं चाहिए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

अगर नियम-56 बड़े नेताओं के लिये है तो हम जैसे लोगों को तो प्रतिबन्धित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आपका सबसे पहले लिया गया कैसे कहते हैं कि बड़े नेता का लिया जाता है। आप जब महत्वपूर्ण लायेंगे तब नम्बर एक पर रहेगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

उसके बाद मैनेजर अभय शंकर तिवारी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस आई। मुझे यह कहना है कि अभी परसों की घटना से पुलिस उभर नहीं पाई उसको वर्क आउट नहीं कर पाई और दुःसाहसिक तरीके से अपराधियों ने पुनः कल इस घटना को अंजाम दे दिया। वह 3 करोड़ की थी और यह 6 करोड़ की है। मुझे पता नहीं आज कोई घटना हुई है कि नहीं कल होगी कि नहीं। इस तरह जो आतंक का वातावरण बनाया जा रहा है, मैं इसकी आलोचना के लिये नहीं कह रहा हूं। यह सरकार के लिये बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है। जबसे सरकार आई है तो एक कानून व्यवस्था के नाम पर गई थी और फिर कानून व्यवस्था के नाम पर यह जो सरकार आई तो उनको यह इसको इस तरह से लेना चाहिये कि जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है वह खाली लखनऊ की बात नहीं है, हमारे बनारस में भी ऐसी घटनायें हो रही हैं और इस तरह की घटनायें पूरे प्रदेश के अन्य जिलों में भी हो रही हैं। तो सरकार को इसको गम्भीरता से और सम्वेदनशीलता से लेकर कोई उपाय करना चाहिये, कोई मेकेनिज्म डेवलेप करना चाहिये। पुलिस अधिकारियों की उसके लिये जवाबदेही और एकाउन्टेबिलिटी फिक्स करनी चाहिये ताकि इस प्रकार की दुःसाहसिक घटनायें आगे न घटित हों। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह अति अविलम्बनीय है और अभी कल की घटना है, महत्वपूर्ण भी है। अतः मैं सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, जहां तक मैंने सुना और जो समाचार-पत्रों में पढ़ा यह बहुत गम्भीर है मामला, मैं तफसील से जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूं क्योंकि गृह विभाग से किसी तरह की कोई जानकारी मुझे नहीं मिली है जबकि मिल जानी चाहिये थी। फिर भी उनकी तत्परता अपनी जगह, लेकिन बहुत गम्भीर है। इसको गम्भीरता से लिया जायेगा। सरकार की तरफ से जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही होगी, की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने चौधरी साहब को सुना और संसदीय कार्य मंत्री को सुना।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ....

श्री अध्यक्ष-

जब लॉ एण्ड आर्डर पर बहस होगी, तब बोल लीजियेगा। तब तक सरकार के पास जवाब भी आ जायेगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी का बहुत संवेदनशील व्यक्ति के रूप में मेरे मन में स्थान है। उनकी संवेदनशीलता पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है लेकिन प्रश्नचिन्ह जिन कारणों से, जिनकी इन एक्टेविटी से, जिनकी हनक न होने की वजह से इस प्रकार की घटनायें घटित हो रही हैं वह विभाग अभी सो रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि गृह विभाग से कोई सूचना ही नहीं है। यह तो बहुत निन्दनीय है कि गृह विभाग सो रहा है और सरकार कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। सरकार को इसको भी देखना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य मंत्री से कहूंगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो अधिकारियों को भी तलब किया जायेगा कि सूचना सदन को क्यों नहीं देते हैं।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब क्या है ? आपका तो नाम नहीं है इसमें। ऐसे थोड़े कि खड़े हो गये बोलने लगे। आप बैठिये। अगली सूचना है श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राजबली जैसल की प्रदेश में गन्ना कृषकों का गन्ना क्रय केन्द्रों पर की जा रही मनमानी व शुगर मिल के बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

*श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। हमारे प्रदेश में गन्ना के 40 लाख किसान हैं। गन्ना क्रय केन्द्रों पर भयंकर रूप से घटतौली मिल मालिक कर रहे हैं। गन्ना गेट पर अगैती प्रजाति का गन्ना और सामान्य प्रजाति का जो गन्ना है उसको बलपूर्वक रिजेक्ट क्वालिटी में लिखकर 5 रुपये 15 रुपये का नुकसान किसानों का किया जा रहा है। फर्जी तरीके से सट्टे बना करके पर्चियों की कालाबाजारी की जा रही है। चीनी मिल मालिक 150-200 रुपये में बाजार से सीधे गन्ना खरीद करके उसकी चीनी बना रहे हैं। किसानों को पर्चियां नहीं मिलेंगी तो उनका गन्ना कैसे लगेगा। श्रीमन् जी इसके बावजूद जो किसान गन्ना लगा चुके हैं उनका 4 हजार करोड़ रुपये चीनी मिल मालिकों पर बकाया है। करीब साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये जो सरकार की सरकारी क्षेत्र की चीनी मिले हैं उन पर बकाया है। ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी किसान बिल्कुल बेबस हो रहा है, लाचार हो रहा है और अपने जेवर बेचने के लिये अपनी आगे की किसानी करने के लिये लाचार हो रहा है। वैसे ही चीनी मिल 15 दिन लेट चली और यह लेट से चलने के बाद जो फसलें गन्ने के बाद बोई जानी चाहिये थीं गेहूं, दलहन और तिलहन की फसलें बोई जानी चाहिये थीं। वह विलम्ब से बोई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गईं तो वह नुकसान ही हुआ, और जो गन्ना डाला जा रहा है उसका भुगतान न मिलने से किसानों को पर्चियां न मिलने से, उनके साथ घटतौली होने से, उनको पूरा मूल्य न मिलने से, सारे किसानों में रोष है। मेरा अध्यक्ष जी मैं आपसे कि इस अति लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर आप कुछ कहेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

दिखवा लेंगे मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

इसमें वक्तव्य आ जायेगा, जो आपने मिलों वाली बात उठाई है इस संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि दिखवा लेंगे, मैं इस पर वक्तव्य मांग ले रहा हूं पता चल जायेगा किन-किन मिलों का कितना बकाया है सदन के संज्ञान आ जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बकाया तो दिलवाया गया भी है और दिलवाया जायेगा भी तो थोड़ा इंतजार कर लें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

मान्यवर, घटतौली हो रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ऐसी स्थिति है नहीं, जो बकाया है अब का नहीं है, वह बहुत पुराना बकाया है, उसकी भी अदायगी हो रही है वह अब का बकाया नहीं है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

इस साल का चार हजार करोड़ बकाया है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी को बोलने दीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह सूचना सही नहीं है जो बकाया है वह पिछला बकाया है इस साल का बकाया नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कहा है कि दिखवा लेंगे।

मैंने यही तो कहा कि दिखवा लेंगे आप चाहें तो वक्तव्य करा लें लेकिन इस पर कोशिश होकर पैसा मिल जाये यह बेहतर बात है, या सिर्फ कागज पर कुछ छप जाए तो यह बेहतर है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि दिखवा लेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इस विषय पर आपसे आग्रह यह है कि चूंकि यह उत्तर प्रदेश के किसानों से जुड़ा सीधा मामला है और सरकार के भी संज्ञान में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष और सत्तापक्ष के दोनों सदनों ने इस पर खेद व्यक्त किया, साथ ही साथ यह प्रकरण और सूचनाओं के माध्यम से भी सदन में आया। यह इतना संवेदनशील मामला है कि सारे किसान ठगे जा रहे हैं और वह दलाल जिनके पास एक गन्ना नहीं है, एक खेत नहीं है उन्हीं बिचौलियों के शिकार हो रहे हैं। अनियमितता और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं इसलिसे मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा करा लें। चाहे सरकार से इस पर वक्तव्य मांग लें। जो जवाब देना है उन्हें वक्तव्य के माध्यम से दे दें। अन्यथा जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री लीपापोती कर रहे हैं कि यह पिछली सरकार का है। यह इनका तकिया कलाम है यह बोलते रहेंगे। मान्यवर, 11 महीने में चार हजार करोड़ रुपया गन्ना किसानों का मिल मालिकों पर बकाया है। यह सरकार की मिलीभगत के चलते किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। यह सरकार किसान विरोधी है, सरकार किसान विरोधी इसमें जो उत्तर दे रही है उससे हम असंतुष्ट हैं किसानों की अनदेखी हम नहीं कर सकते हैं। इसलिये इस किसान विरोधी सरकार को सरकार चलाने का कोई हक नहीं है। यह सरकार किसान विराधी है इसलिये मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन किया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी, असल में हिम्मत मिल गई जो वक्तव्य का सुना तो हिम्मत मिल गई।

श्री अध्यक्ष-

ऐसी बात नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें, कितने बड़े पापी हैं, यह किसानों के हितैषी हैं ? चोर डकैतों की तरह सब मिलकर बेचने वाले यह किसानों के हितैषी हैं ? किसानों ने अपना गन्ना खेतों में जलाया है इनकी सरकार के रहते, इन्होंने आत्महत्यायें करने के लिये मजबूर किया है, बेटियों की शादियां नहीं हुईं, ऐसे लोग किसानों के हितैषी हैं। जो मां अपने बच्चों को काटकर खायेगी जो अपने कोख के बच्चे को नीलाम कर देगी, वह आपने आप को मां कहेगी, फैक्ट्रियों को बेचने वाले यह पापी किसानों के हितैषी कब से हो गये ? यह उनके मददगार कब से हो गये ? इसलिये मान्यवर, आपने देख लिया इनका तरीका देख लिया केवल किसानों को अपमानित करने के अलावा बहुजन समाज पार्टी को कुछ नहीं आता है।

मान्यवर, बार-बार यह कहना कि यह सरकार गुण्डों की सरकार है, यह कहकर अपनी गुण्डागर्दी पर परदा डालना है। यह इनकी नीति का एक हिस्सा है। किसानों के बारे में यहां इस तरह से वाकआउट करना, यह इनकी नीति का एक हिस्सा है। यह न किसानों के हमदर्द हैं, न जनता के हमदर्द हैं। किस तरह की लूट-डकैती हुई थी, कैसे अपराध हुए थे, इनकी सरकार में, कोई आदमी सड़क पर नहीं चल सकता था, इन्सान की जिन्दगी कितनी बदतर हो गई थी। पुलिस थानों के बाहर कमसिन लड़कियों की बलात्कार के बाद लाश लटकी हुई नहीं मिली थी ? जेलों में कत्ल, हत्यायें नहीं

हुई थी? क्या इनके वजीर लोकायुक्त के आदेश से सराकर से नहीं निकाले गये थे ? क्या इनके सांसद और विधायक आज भी चोरी और डकैती से जेलों में बन्द नहीं है ? मान्यवर, इससे ज्यादा अपराधी राजनैतिक दल न उत्तर प्रदेश में भारत के इतिहास में कोई हुआ है, न इनसे बड़ा अपराधी राजनैतिक दल कोई उत्तर प्रदेश में भारत के इतिहास में होगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने बहुजन समाज पार्टी के नेता को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री हुकुम सिंह जी, आपका जो प्रश्न है, वह कानून व्यवस्था से सम्बन्धित है।

(श्री प्रदीप माथुर, श्री पूरन प्रकाश, श्री तेजपाल सिंह और श्री दलवीर सिंह बोलने के लिये खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रदीप माथुर जी, आप बोलें।

श्री तेजपाल सिंह-

अध्यक्ष जी, गन्ना किसानों की समस्या से जुड़ा हुआ, बहुत गंभीर मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आपका शुगर मिल बन्द होने के सम्बन्ध में है। ठीक है, आप बोलिये।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण मामला है, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात कही है, यह उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। पूरे आगरा मण्डल में जिसमें 5 जिले हैं, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और मैनपुरी। पूरे (पांच) जिलों में मात्र एक छाता शुगर मिल है और छाता शुगर मिल को पिछली सरकार ने बन्द कर दिया और मान्यवर, मथुरा जिले का किसान सबसे ज्यादा गन्ने की खेती करता है और आज स्थिति यह हो गई है कि गन्ना किसान बिल्कुल मोहताज हो गया और उसकी हालत इतनी दयनीय है कि 20 तारीख को, परसों, कम से कम 10 हजार किसानों ने एक आन्दोलन किया। मान्यवर, यहां तहसील पर धरना-प्रदर्शन हुआ और महामहिम श्री राज्यपाल को एस0डी0एम0 के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया और मान्यवर, यह अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण है, इसलिये बता रहा हूं किसानों ने एक एलान कर दिया है कि 8 दिन का समय सरकार को देते हैं, अगर 8 दिन में इस शुगर मिल को चालू करने का निर्णय नहीं लिया तो निश्चित रूप से किसानों ने यह तय कर लिया है कि वह नेशनल हाइवे जाम करेंगे, रेल रोकेंगे और जो कुछ भी बन पड़ेगा, उसे करेंगे। मान्यवर, सबसे बड़ी अफसोस की बात है जिस समय मथुरा में सबसे ज्यादा गन्ना होता था, हमारे यहां कोई चीनी मिल नहीं थी, डबरा, मध्य प्रदेश में गन्ना दिया करते थे, उसके बाद सायन में गन्ना दिया करते थे, आज स्थिति यह हो गयी है कि हमारे बगल में पलवल में हरियाणा में मिल चल रही है और वह सबसे ज्यादा घाटे में आ गई है, लेकिन बन्द नहीं हुई है, किसान गन्ना देने के लिये मजबूर है। मान्यवर, अगर यह चीनी मिल चालू नहीं की जाती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि किसान गन्ने की खेती नहीं कर सकेगा और अब वह धान की खेती पर आ गया है और

धान की खेती करने का परिणाम यह निकला कि आगरा कैनाल में जो गन्दा पानी आता है, उसकी वजह से किसान की जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है और वह ऊसर, बंजर होती जा रही है। मान्यवर, 1974 में यह मिल लगी थी और तब से जब यह अच्छी तरह से चल रही है, किसी प्रकार के घाटे में नहीं थी तो मैं आपके माध्यम से यहां माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, हम कहना चाहते हैं कि इस मिल को चलाना इतना महत्वपूर्ण है। यह सही है कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह तो कह दिया कि इनके जमाने में बन्द हुई थी। हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि इन्होंने बन्द कर दी थी लेकिन आप खुलवा दीजिये। मान्यवर, मैं सिर्फ यह कह रहा था कि पिछली बार भी दो बार इसे बेचने की कोशिश की थी, नेताजी से हमने अपना अनुरोध किया, नेताजी ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया, दोनों बार इसको बिकने से बचा लिया। अब जब पिछली सरकार ने इसको बेच दिया है तो हम आपके माध्यम से इस सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि किसान आज इतना दुखी हो गया है कि वह पीड़ित होकर आन्दोलन करने पर आ गया है। मरने को तैयार है, आत्महत्या करने को तैयार है, रेल रोकने को तैयार नेशनल हाइवे जाम करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में आये इसलिये इस अतिमहत्वपूर्ण सवाल पर आप सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा दें। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर है। मान्यवर, आपने भी देखा है कि नेताजी किसानों की बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के आप भी अनुयायी रहे हैं तो मान्यवर, यहां पर किसान की बात आती है अगर दूसरा कोई लाठी मारकर किसान को परेशान कर रहा है तो कम से कम आप तो किसान पर रहम खाइये। पूरे मण्डल में एक अकेली मिल है। तो मेरी प्रार्थना है कि किसानों के उत्तेजित कार्रवाई करने से पहले इस पर कोई निर्णय ले लीजिये। यह हमारी आपसे प्रार्थना है।

*श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, जैसे छाता अकेली मिल है पूरे आगरा मण्डल में और मथुरा जनपद में, वैसे ही अलीगढ़ जनपद में साठा शुगर मिल है जिस पर एक अरब 28 लाख रुपये का बकाया है। पिछली सरकार ने उसका बिलकुल सत्यानाश कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों शुगर मिलों का चलाया जाना आवश्यक है। हमारा राष्ट्रीय लोक दल आपसे मांग करता है कि इस पर चर्चा हो और इन दोनों चीनी मिलों को चलाने के लिये सरकार कार्रवाई करे।

(श्री पूरन प्रकाश के बोलने के लिये खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष-

श्री पूरन प्रकाश जी दो लोग ग्राह्यता पर बोल चुके हैं अब आप क्या इस पर बोलेंगे। क्या इस पर चर्चा हो रही है। आप कभी कोई बात मानते ही नहीं हैं। जब आपके नेता ने बोल दिया तो बताइये क्या बचा। आप बैठिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बहुत गम्भीर मामला है, संवेदनशील है किसानों की हितैषी सरकार है। घड़ियाली आंसू बहाने वाले और ढोल बजाने वालों का भी आपने देखा और जिस सरकार ने इन मिलों को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बेचा। आपने खुद ही स्वीकार किया कि हमारी सरकार में भी इसे बेचने की योजना थी लेकिन जब आपने नेताजी से बात की और उनके सामने आपने किसानों की समस्या रखी तो वह आपसे सहमत हुए। यही एक संवेदनशील सरकार और संवेदनशील नेता का काम करने का तरीका है जो समाजवादी सरकार ने पहले भी किया और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने जिस तरह किसानों को लूटा बर्बाद किया तबाह किया और जिस तरह किसानों की जायदादों को उनकी मिल्स को उनकी जमीनों को माफियाओं के हाथ बेचा है उसके बाद अगर यह किसानों का कोई शब्द अपनी जुबान से निकालते हैं उनकी हमदर्दी का और उनके लिये बहिर्गमन करते हैं तो यह इनका एक राजनीतिक ढोंग है, राजनीतिक ढोंग से ज्यादा कुछ नहीं है। मान्यवर, प्रदेश इनके ढोंग को देख रहा है और प्रदेश को यह भी मालूम है कि मौजूदा सरकार इस मामले में बिल्कुल संवेदनशील है। अभी मा0 मुख्य मंत्री जी तशरीफ लाने वाले हैं मैं चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष जी इससे पहले कि इसमें कोई निर्णय लें आप जैसा चाहें निर्णय लें लेकिन बेहतर यही होगा कि सभी नेता साहेबान और खासतौर से मथुरा और आगरा के विधायकगण आपके कक्ष में मुख्य मंत्री जी के साथ बैठें, बात करें। माननीय नेता सदन तशरीफ ले आये हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आगरा, अलीगढ़ और मथुरा की शुगर मिल्स की बड़ी समस्या है और किसानों के लिये गन्ना सबसे मजबूत फसल होती है।

आपकी तरफ से नोटिस है, मेरा सुझाव है और इसलिये सुझाव है कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस बेदर्दी से गन्ना किसानों को बरबाद किया और शुगर मिल्स जो कि बहुत प्राईम लोकेशन्स पर शहरों में थीं, उनको भू-माफियाओं के हाथ, गुण्डे और बदमाशों के हाथ बेंच कर गरीबों की जायदातों को लूटा है। बसपा के समय में जो लूट हुई है, उसकी कुछ न कुछ भरपाई करने के लिये आपके कक्ष में एक बैठक मा0 मुख्य मंत्री जी के साथ, नेता सदन के साथ, नेताओं की बैठक हो जाये और उसमें कोई निर्णय लिया जा सके।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण मामला है, माननीय नेता सदन भी आ गये हैं, मैं संसदीय कार्यमंत्री जी आपको केवल इतना बताना चाहूंगा कि यह बेच नहीं पाये, रुक तो गई है, बेंचने से, लेकिन अब चलाने की बात है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं केवल इस मिल की बात नहीं कर रहा हूं, जो मिल इन्होंने बेंचे हैं और जो बेंचे नहीं बिक सके, इसलिये इस ढोंग को जो यह सदन में किसानों का हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश कर रहा हूं।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध यह है कि मा0 नेता सदन बैठे हैं, मेरी दो-तीन बार नेता सदन से बात हुई है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि हम चलाने के लिये तैयार हैं अगर कोई प्राइवेट लेने को तैयार हो जाय। तो मैं नेता सदन से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह भू-माफियाओं के हाथों में चली जायेगी क्योंकि जमीन बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर मिल लगी है, नेशनल हाइवे एन0एच0-2 पर 100 एकड़ जमीन है मिल की। उस जमीन पर ही तो भू-माफियाओं की निगाह लगी थी और वही काम अगर सरकार करे, प्राइवेट को देने की बात कर

लेगी तो उनका उद्देश्य मिल चलाने का नहीं है, उनका उद्देश्य उस जमीन को हड़पने का है तो हमारी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना यह है कि उस मिल को चलवा दें, क्योंकि किसान इतना उत्तेजित है, मैंने आपको बताया था दस हजार किसान था 20 तारीख को, जिस दिन छाता मिल को घेरा है वहां और किसानों ने एलान कर दिया कि हम चाहे मर जायेंगे, कुर्बानी करेंगे, आत्महत्या करेंगे, रेल रोके, कुछ भी करें, क्योंकि पूरा आगरा मण्डल में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद पांच जिलों में केवल अकेली छाता शुगर मिल है, जिसमें पूरा गन्ना किसान जो मध्य प्रदेश तक गन्ना देता था, आज किसान तबाह हो गया और आगरा कैनाल का पानी गन्दा होने से जमीन बरबाद हो गई, धान की फसल हो नहीं रही तो किसान बरबाद है। हमारी आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि उस छाता शुगर मिल को जो पूरे मण्डल की अकेली मिल है, उसको जरूर चलवा दें, यह हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, अलीगढ़ की जो साठा मिल है, सवा अरब रुपये के घाटे में चल रही है, कम क्षमता होने के वजह से, उसकी क्षमता दो गुनी बढ़वाई जाय। मात्र अकेली चीनी मिल है। छाता और साठा दोनों के लिये हमारा दल मांग करता है आप इनका उद्धार करें।

श्री अध्यक्ष-

आज मा0 मुख्य मंत्री जी को उत्तर देना है 01 बजकर 20 मिनट पर तो 01.20 पर यह सब खत्म हो जायेगा।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, पहले भी यह बिक रही थी, मेरे अनुरोध पर नेता जी ने दो बार इसको बिकने से रुकवाया था, अब आप भी कुछ कर के दिखा दीजिये, इसको चलवा दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से हमें ज्ञान नहीं सीखना है। सदन में हम अपनी बात कैसे रखेंगे, हमको इनसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपनी अकल अपनी जगह पर बनाये रखें और अगर हकीकत जानकारी नहीं है, तो उस जानकारी को ले करके यहां पर रखना चाहिये।

(सत्ता पक्ष के अनेक मा0 सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ नेता विरोधी दल की बात का विरोध करने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इस तरीके से तथ्यहीन, बेबुनियाद आरोप लगाने से बाज आना चाहिये और मान्यवर, वह चीनी मिलें बेची गई, जिससे उत्तर प्रदेश का हजारों करोड़ रुपये प्रतिवर्ष उसकी देखभाल के लिये जाता रहा है। साथ ही साथ मान्यवर, ऐसे प्रकरण की जांच भी चल रही है और जिस प्रकरण की जांच चल रही हो, उस बात को यहां पर रखना और अपनी बड़ी विद्वता जाहिर करना, मैं समझता हूं कि यह माननीय सदस्यों का अपमान है, किसानों का अपमान है और [x x x] के बलबूते पर इस सदन को नहीं चला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

यह [x x x] शब्द नहीं लिखा जायेगा। आप हर बार [x x x]शब्द बोल देते हैं।

(अत्यन्त शोर के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आज उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश इनके [x x x] से त्रस्त है। ये इस सदन को भी गुण्डा माफियाओं के माध्यम से चलाना चाहते हैं। अपनी [x x x] के बलबूते पर, सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपने अपना प्रतिरोध कर दिया। अब बात खत्म हो गई। बैठिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, 5 बरस जिस [x x x] से ये प्रदेश और सरकार चलाई गई है और यह सदन चलाया गया है। ये सदन अब उस [x x x] से नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक मान्यताओं से चलेगा, सच्चाइयों से चलेगा। किसानों के साथ अनर्थ और अपमान करने वाली बहुजन समाज पार्टी जिसने शुगर मिलों की जमीन माफियाओं के हाथ बेच दी हो। मान्यवर, सुनना पड़ेगा इनको, सुनना पड़ेगा।

(सत्ता पक्ष के कई मा0 सदस्यों द्वारा लगातार खड़े रहने और बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, आप लोग तो बैठिये। आप शान्त रहें, बैठिये मौर्या जी, आप भी बैठ जाइये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, आप जिस तरह से अमर्यादित मा0 सदस्यों का आचरण देख रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश को तो [x x x] से हांक रहे हैं। इस सदन को भी हांकने की कोशिश कर रहे हैं। [x x x] के डण्डे से सदन को हांकने की कोशिश कर रहे हैं। मान्यवर, ये नहीं चलेगा।

(सत्ता पक्ष के कई मा0 सदस्यों द्वारा लगातार खड़े रहने और बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठिये तो, हो गई बात, आप लोग भी बैठ जाइये। मा0 सदस्यगण शान्ति से बैठ जाइये।

(अत्यन्त शोर के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, आप अपने सदस्यों को तो शान्त करा दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है। नेता प्रतिपक्ष मात्र अपने दल के ही नेता नहीं होते हैं। बहुजन समाज पार्टी से अगर नेता प्रतिपक्ष है तो उनका ये दायित्व बनता है कि वे सभी विपक्षी दलों का ध्यान रखें और उन मुद्दों को उसी हद तक रखें, जैसा उनका पद है। बहुजन समाज पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अगर अपने आपको सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रखेंगे। जब आप अपने आपको सिर्फ एक पार्टी तक ही सीमित रखेंगे तो जाहिर है कि जवाब भी वैसा ही आयेगा।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

क्योंकि चीनी मिल का मामला किसानों से सम्बन्धित है। उत्तर प्रदेश के किसानों से सम्बन्धित है तो सभी दलों के जज्बात को साथ लेकर नेता प्रतिपक्ष को बात रखनी चाहिये। ठीक तरीका तो यह था लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने बात रखी। किसानों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की सरकार को गुण्डों की सरकार बताने का आखिर क्या तरीका है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने वह शब्द निकाल दिया [x x x] वाला। न तो वह कार्यवाही में लिखा जायेगा और न ही यह प्रेस के लिये है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह सामान्य प्रशासन और कानून व्यवस्था पर तो बात नहीं हो रही थी तो फिर ये नेता प्रतिपक्ष समझ लें कि जिस तरह 5 बरस इस सदन में लोकतंत्र की हत्या हुई थी, और जिस तरह से लोकतंत्र की लाश को सड़ा कर नीलाम किया गया था, उस तरह ये सदन नहीं चलाया जा रहा है। पहले दिन से लोकतांत्रिक मान्यताओं का ख्याल रखा गया है और उनका सम्मान किया गया है।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

और अब भी नेता प्रतिपक्ष को यह समझ लेना चाहिये कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जायेगा और अगर वे यह चाहेंगे कि सिर्फ उनकी हठधर्मी, उनके हेकड़ी से बहुजन समाज पार्टी का झण्डा सदन में ऊंचा रहे तो कम से कम वे यह ख्याल रखें कि यह 5 साल के पापों का नतीजा है कि आप वहां बैठे हैं तो कम से कम थोड़े दिन पश्चाताप का समय भी गुजारें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा विपक्षी दलों के सभी साथियों के साथ तालमेल है सामन्जस्य है। विपक्षी दलों में यहां कोई मतभेद नहीं है और न विपक्षी दलों में किसी भी विषय पर कभी कोई टकराहट हुई लेकिन जिस तरीके से सत्तापक्ष अपने सत्ता बल का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। मान्यवर, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

कोई आवाज नहीं दबाता है, आपतो इतना बोलते हैं, रोज अपनी समस्यायें उठाते हैं आप बैठ जाइये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

और इसीलिये मान्यवर, जो आपका निर्देश रहता है तो ये सदन इनकी अच्छाइयों से नहीं चल रहा है। ये आपके कारण चल रहा है और इसीलिये मैंने जब-जब हाउस चला है पूरा सहयोग दिया है कि प्रदेश के सारे विषय पर समुचित चर्चा हो और यदि सरकार के संज्ञान में न रहे तो हमारे माध्यम से सरकार के संज्ञान में विषय आ जाये और उसका निराकरण हो। यहां पर हम कोई बात रखते हैं तो इसलिये नहीं रखते हैं कि हम आपको उलाहना दे रहे हैं। इसलिये रखते हैं कि आपके संज्ञान में जाए और आप उसकी गम्भीरता को लें और साथ ही साथ उस समस्या का निरन्तर होना रुके और समस्याओं का निदान करायें, इसलिये हम अपनी बात को रखते हैं। हम आपसे यहां पर लड़ने नहीं आते। हम आपको यहां पर उलाहना देने नहीं आते। यहां पर हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने आते हैं और जब यहां बैठते थे, तो आप भी यही करते थे। मान्यवर, आज ये वहां पहुंच गये हैं। कल तक जब ये यहां थे, तो ये भी यही किया करते थे।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें मौर्या जी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी यह कोई चर्चा नहीं चल रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जब ये यहां थे तो यह भी यही किया करते थे मान्यवर, इसलिये हमको क्या करना है, हमको इनसे सीखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गई है, आप बैठिये।

श्री प्रमोद तिवारी-

एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिये, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं कई बार आपकी वजह से बैठ चुका हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर लूंगा। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष का हर वक्त सम्मान है जब वह खड़े होंगे उनको समय है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को भी अपनी सीमायें खुद समझनी चाहिये, जिस अंदाज से जितना चीख कर और जो तरीका है बात करने का मान्यवर, आज भी यह तरीका किसी सभ्य समाज में अच्छा नहीं माना जाता है और मैं सीख नहीं दे रहा हूं क्योंकि उस कुर्सी पर बहुत लोग बैठ चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप भी बैठे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

पिछले 5 साल में भी नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं वहां पर कितना उन्हें अधिकार प्राप्त रहा है, कितना बोलने का वक्त मिला है और जिस तरह से बार-बार खड़े होने पर पूरी तरह से बोलने का समय आप देते हैं क्या पिछली सरकार में यह अधिकार नेता प्रतिपक्ष को प्राप्त था ? यह कहना कि हमारी बात को दबाया जाता है, हमारी आवाज को दबाया जाता है। आपकी आवाज से तो जी चाहता है कि कानों में उगलियां दे दी जाये। इस तरह से दिलखराश आवाज के साथ आप बोलते हैं, दिल दुखानी वाली आवाज से बोलते हैं इसलिये कह रहे हैं कि आपके बोलने का तरीका आज भी सभ्य समाज में अच्छा नहीं समझा जायेगा। मैं सीख नहीं दे रहा हूं आपको बिल्कुल सीख नहीं दे रहा हूं लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने जो तरीका अख्तियार किया है कि दलीय [x x x] से आप सरकार को दबायेंगे, आप सदन को दबायेंगे, आप लोकतांत्रिक तरीकों को दबायेंगे, आप अपनी चीख-पुकार से और आप अपनी उस [x x x] से जिस तरह 5 वर्ष आपने इस सदन में सरकार चलाई है उस तरह आप

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विपक्ष की वह भूमिका निभायेंगे कि आप सरकार को डिमॉरलाइज करने की कोशिश करेंगे। मान्यवर, यह कैसे संभव हो जायेगा और कैसे ऐसे होने दिया जायेगा ? सिर्फ आपकी आवाजों से सरकार डर कर बैठ जाएगी। आपके कह देने से [x x x] कायम हो जायेगा। इसलिये मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष भी अपने रवैये को शालीन, बेहतर और अच्छा रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सत्ता के सत्ता बल के दुरुपयोग के कारण बहुजन समाज पार्टी आज पूरे दिन के लिये सदन से बहिर्गमन करती है और ये अकेले सदन चलायें, [x x x] के बल पर।

(तत्पश्चात् नेता विरोधी दल मा0 स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के मा0 सदस्यों के साथ सत्ता विरोधी नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 तिवारी जी, मैं उस पर ध्यान आकृष्ट कर दूंगा। कार्य-मंत्रणा में आप भी थे, उसमें यह तय हुआ था कि जीरो आवर 1.20 पर खत्म हो जायेगा। अब जीरो आवर खत्म हो रहा है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक एक चीज कहना चाहता हूं। सरलता अच्छी चीज होती है, हमेशा लोकप्रिय होती है, पर कहीं-कहीं दृढ़ता की भी जरूरत होती है। मान्यवर, हम सब बैठे हुए हैं, मैं इसमें शामिल करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को भी, लोकदल को भी शामिल करना चाहता हूं और जो निर्दलीय विधायक हैं उनको भी शामिल करना चाहता हूं। मान्यवर, हम तो तमाशबीन बनकर रह जा रहे हैं, इस सदन में। मान्यवर, हो क्या रहा है ? मान्यवर, आज कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सब निकाल दिया, सब हटा दिया।

श्री प्रमोद तिवारी-

आपने निकाल तो दिया है।

(सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा कहा गया कि रोज ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग रुक जाइये, या तो उन्हें कहने दें या आप लोग ही कह लें। अब वह खड़े हुए हैं उन्हें अपनी बात कह लेने दीजिये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, प्रश्न यह नहीं है आज कौन सा दिन है। जब महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण प्रजातांत्रिक मूल्यों में और परम्पराओं में सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। मान्यवर, जब सरकार अपना महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से प्रस्तुत करती है और इसमें वर्ष भर में सरकार के क्या कार्यकलाप होंगे उनका विस्तृत विवरण उसमें आ जाता है। मान्यवर, इस अवसर पर जो माननीय सदस्य नियम 300, 301 में सुन्दर तरीके से अपनी सूचना नहीं दे पाते हैं, अपनी बात रख लेते हैं।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उनको पूरा मौका मिल जाता है। इसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष भी इंटरवेशन करते हैं और सरकार उनका जवाब देती है। मान्यवर, आप देखें जब सत्र शुरू हुआ तब भी बहिष्कार कर दिया गया। आज जब इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर माननीय नेता सदन का जवाब आना है तब भी बहिष्कार कर रहे हैं। मान्यवर, नेता सदन के जवाब को सुनकर नेता प्रतिपक्ष उसमें कुछ प्रश्न उपस्थित करते हैं और नेता सदन फिर उसका जवाब देते हैं वह तो रह जायेगा। सरकार तो अवसर ढूंढ रही है कि न बोलना पड़े। हम लोग सरकार को वह अवसर नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब माननीय नेता सदन जी का जवाब आये उस समय पूरा सदन भरा हुआ हो। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिन कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है उन्हें आप केवल कार्यवाही से निकाले ही नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष को अपने कक्ष में बुलाकर वार्ता कर लें और उनसे कहें कि भविष्य में ऐसे शब्दों का वह प्रयोग न करें। मेजों की थपथपाहट। मान्यवर, यह सदन उच्च संसदीय परम्पराओं से चले और चलाया जाये। कहीं ऐसा न हो कि बाहर जब लोग हमसे पूछें कि आज वह सदन में वह क्या हो गया तो हम उसको न बता पायें। मान्यवर, अभी आपने विधान मण्डल की 125वीं जयन्ती का कार्यक्रम मनाया है, उसमें बहुत सी अच्छी बातें आयीं। उन सबको ध्यान में रखते हुए आप थोड़ी कठोरता और दृढ़ता दिखायें कम से कम सदन की कार्यवाही में अच्छे शब्दों का प्रयोग हो। इस पर सदन में ज्यादा से ज्यादा लोग बोल सकें, जो समय जाया गया है वह बच सके इसका हम सबको ध्यान रखना होगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी यह बात हुई थी। 12.20 बजे से 1.20 बजे तक का समय मिल जायेगा जरूरी सूचनाओं को लेने का। अब देखें जैसे नियम-56 में बिजली का सवाल है उसमें यह रोस्टर प्रणाली लागू करने की बात है आपूर्ति के लिए उसमें मैं शासन को निर्देश दे देता हूं कि वह इसको दिखवा लेंगे। बलात्कार की घटनाओं की सूचना है इसको कानून-व्यवस्था की चर्चा से जोड़ देते हैं उसमें आपकी पूरी चर्चा हो जायेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमने जो सूचना दी है ऐसा तो नहीं है कि वह सब निरर्थक है और महत्वहीन है। सदन में हमारी भी तो हिस्सेदारी है। जिस विषय के ऊपर हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं वह सामान्य कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। अब छः वर्षीय, आठ वर्षीय बच्ची के साथ स्कूल जाती लड़की के साथ बलात्कार की घटनायें सामने आ रही हैं क्या उन पर सामान्य पुलिस व्यवस्था से नियंत्रण हो सकता है। हम सरकार की कोई कमी नहीं निकाल रहे हैं। दूषित मानसिकता लोगों की होती जा रही है लोग विचलित होते जा रहे हैं उसमें कोई न कोई विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा जो घटनायें हुई हैं उनकी पूरी सूची मेरे पास है। माननीया निरंजन साध्वी जी ने अपने क्षेत्र की घटना बतायी है 19 फरवरी की एक आठ वर्षीय मासूम लड़की के साथ बलात्कार की घटना हो गयी है। उसको कानपुर रेफर किया गया है। हमारे पास चित्रकूट की सूचना है तंग महिला ने आत्महत्या कर ली। इलाहाबाद में शंकरनगर में मां के सामने उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया गया। लखनऊ में सौतेली मां के सामने लड़की के साथ दुष्कर्म होता रहा। यह पूरी सीरीज है घटनाओं की। आखिर यह सब है क्या ? इस पर विचार की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं यह सामान्य थाने, सामान्य पुलिस व्यवस्था इस पर नियंत्रण कर पायेगी। मैं एक सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे

हुए हैं विचार कर लें उस पर जब तक आन द स्पाट ट्रायल नहीं होगा, आपने पुलिस की व्यवस्था की है 100 नम्बर दिया है, मैं चाहता हूं कि आप मोबाइल मैजिस्ट्रेट की व्यवस्था करें जहां ऐसी घटना हो जाय, टेलीफोन जाय, मैजिस्ट्रेट मौके पर जायं, वहीं पर ट्रायल हो जाये वहीं पर सजा हो जाये तो शायद कुछ नियंत्रण हो पाये, कुछ न कुछ तो विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा वर्ना इन बच्चों का क्या होगा यह तबाह हो जायेंगे हमेशा के लिए। स्थिति इतनी गम्भीर होती जा रही है कि मां बाप का विश्वास उठ चुका है बच्चे को स्कूल भेजें कि नहीं भेजें, बच्चा स्कूल से लौटकर आयेगा कि नहीं आयेगा। मैं पीड़ित इसलिए हुआ कि जब इन घटनाओं का उल्लेख मेरे सामने हुआ। यह देखने के बाद में मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, सारे सदन की भावना यही है, मेरी भी भावना यही होगी, मैं कोई दलगत राजीनति में नहीं पड़ना चाहता मैं आपका संरक्षण चाहते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि एक मीटिंग बुला लें, हम भी बुला लें, आपके कक्ष में एक मीटिंग हो जाये बैठ करके, 5 लोग, 6 लोग नेता लोग और भी कोई लोग विशेषज्ञ हों तो उनको बुला लें, कुछ न कुछ रास्ता इसका निकालें, उत्तर प्रदेश ही आगे बढ़ जाय इस काम में, लीड ले लें आकर के कि हमने कोई नई व्यवस्था बनाई है हमने कंट्रोल करने का प्रयास किया है। हो सकता है कि देश में हमारा समाचार जाय मान्यवर, आज पूरा देश जिस प्रकार से आन्दोलित हुआ एक घटना को लेकर के वह किसी से छिपा नहीं है। इसलिए इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि नेता सदन इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दो सुझाव मैंने दिये हैं या तो आपकी अध्यक्षता में कोई मीटिंग हो जाय या जो मैंने सुझाव दिया है उस पर विचार कर लें जो विशेषज्ञ हों उनकी भी राय ले लें, मोबाइल ट्रायल हों, अदालतें हों वहां बैठें जाकर के, बयान लें जाकरके उस बेईमान को सजा करके वहीं जेल भेजें तो शायद कुछ हो पायेगा अगर 6 साल तक मान्यवर, ट्रायल चलेगा तो मानसिकता नहीं बदलेगी यह मैं कहना चाहता हूं।

(श्री प्रदीप माथुर द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपके यहां क्या रोस्टर सिस्टम बिगड़ गया।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, बिजली के बारे में है।

श्री अध्यक्ष-

अभी बिजली के सवाल भी थे, बिजली पर कल चर्चा भी हुई और बिजली पर सवाल भी किया आपने दुनिया भर के फिर बिजली ले आये। अब छोड़िये वह नहीं।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, हुकुम सिंह जी ने यह कहा है कि इन सारी घटनाओं पर आपस में मिलकर बैठकर कोई तरीका निकाला जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस पर अभी नेता सदन अपना भाषण देने वाले हैं तो इस पर अपना प्रकाश डालेंगे और हम इससे सहमत हैं आपकी बात से।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री प्रदीप माथुर, श्री सलिल विश्नाई, श्री संजय कपूर द्वारा खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

माननीय डा0 साहब बोलिये मत, मैं आप पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर देता हूं, इनके माननीय प्रदीप माथुर पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं, सलिल विश्नोई जी का जो चिड़िया घर में काले हिरन मारे गये उस पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं अब संजय जी बैठिये। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर ले रहा हूं बैठिये। अब चर्चा शुरू होगी। माननीय खन्ना जी बैठिये। दलजीत सिंह जी की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दे रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, माननीय संजय जी का और हमारा एक ही जिला है, एक ही दोनों की समस्याएं हैं, थोड़ा सा अभी ये भटके हुए हैं, हमने तो बड़ी कोशिश की थी कि यह सही रास्ते पर आ जायें, बहुत प्यारे सख्श हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ हमारी राजनैतिक मजबूरियां होती हैं, कुछ इनकी राजनैतिक बाध्यताएं हैं हम दोनों आपस में बैठकर इसको हल कर लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़ी गूढ़ भाषा बोल दी यह हमारे कांग्रेस के सदस्य हैं कह रहे हैं कि वह भटके हुए हैं, भटके होने से क्या मतलब है। कम से कम सदन में तो इस तरह से खुले आम नहीं कहना चाहिए।

(श्री दलबीर सिंह द्वारा बोलने का प्रयास करते रहने पर)

*सुश्री सावित्री बाई फूले-

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया गया है। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करती हूं।

(सुश्री सावित्री बाई फूले का नाम पुकारे जाने तथा श्री दलवीर सिंह तथा श्री तेजपाल सिंह के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात हो गयी, सब कह दिया। मुख्य मंत्री जी ने आपकी बात सुनी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा कि गम्भीर मामला है, अब हम क्या करें इसमें। आप संसदीय कार्य मंत्री जी के कक्ष में जाकर बैठकर बात कर लीजिये।

[1.30] श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव†

सुश्री सावित्री बाई फूले-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। सदन के सभी हमारे दल के नेतागण, माननीय मंत्रीगण, माननीय सभी सदस्यगणों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† दिनांक 19 फरवरी, 2013 की कार्यवाही से।

मान्यवर, मैं बताना चाहती हूं कि सदन में दूसरी बार मुझे जो देखने और सुनने को मिला है, बड़ी खुशी होती है कि जब सदन की शुरूआत वन्दे मातरम् और भारतमाता के नारों से कराई जाती है तो अत्यन्त जोश और हर्ष होता है। वह दिन याद आता है कि जब भारत माता के सपूतों ने अपने को कुर्बान करके इस देश को आजाद कराने का काम किया था। चाहे वह सरदार भगत सिंह हों, चाहे वह राजगुरू हों, चाहे वह सुखदेव जी हों। जब वह फांसी के फन्दे पर झूले थे तो उनका एक ही नारा था कि भारतमाता की जय, वन्देमातरम् का नारा देते हुए वह फांसी के फन्दे पर झूल गये थे। यही नहीं इन पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं ने भी, चाहे वह महारानी झलकारी बाई हों, चाहे महारानी ऊदा देवी हों, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हों, चाहे महारानी अवन्तीबाई हों, अपने को शहीद होकर भारतवर्ष को आजाद कराने का काम किया था। किन्तु बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं कराई गयी है। जब वोट की बात आती है, चाहे वह लोक सभा का चुनाव हो, चाहे राज्य विधान सभा का चुनाव हो, चाहे वह सरकार बनाने की बात हो, तो पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं का भरपूर योगदान होता है। लेकिन महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की जब भी बात आती है तब भी लोगों की मंशा साफ नहीं होती है। इसलिये इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह मांग करती हूं कि महिलाओं को संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत आरक्षण विधान सभा में हो इसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करती हूं कि यहां से एक प्रस्ताव लोक सभा में भेजा जाये, जिससे महिलाओं को बराबर की भागीदारी मिल सके। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे इस देश में चाहे वह लोक सभा हो, चाहे वह विधान सभा हो, दोनों में महिलाओं के जो लगातार शोषण हो रहे हैं, लगातार अत्याचार हो रहे हैं, अभी आप लोगों को टी0वी0, रेडियो, अखबार के माध्यम से देखने, सुनने और पढ़ने को मिला होगा कि चार साल की लड़कियों के साथ में, आठ साल की लड़कियों के साथ में, दस साल की लड़कियों के साथ में, पन्द्रह साल की लड़कियों के साथ में बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाती है और कानून के रखवाले कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे इस देश में, हमारे इस समाज में, हमारे इस प्रदेश में [x x x] जिस तरीके से कायम होता जा रहा है [x x x] करने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है, उसी का नतीजा है कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय हुकुम सिंह जी विस्तार से आपको बता चुके हैं। मैं बताना चाहती हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो पूरी तरह से चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, अन्याय, अत्याचार बड़े पैमाने पर बढ़ा था। उसको देखते हुये जनता ने विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को चुना और समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी मुख्य मंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुये तो पूरे प्रदेश में एक संदेश गया कि उत्तर प्रदेश में युवा मुख्य मंत्री हैं, युवा सोच के हैं, विदेश से पढ़कर आये हैं, इस उत्तर प्रदेश को अच्छी दिशा देंगे और प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, अन्याय, अत्याचार जो बड़े पैमाने पर बढ़ा था, उसको प्रतिबन्धित करेंगे। लेकिन जनता को जो बड़ी आशा और विश्वास था, उसकी आशाओं पर पानी फिरा है। ऐसी स्थिति में मैं महिला होने के नाते माननीय मुख्य मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहती हूं कि इस

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सदन में सभी हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं और महिलाओं को भी बोलने का समय दिया जाए, उनको भी अपनी बात कहने का समय दिया जाए। चूंकि महिला होने के नाते वह क्षेत्र से चुनाव जीत करके आई हैं और वहां की जनता ने बहुत आशा और विश्वास के साथ उनको जिता करके भेजा है कि वह जायेंगी और अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठायेंगी, विकास की समस्या को उठायेंगी, वह मूकदर्शक बन बैठकर देखने के लिए नहीं बल्कि बोलने के लिए आई है। उनको भी आरक्षण के तहत जिस तरह से पूरा सदन है और सदन में जितना समय पुरुष को दिया जाता है यदि चार-पांच महिलाएं बोलने के लिए तैयार होती हैं तो मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि उनको भी बोलने का पूरा समय दिया जाए। इसके साथ-साथ मैं नेता सदन से आग्रह करना चाहती हूं कि आज महिलाओं को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सरलता से दिलाने का काम करे। इसके साथ-साथ जो आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि महिलाओं को हम बी0पी0एल0 सूची के आधार पर दो धोती देंगे। बेचारी कह करके क्या वह दो धोती से गुजारा कर सकती हैं, वह धोती सरकार के पैसे से जब जिले के अधिकारी खरीदेंगे तो वह घटिया किस्म की ही खरीदेंगे और केवल साड़ी से क्या महिलाओं का तन ढकेगा महिलाओं को साड़ी के साथ-साथ और कपड़े भी होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि साड़ी के स्थान पर उनको पैसा दे दिया जाए और यदि वह अपने आप साड़ी खरीदेंगी तो निश्चित रूप से दो साड़ी में वह छः महीने का गुजारा कर सकती है लेकिन केवल साड़ी से ही उनका गुजारा नहीं हो सकता उसके साथ-साथ बी0पी0एल0 परिवारों को जो आपने व्यवस्था दे रखी है चाहे वह विधवा पेंशन हो, चाहे वह वृद्धा पेंशन हो, चाहे लड़कियों की शादी हो, चाहे आवास हो और चाहे शौचालय हो, जो व्यवस्था आपने दी है वह बी0पी0एल0 सूची के लोगों को दी है। मान्यवर, 2002 में जब बी0पी0एल0 सूची बनी थी उस समय जो सर्वे करने के लिये लोग गये थे वह लोग नौकरशाही के रूप में गये थे और वह किसी गरीब के बीच में न जा करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिये गये थे। उन्होंने गांव में प्रधान या किसी बड़े आदमी के दरवाजे पर, जहां कुर्सी मिलती हो, जहां चाय और नास्ता मिलता हो, वहां बैठ करके बी0पी0एल0 की सूची बनाई गई और उस बी0पी0एल0 की सूची में यह बताया भी नहीं गया कि इस बी0पी0एल0 सूची के आधार पर क्या-क्या सुविधाएं सरकार देगी। उस समय जो सामने आया उसका नाम वोट करा दिया गया, प्रधान जी आये उन्होंने कहा कि सब लोग अपना नाम नोट करा दीजिए, बस नाम नोट हो गया। बाकी लोग बी0पी0एल0 की सूची से वंचित हैं जो असहाय हैं जो गरीब हैं, मजबूर हैं जो लाचार हैं, जिसको सरकार की तरफ से व्यवस्था मिलनी चाहिए उसको कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का उपभोग वह लोग करते हैं जो उस सुविधा को पाने के पात्र नहीं हैं और जो पाने के पात्र हैं वह दर-दर की ठोकरें खाते हैं उनको लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं सदन में मा0 मुख्य मंत्री जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहती हूं कि विधवा पेंशन को पाने के लिए महिलाएं जाती हैं फार्म भरवाने के लिए, सेक्रेटरी बिना पैसा लिये उस फार्म पर दस्तखत नहीं करता है। लेखपाल बिना पैसा लिये प्रमाणित नहीं करता है, वह दर-दर की ठोकरें खाती रहती हैं और उनको पेशंन नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में मैं इस सदन के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि जो आपने बी0पी0एल0 परिवार वालों को जो आपने सुविधा मुहैया कराने की बात की है, उनको ठोकर न खाना पड़े इसलिए ग्राम पंचायत स्तर पर खुली बैठक करा करके वहां व्यवस्था दिलाये जाने की मैं मांग करती हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब कृपया समाप्त करें।

सुश्री सावित्री बाई फूले-

मान्यवर, हमारा बलहा विधान सभा क्षेत्र नेपाल से सटा हुआ है, हमारे क्षेत्र में चार नदियां हैं और हमारा क्षेत्र 70 किलोमीटर जंगल एरिया से सटा है। हमारे क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोग निवास करते हैं, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, सड़क इतनी जर्जर हैं कि लोग कहते हैं कि यह सड़क है कि गड्ढा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्या, अब आपका समय ज्यादा हो गया, कृपया बैठ जाएं। माननीया सदस्य अब हो गया, बैठिये।

सुश्री सावित्री बाई फूले-

एक साल बीत गया इस सरकार को लेकिन हम लोगों को एक भी हैण्डपम्प नहीं दिया गया। समग्र ग्राम के लिए भी हमारे जिले के चाहे वह एस0डी0एम0 हों या डी0एम0 हों मनमानी कर रहे हैं, धोखा किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठ जाओ, सन्यासी बड़ा शान्त होता है।

*डा0 संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रो0 शिवा कान्त ओझा द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हम सब अपने आपको बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं जब हम आपके इस ऐतिहासिक मण्डप में आये तो हमारा ऐतिहासिक मण्डप अपने गौरवशाली गाथा का 125वीं साल गिरह मना करके उत्तरशती रजत जयन्ती समारोह आयोजित करके आपने इतिहास के पन्ने में एक अपना स्थान बनाने का काम किया है। यह ऐतिहासिक मण्डप गवाह है कि इस ऐतिहासिक मण्डप में, इस देश के महामहिम राष्ट्रपति आ करके हम सबको जो सम्बोधित करने का काम किया है उससे हम सबके अंदर एक नई प्रेरणा का संचार हुआ है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 श्री मुलायम सिंह यादव जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक मण्डप में आ करके हमारे भूतपूर्व सदस्यों और वर्तमान सदस्यों को सम्बोधित करके एक नई परम्परा का जो उदाहरण दिया है उसके लिए हम आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं। महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में इस देश के जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं जो मेहनतकश हैं, लाचार हैं, जिनके बारे में उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने जिनके बारे में नीतियां और कार्यक्रम बनाया है उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया है। आज हमारे उत्तर प्रदेश को गौरव हासिल है कि जो ऐतिहासिक महाकुम्भ का जो अवसर मिला था इलाहाबाद के अन्दर वह सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, सिर्फ हिन्दुस्तान के लिए

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही नहीं मा0 अध्यक्ष महोदय, पूरी दुनिया के श्रद्धालु इलाहाबाद के ऐतिहासिक कुम्भ के अवसर पर आये थे। यह हमारी धर्मनिरपेक्षता का, हमारी सामाजिक एकता का एक स्वरूप देखने को मिला था वह अपने आप में महत्वपूर्ण था। हम माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। हम माननीय नगर विकास मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और यहां पर बैठे हुए मा0 लोक निर्माण मंत्री जी का भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं। मान्यवर, यह ऐतिहासिक मेला, जिस मेले में पूरे देश और दुनिया की नजर लगी थी, एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर था। मान्यवर, मौनी अमावस्या के दिन हम लोग खुद साक्षात उसके गवाह हैं। हमें भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिला, वहां पर बहुत से कुम्भ देखे। हमें इस बात का फख्र है कि जब अर्द्ध कुम्भ भी हुआ था तो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकार थी और जब महाकुम्भ हुआ तो उत्तर प्रदेश के अन्दर मा0 अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार है। पूरे देश के अन्दर प्रचारित किया गया कि जिस तरह की व्यवस्था थी, जिस तरह का इंतजाम किया गया था यह हम नहीं कहते हैं, जितने भी महामंडलेश्वर आये, जितने अखाड़ों के संत-महात्मा आये, सबने एक स्वर में कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से व्यवस्था किया है, बहुत से महाकुम्भ हुए, इस तरह की व्यवस्था किसी सरकार में नहीं किया गया। (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों के द्वारा मेजें थपथपाई गयीं) हम किसी के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाते। यह हमारी हिन्दू धर्म संस्कृति है, एक पवित्र स्थान है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन संगम तटस्थली है। अध्यक्ष महोदय, कितना आकर्षक है। इलाहाबाद का देश और दुनिया में नाम है। यहां 4 करोड़ से लेकर कितने-कितने लोग आये जहां उस पवित्र सरोवर में स्नान करके अपने परिवार के लिए, देश के लिए मन्नतें मांग रहे थे और देश के लिए मन्नतें मांग रहे थे। हमें दुःख होता है अध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर जब प्रश्न चिन्ह लगता है। भारत के रेल मंत्रालय को, भारत सरकार को चिन्ता होनी चाहिए थी कि उत्तर प्रदेश सरकार सारे संसाधनों का उपयोग करके बेहतर सुविधा देने का काम कर रही थी, वहीं देश में बैठी हुई केन्द्र सरकार मूकदर्शक बन करके देख रही थी। हमें इस बात की चिन्ता है अध्यक्ष महोदय कि इंसानी कदमों के पैरों के तले दब करके हमारी मातायें जो पवित्र उद्देश्य ले करके आयी थीं, उस रेलवे स्टेशन पर दब करके, इंसानी कदमों के नीचे दब करके उस रेलवे स्टेशन पर दबकर इंसानी कदमों के नीचे दबकर अपना जीवन समाप्त कर गई। अध्यक्ष महोदय हमें पीड़ा है हम पूछना चाहते हैं भारत के रेल मंत्रालय से उनके मंत्री का बयान आया बार-बार आप राजनीति करते हो आप इस देश को और उत्तर प्रदेश को बांटकर देखते हो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बांटकर नहीं देखा। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं को श्रद्धालु माना। देश के किसी कोने से लोग आये दुनियां के किसी कोने से लोग आए उनको एक श्रद्धालु की भांति देखने का काम किया। लेकिन भारत के रेल मंत्री या भारत की केन्द्र सरकार से जिस तरह के बयान आये वह बहुत ही अशोभनीय हैं और निन्दनीय हैं हम उनकी निन्दा करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि जैसे ही यह घटना घटित हुई हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरी तौर पर अपने उच्चाधिकारियों को भेजकर अपने मंत्रियों को भेजकर खुद जब गये हम सब वहां छात्र राजनीति के हैं हमें इस बात की चिन्ता थी कि कहीं हमारे मुख्य मंत्री जी का कोई विरोध न करे लेकिन उस इलाहाबाद के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति जिस तरह से आकर्षण था जब हेलीकाप्टर से उतर कर हजारों हजार लोगों के बीच गये रेलवे स्टेशन पर लोगों के बीच होकर

गये ऐसे-ऐसे स्थानों से गये तो पूरे इलाहाबाद के अन्दर किसी ने कोई प्रतिकर नहीं किया लोग जानते थे कि गल्तियां कहां हुई हैं और किससे हुई हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक ऐसे नेता विरोधी दल हैं मैं सोचता था कि नेता विरोधी दल का भारत के संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संचालित करने में महत्वपूर्ण स्थान होता है लेकिन जब वह पहले बोल रहे थे तो हम लोगों को कहे कि जो लोग यहां पर बैठे हैं वह बैशाखनन्दन हैं माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बार-बार हमारे लिए गुण्डागर्दी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बार-बार कहानियों का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि हम बैशाखनन्दन हैं हम पूछना चाहते हैं कि अगर हमारे यहां पर बैठे हुए विधायकों की तुलना में अगर आपके एक भी विधायक ने सामाजिक और राजनैतिक आन्दोलनों में भाग लिया हो तब आप कहें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

डा0 संग्राम यादव-

जो इस देश का कमजोर है, मजदूर है, किसान है जो बेसहारा है रिक्शा चलाता है आज उत्तर प्रदेश सरकार उसको बैटरी चालित रिक्शा देने का काम कर रही है। बेरोजगारी भत्ता हो या कन्या विद्याधन योजना हो मान्यवर, यह मामूली बात नहीं है। चौधरी साहब कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि जब किसान खुशहाल होगा तब जाकर देश खुशहाल होगा। आज हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो एक लाख दुर्घटना बीमा योजना थी उसको बढ़ाकर पांच लाख करके अपनी संवेदना का परिचय दिया। अध्यक्ष जी हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमें इस बात के लिए तकलीफ है कि बार-बार नेता विरोधी दल का आचरण जिस तरह से वह गुण्डागर्दी करके हम सबको अपमानित करने का काम करते हैं उसकी हम निन्दा करते हैं और आपसे पुरजोर हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि परसों की कार्यवाही आप निकलवा कर देख लें उन्होंने बैशाखनन्दन कहकर हम लोगों का उपहास उड़ाने का काम किया है। ऐसे लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं उनके सम्बन्ध में हमें उम्मीद है कि आपकी पीठ से कुछ दिशा-निर्देश मिलेगा जिससे यह लोकतंत्र मजबूत होगा इन्हीं भावनाओं के साथ हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

श्री गयादीन अनुरागी-

माननीय अध्यक्ष महोदय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया आपने पहली बार मौका दिया इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम यह बातें जो हो रही हैं पक्ष और विपक्ष की तो इसके पहले भूत में मैं जाना चाहता हूं 12-13 दिसम्बर, 1992 में सपा-बसपा का गठबन्धन हुआ यह सारे लोग जानते हैं। 04 दिसम्बर, 1993 को सपा-बसपा की सरकार बनी क्योंकि मैं भी पहले बहुजन समाज पार्टी में 1981 से लेकर 1995 तक रहा हूं। इन लोगों की जो बातें हैं 1996 में सपा और बसपा अलग-अलग हुई। अलग-अलग चुनाव लड़े और 16 साल हो गये समाज वादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आमने-सामने हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं कि माननीय श्रीकृष्ण जी 16 कलाएं जानते थे हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी भी 16 कलाएं जानते हैं। इन लोगों ने जो कुछ किया है मेरे पिता की इच्छा थी मैं बुन्देलखण्ड

से चुनकर आऊं और समाजसेवा का काम करूं। उस बुन्देलखण्ड की राठ विधान सभा से मुझे 92 हजार वोट मिला है कांग्रेस पार्टी को बुन्देलखण्ड में आज तक किसी को इतना वोट नहीं मिला लेकिन बहुजन समाज पार्टी की कथनी और करनी में इतना फर्क है कि जो भी बहुजन समाज पार्टी के यहां विधायक हैं सुन लें। मान्यवर, कांशीराम जी एक वैज्ञानिक थे। ऋषि रिसर्च करता है और रिसर्च करने के बाद में मुनियों को देता है और मुनि समाज में बांटने का काम करता है। हम लोग उन मुनियों का काम कर रहे थे, बीच में मान्यवर, कांशीराम जी का इस तरह से कर दिया गया कि विदेश में इलाज कराया गया और स्वीट प्वाइजन देकर उनको मार डाला गया। जब स्वीट प्वाइजन देकर मार डाला गया आज यह माननीय हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, ये जनता दल में थे और जनता दल में कहा जाता था कि **देश का बल जनता दल।** उनकी कमी नहीं है, रामायण में एक चौपाई है कि **चोर लपाट सन्त मुनि ज्ञानी, जस अपना तस औरो जानि।** यह मौर्या जी का दोष नहीं है। यह उनके दल के जितने भी विधायक है। मैंने इनके दल में 14 साल काम किया है और 14 साल में रामचन्द्र जी ने 14 वर्ष का बनवास भोग करके सारे दुष्टों का संहार किया था। मैंने भी 14 साल बहुजन समाज पार्टी में काम किया है। मेरे पिता जी की हार्दिक इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बन के समाज की नौकरी करे लेकिन मान्यवर, कांशीराम जी ने यह कहा था कि नौकरी करोगे तो परिवार का पेट पालोगे, समाज की नौकरी करो। मान्यवर, मैंने समाज की नौकरी की। मेरे एक लड़के ने आई0 आई0 टी0 देहली से किया, दूसरे लड़के ने बी0आई0टी0 रांची से बी0 टेक0 किया। मेरी लड़की बी0टेक0, एन0आई0टी0 सुल्तानपुर से कर रही है तो इन समाजसेवियों का जो काम है, यह जिस तरह से सदन में बोलते हैं तो सत्य के लिये सत्ता की आवश्यकता नहीं होती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को एक बात के लिये आगाह करना चाहता हूं कि हमारे बुन्देलखण्ड में जिस तरीके से अवैध खनन का दोहन हो रहा है। मेरे बार-बार अधिकारियों को लिखने के बाद भी मुझे मजबूर होकर 15 फरवरी को तीन घण्टे का सांकेतिक धरना करना पड़ा। एक मां है माननीय अध्यक्ष जी जो हमको पैदा करती है, उस मां से हम पैदा होते हैं। दूसरी मां है, वह है धरती माता है। धरती माता के लिये सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद भी कि बालू को लिफ्टरों और पापुलेंट से न उठाया जाय लेकिन धरती माता का हृदय चीरा जा रहा है। आज धरती माता कराह रही है, पर्यावरण चौपट हो रहा है। उसी का परिणाम है कि यह असमय वर्षा हो रही है, असमय ओलावृष्टि हो रही है और असमय किसान त्राहि-त्राहि मचाये हुए हैं। मैं एक मजदूर का बेटा हूं। मेरे पिता जी मजदूर थे। अगर किसान के पास चार दाना नहीं होगा तो मजदूर को नहीं मिलेगा तो मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे बुन्देलखण्ड को अवैध खनन से बचाया जाय अगर नहीं बचाया जाता तो अभी मैंने सांकेतिक धरना दिया है। पुनः मैं इस सदन में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 22 मार्च के बाद मैं अनशन करूंगा क्योंकि वहां के एस0डी0एम0 ने कहा है कि वहां कोई वैध खदान नहीं है। जब आपके प्रशासन का अधिकारी कह रहा है कि राठ में वैध खदान नहीं है तो रात में ट्रैक्टर की इतनी धड़-धड़ की आवाजें क्यों निकलती हैं। अगर मैं फोन करता हूं तो सम्बन्धित थानाध्यक्ष या एस0डी0एम0 एक दो ट्रैक्टर को पकड़ कर चालान कर देते हैं और यह सारा का सारा हो रहा है। इसकी जांच करा लीजिये कि कौन दल के लोग इसका खनन कर रहे हैं। अगर मेरी बात झूठी हो तो मैं इस सदन से आज ही इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो माननीय मुख्य मंत्री जी को इसकी जांच कराना

चाहिए क्योंकि इसके पूर्व में साध्वी निरंजन ज्योति ने इस तरह का मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि निषादों को पट्टे दे दिये जायं और यह जो बारी लगाते हैं इस तरह से व्यापार करते हैं उनको रोका जाय। लेकिन न उनको पट्टे दिये जा रहे हैं न अवैध खन्न को रोका जा रहा है। हमारी धरती माता कराह रही है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि 16 साल हो गये सपा-बसपा को। 2006 में माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने काम किया था जिला पंचायत में और उसका परिणाम 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई और जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो 2011 में किस तरीके से जिला पंचायत में इन्होंने किया। आज मान्यवर इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। हम चाहेंगे कि भूत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री गयादीन अनुरागी-

दोनों को मिला करके भविष्य बनता है। दोनों दल के लोग जीत चुके हैं। बुन्देलखण्ड के लिये पैकेज और मान्यवर, एक प्रार्थना और है कि माननीय पूर्व मुख्य मंत्री बी0पी0 सिंह ने हमारे यहां बुन्देलखण्ड में घोषणा की थी कि बिजली की कटौती नहीं होगी। बुन्देलखण्ड में 130 रुपये प्रति हार्स पावर रहा है बिजली का बिल और दूसरे जिलों में 75 रुपये प्रति हार्स पावर लिया जा रहा है। हमारे बुन्देलखण्ड के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे यहां बुन्देलखण्ड का जो पैकेज दिया गया है कोई काम नहीं हो रहा है। नरेगा हो या मनरेगा उसका धन आवंटन नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

अरे अब आप बन्द करिये, बहुत समय हो गया।

श्री गयादीन अनुरागी-

मैं ज्यादा न कहते हुए आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्रीमती इन्द्राणी देवी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझ गरीब किसान की बेटी को बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं इस सदन के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। अध्यक्ष जी ब0स0पा0 के लोग जो बैठे हुए हैं जब ब0स0पा0 की सरकार थी तो जंगलराज कायम था और क्षेत्र में कोई भी समाज, कोई भी नौजवान, बेरोजगार बेटा और बच्चियां सुरक्षित नहीं थी। अध्यक्ष जी मैं जनपद श्रावस्ती की विधायिका चुनकर सदन में आई हूं और हमारे जनपद श्रावस्ती विधान सभा भिनगा में एक ब0स0पा0 की सरकार में एक गांव धन्नी सिंह था जिसमें ब0स0पा0 के मंत्री और ब0स0पा0 के विधायकों ने दिन दहाड़े धन्नीसिंह गांव में हमारे मुस्लिम समाज को लुटवाने उनकी हत्या

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करवाने बलात्कार करवाने का काम दिन दहाड़े किया उस समय न तो ब0स0पा0 की सुप्रीमों मायावती ने सुना, न जिलाधिकारी और न एस0पी0 ने सुना, आज मैं ब0स0पा0 के लोगों से इस सदन के माध्यम से पूछना चाहती हूं कि उस समय आपकी कानून-व्यवस्था कहां थी। आज हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार है और आज हमारे नौजवान मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी हैं और करोड़ों नौजवानों को, बेजुबानों को जुबान देने वाले मुख्य मंत्री जी मैं उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने ऐसे जानकार नौजवान को मुख्य मंत्री बनाया और मुख्य मंत्री जी ने अपने कामों के द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता को बता दिया कि मैं आपके बीच का सेवक बनकर जनता की उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई करता हूं। मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी को सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूं कि मेरी आवाज अगर मीडिया के लोग हों, पेपर वाले लोग हों तो उत्तर प्रदेश में बताने का काम करें क्योंकि जो हमारे युवा मुख्य मंत्री जी ने काम किया है और समाजवादी पार्टी की सरकार ने और यहां के मंत्री और विधायकों ने काम किया है यह उत्तर प्रदेश की जनता उसकी सराहना करती है। मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से बताना चाहती हूं कि मैं किसान की बेटी हूं और मुख्य मंत्री जी ने जब सदन में बजट प्रस्ताव रखा तो मैं जब सदन से शाम को अपने आवास पर गई तो हमारी क्षेत्र की जनता और समाज के सभी वर्गों ने मुझे बधाई देने का काम किया। मा0 अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी के बजट प्रस्ताव में सभी वर्गों का, सभी नौजवानों का, लड़कियों का, महिलाओं का बच्चियों का सबकी भागीदारी है। इसके लिए मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझे बधाई देने का काम किया है। मैं आज ब0स0पा0 के लोगों से पूछना चाहती हूं कि जब आपकी सरकार थी तो आपने नौजवानों को कुचलने का काम किया। बच्चियों को कुचलने, बलात्कार का काम किया, दिन दहाड़े लुटवाने का काम किया, अधिकारियों को जेल में मरवाने का काम किया। वह बतायें कि उन्होंने पांच साल की करतूत में क्या विकास किया। उन्होंने विकास नहीं विनाश किया उसी के माध्यम से जनता ने हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। इतने विधायक बैठे हैं, मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार इतने बहुमत में आई है और मा0 अध्यक्ष जी ब0स0पा0, भा0ज0पा0 और कांग्रेस की करतूत से हमारी सरकार 2014 में लोक सभा में भी आएगी फिर 2017 में उत्तर प्रदेश में भी आएगी। इसको कोई काट नहीं सकता है। (मेजें थपथपाई गईं।)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं भा0ज0पा0 के लोगों से पूछना चाहती हूं जब इनकी सरकार यू0पी0 में थी, दिल्ली में थी.....

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें जो मा0 सदस्य नहीं बोल पाए हैं वह 25 तारीख को बोल लेंगे। मुख्य मंत्री जी का दो बजे का टाइम है।

(श्री उपेन्द्र तिवारी, श्रीमती सीमा, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल तथा कुछ अन्य सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष-

द्विवेदी जी, आप बैठ जाइये, बजट पर जब चर्चा होगी तो आप बोल लीजिएगा। राधामोहन दास जी, मुख्य मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हैं, आप बैठ जाइये।

*मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। हालांकि शुरूआत नेता विरोधी दल ने की और बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी बातें उन्होंने रखीं। क्योंकि सवाल गन्ने का चला था और चीनी मिल कैसे लगे, सरकारी चीनी मिल कैसे चलें, उस पर बातचीत थी। अपनी-अपनी बात सदस्य रख रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं नेता विरोधी दल रास्ता निकाल रहे थे कि कहां बहाना मिल जाये जिससे हम सदन छोड़कर चले जायें और यह बात माननीय प्रमोद तिवारी जी ने भी कहा। इसी तरह सदन में राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय हुकुम सिंह जी ने, माननीय प्रदीप माथुर जी ने और बहुत सारे सदस्यों ने अपनी बात रखी, सुझाव दिये हैं। कुछ पहलू ऐसे हैं, जिनको चर्चा में लाने से कहीं न कहीं सरकार को ही लाभ मिलेगा। जिस समय से सरकार बनी है, समाजवादी पार्टी और हम लोगों का यह लक्ष्य था कि जो घोषणा-पत्र समाजवादी पार्टी ने जनता के बीच में रखा है, क्योंकि उसी घोषणा-पत्र के माध्यम से समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला है। उनको कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं में बदल करके कैसे जनता तक उसको पहुंचाया जाए। कम समय का मौका मिला, सदन भी बहुत चला, हालांकि पुरानी सरकार ने यह परम्परा तोड़ दी थी कि सदन चलाया जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद सदन भी चला और जब तक बजट पास हुआ काफी समय निकल गया था। जुलाई का महीना शुरू हो गया और जुलाई के महीने के बाद बरसात होती है और भी कारण रहे, चुनाव भी रहा, जिसकी वजह से कुछ सवाल जरूर खड़े हुए कि पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई भी बजट आप उठाकर देख लीजिए, न कभी इन्होंने घोषणा-पत्र बनाया, कोई भी बजट हो, चाहे सप्लीमेन्ट्री बजट हो, चाहे कोई बजट रहा हो, उठाकर देखेंगे तो कहीं न कहीं पत्थर, मूर्तियों और स्मारकों पर पैसा लुटाया गया और जिस तरह से बर्बादी हुई है वह भी देखने को मिली है और बहुत बड़े पैमाने पर उसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है। क्योंकि नेता विरोधी दल यहां नहीं हैं, अपने पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा, वह भी जेल चले गये, उनके पड़ोसी जो थे और बाद में उन्होंने जिस विभाग को संभाला उस विभाग में कितना क्या हुआ है, वह धीरे-धीरे सामने आ रहा है। उनके कई मंत्री जेल जा चुके हैं और बहुत से अधिकारियों के सामने संकट है तो यह भी कहीं न कहीं जो पुरानी सरकार में हुआ वह चीजें सामने आ रही हैं। उन्होंने कई सवाल रखे, उन्होंने कहा कि डा0 राममनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना जो है, उसका कहीं न कहीं नाम बदल दिया गया है। उनकी जो अम्बेडकर योजना थी, भीमराव अम्बेडकर योजना के नाम से जो गांव चिन्हित किये गये हैं उसी योजना को बदल दिया है। यह सरकार सदन में गुमराह करने के लिये तथ्य दिये गये। सच्चाई यह है कि यह योजना जो डा0 लोहिया जी के नाम से समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुई है इसमें 22 योजनाएं और कुल जो 22 विभाग हैं, उसके लगभग 41 कार्यक्रमों को एक साथ करके गांवों में चलाने का काम हो रहा है और जो उनकी योजना थी, उसमें केवल 5 मिनी कार्यक्रम चलते थे और जो योजना भी थी, भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से, वह गांव के एक हिस्से में ही रह जाती थी और उसका आधार जाति के आधार पर गांव चिन्हित करना था। वही समाजवादी सरकार में जो लोहिया ग्राम विकास योजना है इसमें पिछड़ेपन के आधार पर गांव को चिन्हित करके समग्र विकास करने का काम हो रहा है। इसी तरह बेरोजगारी भत्ते के बारे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में कहा गया कि नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। रोजगार नहीं दिया जा रहा है। पांच साल में आपने कितने रोजगार दिये वह आंकड़े भी सामने होंगे। अगर आपने रोजगार के इंतजाम किये होते तो समाजवादी पार्टी की सरकार को इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी भत्ता नहीं देना पड़ता। जो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है उसके बाकायदा मापदण्ड है। उम्र की सीमा तय है, फार्म भरना है और आय 36 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इस योजना से साढ़े ग्यारह लाख नौजवानों को सीधा-सीधा लाभ मिला है। जहां तक रोजगार का सवाल है रोजगार तब तक नहीं आ सकता जब तक खेती पर ध्यान न दिया जाये और उद्योग कारखानों के इंतजाम न किये जायें। सरकार इसी प्रयास में है कि खेती का भी इंतजाम ठीक हो किसान को भी सहूलियत मिले और जितना उद्योग कारखाने लगाने का माहौल बन सके वह बनाया जाये। जिससे उत्तर प्रदेश में निवेश हो और रोजगार का इंतजाम हो सके। सरकार बनते ही हमने यह प्रयास किया कि कैसे पॉलिटेक्निक को ठीक किया जाये, कैसे आई0टी0आई0 को ठीक किया जाये और इंजीनियरिंग पास करने के बाद जो नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं उनको रोजगार के लिए कैसे इंतजाम किये जायें। इसीलिए आई0टी0 नीति भी तैयार की है। पॉलिटक्निक की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था उस तरफ भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ध्यान देना शुरू किया है। मैं खुद लखनऊ के एक आई0टी0आई0 में गया था। प्रधान मंत्री के सलाहकार आये थे और वह कह रहे थे कि केन्द्र सरकार का बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। इसमें स्किल डेवलपमेन्ट का है। पुरानी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अभी आंकड़े मेरे पास नहीं है। मैं समय आने पर सदन में आंकड़े जरूर दूंगा। किस तरह से इन्होंने आई0टी0आई0 को भी नहीं छोड़ा। उस योजना में जिसमें केन्द्र सरकार से पैसा आता था उसको भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने लूटा था। पॉलिटेक्निक, आई0टी0आई0 और इंजीनियरिंग में कैसे उत्तर प्रदेश को माहौल ठीक हो उस पर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और मुझे भरोसा है कि जब निवेश आएगा तो उत्तर प्रदेश का विकास भी होगा और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलने का काम भी होगा। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक प्रदेश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है तब तक नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम लगातार चलता रहेगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि जितनी योजनाएं हैं हम लोगों ने नकल की है। इस सदन में सभी माननीय सदस्य जानते होंगे कि कन्या विद्या धन योजना सबसे पहले नेता जी ने शुरू की थी। नेता जी के शुरू करने के बाद इन्होंने जरूर एक नकल की थी जिसको यह अपना बता रहे हैं कि इनकी योजना थी और विद्या धन योजना जब शुरू हुयी है तब वह नेता जी की सरकार में शुरू हुयी थी। इनकी सरकार में वह योजना बंद कर दी गयी और जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है हम लोगों ने योजना को दोबारा शुरू करने का काम किया है और एक हजार करोड़ से ज्यादा पैसा सरकार की तरफ से लाभार्थियों तक पहुंचाया गया है। इसी तरह अल्पसंख्यक मुस्लिम बेटियों के लिए 10वां पास की योजना इनकी तो नहीं थी। यह तो समाजवादी पार्टी की नई योजना है। 10वां पास जो अल्पसंख्यक बेटियां हैं खासकर मुस्लिम समाज की जो बेटियां हैं उनको भी 30 हजार की मदद सरकार की ओर से हो रही है। वह योजना भी समाजवादी पार्टी की है इनकी नहीं तो कोई भी योजना जो समाजवादी पार्टी की सरकार में चल रही है उसमें कहीं कोई नकल नहीं की गयी है। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में लिखा था और समाजवादी सोच के साथ कि किस तरीके से जो गरीब हैं, किसान हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं उनको कैसे लाभ पहुंचाया

जाये। उनको सीधा-सीधा लाभ कैसे पहुंचाया जाये उनको सीधा-सीधा लाभ पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। इन्होंने लैपटाप में भी कहा कि लैपटाप कब मिलेंगे। उन्होंने कहा कि झुनझुना दिखाकर सरकार ने नौजवानों का वोट ले लिया। मैं समझता हूं कि इस सदन में सभी सदस्यों को यह जानकारी होगी कि लैपटाप खरीदने का तरीका क्या होता है। उसका एक प्रोसीजर है और सरकार बनते ही समाजवादी पार्टी ने उसमें फैसला ले लिया था। बजट में भी उसका प्राविधान कर दिया था। पूरे स्पेसिफिकेशन तय करना, उसके बाद टेण्डर होना और टेण्डर में जो पात्र हो उसको मौका देना तो खुशी की बात यह है, मा0 सदस्य सब जानते भी हैं कि टेण्डर भी हो गया है और जिस कम्पनी को टेण्डर मिला है, वह भी दुनिया की मैं समझता हूं बड़ी कम्पनी है। उसको टेण्डर भी मिला है और बहुत जल्दी ही वह लैपटाप बंटना भी शुरू हो जायेंगे, जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने फैसला लिया है। यह लैपटाप की योजना भी समाजवादियों की है, यह बसपा की योजना नहीं है।

(भाजपा के एक मा0 सदस्य द्वारा कम्पनी का नाम पूछे जाने पर)

एच0पी0 कम्पनी है। जिन्होंने गलती की थी टेण्डरों में वह पुरानी सरकार वाले जानते हैं। कैसी-कैसी अनियमिततायें उन्होंने कीं, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा, इसलिए पूरी पारदर्शिता के साथ टेण्डर प्रक्रिया अपनाई गई और जो उसमें पात्र था, उसको दिया है और बहुत जल्दी ही कम्प्यूटर/लैपटाप भी बंटना शुरू हो जायेंगे। जहां तक खाद की बात है तो खाद का इन्तजाम भी पूरे उत्तर प्रदेश में बेहतर रहा, जितनी जरूरत थी उतनी खाद खरीदी सरकार ने, एडवांस में पैसा दिया और कहीं भी उत्तर प्रदेश में किसानों को इस बार उस बार की तरह संकट का सामना नहीं करना पड़ा जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार में संकट का सामना करना पड़ता था। धान और गेहूं की खरीद की शुरूआत जैसे ही हुई थी। हमारी नई-नई सरकार बनी थी, पुरानी सरकार ने बोरों का भी इन्तजाम नहीं किया था। उस समय गेहूं की खरीद में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थीं और जितना हम लोग लाभ देना चाहते थे, सरकार के माध्यम से वह लाभ हम लोग नहीं दे पाये थे किसान को, लेकिन इस सदन में, मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि गेहूं की खरीद होने जा रही है, इस बार पैदावार भी ज्यादा है पहले से ज्यादा लक्ष्य भी है। इस बार जो कीमत है वह किसानों को देने के लिये संकल्प लिया है सरकार ने और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बार गेहूं की खरीद में किसी भी तरह की बेईमानी और किसी भी तरह की हेरा-फेरी नहीं होने देंगे और इसके लिए हम सब लोग सरकार के लोग मिलकर के काम करेंगे और कहीं सुझाव होगा भी विपक्ष का, सदस्यों का, कहीं किसी तरह की बात होगी तो उनसे भी सहयोग लेकर के इस पर काम पूरी तरीके से जिम्मेदारी से होगा। धान में जो सहयोग मिलना चाहिए था। केन्द्र सरकार से, एफ0सी0आई0 से वह नहीं मिला, उसके कारण कोई भी हो, लेकिन जो मदद या जिस तरीके का एफ0सी0आई0 से सहयोग मिलना चाहिए था उस तरह का उत्तर प्रदेश सरकार को सहयोग नहीं मिला। गन्ना किसानों के बारे में भी सवाल उठाये गये कि बहुत सारी जगह गन्ना घटतौली है, कुछ बीच में मिल कर के लोग किसानों को तकलीफ दे रहे हैं, परेशानी पैदा कर रहे हैं तो जहां-जहां सरकार को सूचना मिली, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई। मऊ में जानकारी मिली, सूचना मिली तो मऊ के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई, सबके सब हटा दिये गये, सब सस्पेण्ड कर दिये गये। इसी तरीके से लगातार इसमें काम करना पड़ेगा और रेट भी किसान को सरकार ने बेहतर दिया है, अच्छा दिया है। हालांकि चीनी मिल वाले उससे खुश नहीं

थे, उससे प्रसन्न नहीं थे। वह कह रहे हैं कि जब चीनी का दाम बाजार में कम हो गया और विदेश से भी चीनी मंगा दी गई है केन्द्र सरकार की नीतियों की वजह से तो जो मूल्य उन्हें मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आपको भरोसा दिलाती है, पिछली बार भी जो बकाया था किसानों के गन्ने का, वह पूरा दिया गया है। आने वाले समय में भी सरकार गन्ने की जो कीमत होगी, वह किसानों को उपलब्ध करायेगी और वर्तमान पेराई सत्र में गन्ना किसानों को लगभग तीन हजार करोड़ रुपये अधिक गन्ना मूल्य के रूप में प्राप्त होंगे क्योंकि जो दाम बढ़ाये उससे तीन हजार करोड़ रुपये ज्यादा मिलेंगे। इसी तरह आरक्षण नीति पर सवाल किया कि कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस समाज के साथ, उस वर्ग के साथ अनदेखी की है, लेकिन हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जो आदेश था, मा0 सुप्रीम कोर्ट का उसका हम लोगों ने पालन किया और आरक्षण के सवाल पर हमारी पार्टी की साफ नीति है और केवल पार्टी ही नहीं पूरे के पूरे हम लोग इसी पक्ष में हैं कि प्रमोशन में आरक्षण के पक्ष में समाजवादी सरकार कभी नहीं हो सकती। केन्द्र में जब यह बात आई तो उसमें भी समाजवादी पार्टी ने इसी बात को रखा। इसी तरह गरीबों की योजनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि जो आवास योजना है। उसकी भी सरकार ने नकल की है। जो इनके गांव में गरीब के आवास बनते थे, उनके मापदण्ड क्या थे, उनके मापदण्ड वही थे जो इन्दिरा आवास के थे। हमारी समाजवादी सरकार में जो लोहिया ग्राम आवास मिल रहा है, उसके मापदण्ड भी अलग हैं, जितने एरिये की बात देने की उन्होंने कहा उससे भी ज्यादा है और इसके साथ-साथ नया इन्तजाम किया है कि जो लोहिया ग्राम आवास योजना के तहत घर बनाये जायेंगे उसमें सोलर एनर्जी का भी इन्तजाम किया जायेगा। जिससे कि जो गरीब परिवार हैं अगर कनेक्शन नहीं है, बिजली नहीं पहुंच पा रही है, तो सोलर एनर्जी का इन्तजाम उसको देंगे। जिससे कि वहां पर इंतजाम हो जायें। सच्चाई भी यह है कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिलना चाहिये और बढ़ावा देना चाहिये। आज जब सुबह के सत्र में वह सवाल बिजली का चल रहा था, सोलर एनर्जी का तो ये ऐसा है कि हम लोगों को आदत डालनी पड़ेगी। सोलर एनर्जी को अभी भी लोग ठीक बिजली नहीं मानते हैं, उसको बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं और जितना बढ़ावा मिलना चाहिए था प्रदेश की सरकार के माध्यम से वह नहीं मिला, इसीलिए समाजवादी पार्टी सोलर पॉलिसी भी लेकर आयी और किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिये काम चल रहा है। शुरूआत हम लोगों ने की है। लोहिया आवास योजना में हम लोगों ने शुरूआत की है। इसी तरह, आर0एल0डी0 के मा0 सदस्य वहां पर नहीं हैं, उन्होंने कहा कि जो जुगाड़ चल रही है, उसको क्यों रोका जा रहा है तो उसको सरकार नहीं रोक रही है। वह हाईकोर्ट के आदेश की वजह से रोके जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वे रोके जा रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे सुझाव आये थे। मा0 हुकुम सिंह जी का जो सुझाव था और उन्होंने जो बात रखी थी कि कुछ अधिकारी हैं जो पहले भी मिल करके काम करते थे। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था। उनके द्वारा बात रखने पर हमने चिन्हित कर लिया है कि वे कहां पर हैं। ये सही है कि अगर जानकारी पहले दे दी गयी होती तो जो उन्होंने बताया वैसा नहीं होता तो अगर उनके जैसी जानकारी मिलेगी तो ये सरकार आपको भरोसा दिलाती है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी और उनको हटाने का काम भी करेगी।

(सदन में मेजों की थपथपाहट)

इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में अपनी बात रखता हूं रख ही रहा हूं और इसके साथ-साथ जो कुम्भ मेले में व्यवस्था सरकार की तरफ से की गयी है उसके लिये मैं बधाई दूंगा। लोक निर्माण मंत्री जी को भी और आदरणीय आजम खां साहब को भी। कुम्भ मेले में इन्तजाम सरकार की तरफ से विभागों ने तो बेहतर किया, स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छा था। कहीं न कहीं उसका लाभ सरकार को भी मिला है। जब व्यवस्था अच्छी थी तो उसका प्रचार हुआ है देश में और दुनिया में भी। कहीं न कहीं कारण यह भी रहा कि बहुत सारे लोग कुम्भ में आये भी हैं और स्नान करके गये भी हैं और संख्या बढ़ती चली गयी उसके साथ जो घटना हुयी वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जब पहली बार प्रेस के लोगों और सरकार के लोगों ने भी पूछा तो हमने इस पर यह कहा कि जो घटना हो गयी उसके ऊपर हम लोग राजनीति नहीं करेंगे और किसी भी तरह की टिप्पणी तब तक नहीं करेंगे जब तक जांच का पूरा का पूरा आंकड़ा कि किस तरीके से क्या था, पूरा न आ जाये सामने। जो परिवार जिनके परिवारजनों की मृत्यु हो गयी उसमें उनकी मदद की सरकार ने, सात लाख रुपये भी पहुंचाये और जो घायल थे जिनको एक-एक करके मैंने अस्पताल में देखा भी था, मिला भी था। उनको दो-दो लाख रुपया सरकार की तरफ से दिया गया था इलाज के लिये, इसलिये सरकार का संकल्प है और सरकार जो बनी है तो जनता को मैं विश्वास दिला सकता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को। खासकर किसान, गरीब, मजदूर, मुसलमान भाई, नौजवानों को कि समाजवादी पार्टी आपके सामने कार्यक्रम, योजनाओं के साथ आयी थी और उन कार्यक्रम और योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। कोई भी बात जो घोषणा पत्र में लिखी है वह समाजवादी पार्टी की सरकार में अधूरी नहीं रहेगी, हम लोग उसे पूरा करेंगे।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

चाहे वह कन्या विद्या धन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे लैपटाप हो और चाहे गरीबों को रिक्शा देने की बात हो। ये भी अपने आप में एक अलग योजना है। जो गरीब कभी रिक्शे का मालिक नहीं बन सकता, इस सरकार ने उस पहलू को भी देखते हुए यह इंतजाम किया है कि जो गरीब रिक्शे वाले हैं, जो रोजगार ढूंढने शहर में चले आते हैं, उनको कैसे मालिक बनाया जाये, कैसे रिक्शा दिया जाये। आज जहां और प्रदेश आगे बढ़ गये हैं हमें भरोसा है कि 5 साल के अन्दर अभी शुरूआत हुयी है। सरकार की, दूसरे साल शुरू होगी। काम भी तेजी से होगा, पैसा भी खर्च होगा और हम भरोसा दिला सकते हैं अपने तमाम मा0 सदस्यों को कि उत्तर प्रदेश जहां पीछे गिना जाता है, समाजवादी सरकार में हर क्षेत्र में आगे दिखायी देगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

सुश्री सावित्री बाई फूले-

मा0 अध्यक्ष जी, हम कहना चाहते हैं कि अगर आपका मोबाइल नम्बर हम लोगों को मिल जाये जिससे अधिकारी, चाहे जिलाधिकारी हों या दूसरे कोई बड़े अधिकारी हों, गलत कर रहे हों तो उसकी सूचना हम आपको दे सकें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 शिवाकान्त ओझा जी, धन्यवाद में प्रस्ताव करें, सबको धन्यवाद करें।

(सदन में मेजों की थपथपाहट)

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी, हम अपनी बात यहां पर रखना चाहते हैं। [x x x] ।

श्री अध्यक्ष-

मिस्टर उपेन्द्र तिवारी, कोई कान में नहीं फूंका है, गलत आरोप मत लगाया करो। हम मंत्री जी से दूसरी बात कह रहे थे, बिना जाने आरोप, यह बात गलत है। हम बता रहे हैं। (शोर)

*प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

मा0 उपेन्द्र जी आप काफी पढ़े-लिखे आदमी हैं, मा0 पीठ पर आपको आरोप नहीं लगाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

यह गलत बात है, मैं कमेटी बनाकर फिर तो कार्यवाही कर दूंगा, अगर आप रोज ऐसे आरोप लगायेंगे हम यह आपको बता रहे हूं। यह क्या तरीका है कि आप जब चाहे रोज मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मा0 डा0 राधामोहन दास अग्रवाल साहब आप इनको समझाइए क्या हम लोगों ने राजनीति नहीं की है, हम लोग यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं, क्या हम लोग जेल नहीं गये हैं, हम लोग नहीं लड़ाई लड़े हैं, जब चाहे तब कह देते हैं कि ये मिल गये हैं, वो मिल गये हैं। धैर्य से विधायिकी है, बड़ी मुश्किल से आदमी जीतता है, एक बार जाता है दोबारा लौटना है कि नहीं यह आप जान लें।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 महामहिम के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरूआत हमने की थी। आज उसी का समापन करने जा रहा है। इस चर्चा में नेता सदन से लेकर, नेता विपक्ष नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता कांग्रेस, नेता लोकदल एवं करीब 88 मा0 सदस्यों ने अपने विचार बड़ी गम्भीरता से रखे। हमने उन सबको सुना है। बहुत सारे विपक्ष के मित्रों ने आलोचना के लिए आलोचना की और बहुत से विपक्ष के मित्रों ने सकारात्मक सुझाव भी दिये। मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में उनमें से बहुत सी चीजों का उल्लेख किया भी है। मान्यवर, महामहिम ने हमारी सरकार के विचारों को, हमारे कार्यों को रखने का प्रयास किया है। पूरी तरह पूरे निश्चय के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरा दृढ़ मनःस्थिति के साथ अपने कार्यक्रम को लागू करने पर हम तैयार हैं। हमने जो वायदा किया था उस वायदे को पूरा करना चाहते हैं। वायदा निभाना हमारी नीयत है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मैदान में खड़े होने से पहले भाग जाते हैं। परसों उन्होंने शुरूआत की थी बात करने की हमारी योजनाओं को नकलची करके बताया करते थे। वे कहते है हम नकल में नम्बर वन हैं, नकलची नम्बर वन हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं उन मित्रों को जो चले गये कि आपकी अगर हम नकल किये होते तो शायद यहां लौट कर न आते। आप की नकल थी पूरे उत्तर प्रदेश को पत्थरों और बूतों का उत्तर प्रदेश बनाया आपने, क्या हमने ऐसा किया। पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर पत्थर और बूत

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यही इनकी योजना थी। 5 साल में इन्होंने यही किया था और पूरे उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से पूरा लिप्त कर दिया था आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ उत्तर प्रदेश मिला, हमने क्या किया उसका कि जो भी भ्रष्टाचारी थे, नियम-कानून के तहत उनकी जांच कराई, वह सब बहुत सारे लोग जेल की सीखचों में हैं और कुछ जाने की तैयारी में भी हैं। लगा दिया उन्होंने आरोप कि लैपटाप नहीं दे पाए आप 11 महीना हो गया, लगा दिया आरोप टैबलेट आप नहीं दे पाये आज तक। मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, लाखों बच्चे हैं उन सब बच्चों को टैबलेट उपलब्ध करवाना, सबको कम्प्यूटर उपलब्ध करवाना एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। मुझे कहते हुए दुःख है इस बात का आपने क्या किया था ? मान्यवर, हमारी सरकार यह काम नहीं करती है। हमारी सरकार अच्छी नीयत के साथ लैपटाप और टैबलेट देना चाहती है इसी वर्ष सरकार इसे देने का प्रयास कर रही है। इसके लिए अच्छी कम्पनी का चयन भी किया गया है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहती है। भ्रष्टाचार पर प्रहार करना चाहती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपने उद्‌बोधन में इसे स्पष्ट किया है। यह कहा गया कि हम नम्बर एक के नकलची हैं। अगर हमने आपकी तरह से नकल की होती, तो शायद हमारी वह स्थिति न होती, जो आज आपकी हो गयी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि माननीय ओझा जी दलित परिवार में नहीं पैदा हुए हैं, इसलिए वह दलित का दर्द क्या जानें। यह सही है कि मैं दलित परिवार में पैदा नहीं हुआ हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष भी संभवतः दलित परिवार में पैदा नहीं हुए हैं। मान्यवर, हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं। मैं पिछले पैंतीस वर्षों से राजनीति में हूं। मुझे जेलों में भी जाना पड़ा है। हमने सार्वजनिक जीवन में सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्‌भाव के लिए काम किया है और सामाजिक भाईचारे को बढ़ाने का काम किया है। हम महाराजा और महारानी की व्यवस्था के भी खिलाफ हैं। लेकिन आपकी जो मुख्य मंत्री जी रही हैं, क्या उनका आचरण दलित जैसा है उनका व्यवहार वैसा है। वह तो महारानी की तरह रहती हैं। उनके पास कोई दलित फटक नहीं सकता है। उनसे हाथ नहीं मिला सकता है उनके पैर नहीं छू सकता है। लेकिन हमारे नेता ने, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने, सदैव सामाजिक समरसता को बनाने का काम किया है। आपने अम्बेडकर ग्रामों के विकास के बारे में चर्चा की है। कई बार सदन के भीतर उसकी चर्चा हो चुकी है। हमारी सरकार ने डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना बनायी है। हम इसके अन्तर्गत एक बस्ती विशेष का विकास नहीं करना चाहते हैं, हम समग्र विकास करना चाहते हैं। चाहे चयनित गांवों में जिस भी जाति, बिरादरी वर्ग के लोग रहते हों, सबके विकास की बात यह सरकार कर रही है। (मेजों की थपथपाहट।) हमारी सरकार में फैसले जातिगत आधार को ध्यान में रखकर नहीं किये जा रहे हैं। उस चयनित ग्राम में चाहे पिछड़े रहते हों, या अगड़ी जाति के लोग रहते हों, जिनको विकास की आवश्यकता है, सबके विकास की बात यह सरकार करने जा रही है। हमारी सरकार चाहती है कि समग्र समाज का विकास हो, तरक्की हो। जबकि पिछली सरकार में जाति को ध्यान में रखकर काम किया जाता था। हमारी सरकार चाहती है कि समाज के सभी वर्गों को समान विकास का अधिकार मिले, अवसर मिले। यह हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। सामाजिक विकास, समग्र विकास की भावना को ध्यान में रखकर, लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना बनायी गयी है।

हमारी सरकार ने मान्यवर, जो ऐतिहासिक काम करने का फैसला लिया है उसको महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में बताया है, जिसको हमारी सरकार करना चाहती है, और जिसकी कि चर्चा माननीय मुख्य मंत्री जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने भी यहां पर की है। हमारी सरकार चाहती है कि गरीब व्यक्ति को पूरी तवज्जो मिले। गरीब भी रिक्शे का मालिक बने। महाना जी ने आज एक क्वैश्चन भी लगा था कि बी0पी0एल0 श्रेणी में अनुसूचित जाति के अलावा अन्य जातियों के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। मान्यवर, हमारी सरकार, जो बी0पी0एल0 श्रेणी के लोग हैं, चाहे वह किसी भी बिरादरी के हों, उसमें चाहे पुत्री की शादी हो शिक्षा की बात हो, यदि उसकी आमदनी 36 हजार के भीतर है, तो उसको 30 हजार रु0 का अनुदान देने का काम किया है ताकि उसको शिक्षा मिल सके उसकी तरक्की हो सके। उसमें कहीं पर भी हमारी सरकार जातिगत आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर रही है। बी0पी0एल0 श्रेणी व उससे नीचे की सीमा में रहने वाली सभी परिवारों की लड़कियों को शिक्षा के लिए हमारी सरकार अनुदान देने का काम कर रही है। हमारी सरकार गरीब की बेटियों को पूरा सम्मान देना चाहती है। उसको शिक्षा और विकास का पूरा अवसर प्रदान करना चाहती है। इसलिए जो आरोप हमारी सरकार पर लग रहे हैं, वह निराधार हैं और उन आरोपों में कोई दम नहीं है तथ्यहीन हैं। वह सभी आरोप सत्यता से कोंसो मीलों दूर हैं।

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी से मैं सहमत हूं उन्होंने आलोचना न करके सकारात्मक सुझाव देने का काम किया है। माननीय प्रदीप माथुर जी से भी मैं कुछ हद तक सहमत हूं कि उन्होंने अपने काफी अच्छे सुझाव दिये हैं। उन सुझावों का माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारी सरकार ने पूरा संज्ञान भी लिया है। मान्यवर, हम सब विधायक यहां पर जनता का हित साधन करने के लिए आते हैं उनकी उन्नति के लिए आते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आलोचना करेंगे तो फिर हम इस प्रदेश को कैसे आगे ले जाने का काम कर सकेंगे। हम सबको तो मिलजुलकर काम करना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय प्रदीप माथुर जी और अन्य विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो सकारात्मक सुझाव दिये हैं उनको माननीय मुख्य मंत्री जी ने संज्ञान में लेने का काम किया है और उनका अभी उत्तर भी दिया है। मान्यवर, हमारी सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र की समर्थक है, और लोकतंत्र का पूरा सम्मान करती है। हम और हमारी पार्टी इस बात को पूरी तरह से महसूस करती है लोकतंत्र में विपक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सत्ता माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नेता विरोधी दल को कहा था कि आपके महत्व को हम समझते हैं और विरोधी दल का जो महत्व होता है उसको भी समझते हैं। एक घटना मैं बताऊं आपको, ब्रिटिश पार्लिमेन्ट के भीतर जब विश्वमंदी का समय था पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही थी उस जमाने में प्रोफेसर लासकी जो लेबर पार्टी से सम्बन्ध रखा करते थे बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, राजनीति शास्त्री भी बहुत बड़े थे। प्रो0 लासकी से लोगों ने पूछा कंजरवेटिव की सरकार थी उस जमाने में, लेबर पार्टी बराबर अट्रैक कर रही थी कंजरवेटिव पार्टी पर पार्लियामेन्ट के भीतर। पार्लियामेन्ट से बाहर निकलने पर लोगों ने प्रो0 लासकी से पूछा आप क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया अर्थ मंदी से गुजर रही है आप अपनी सरकार को कटघरे में खढ़ा कर रहे हो, लासिकी ने जो जवाब दिया वह मैं विपक्ष के सम्मानित लोगों से कह रहा हूं लासकी ने जवाब दिया था कि हम सत्ता को, पार्टी को जगाने के लिए हैं आप हमको जगाइये, आप हमको सजग करिये निश्चित रूप से हम आपकी बात को तवज्जह देंगे आपकी बात को सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे लेकिन सिर्फ

हम अच्छा भी काम करेंगे तो आप हमारी आलोचना करेंगे, हम अच्छी भी समाज बनाने का काम करें तब भी आप घृणा करेंगे निन्दा करेंगे मेरा ख्याल है इससे जनता भी आपका साथ नहीं देगी। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इतना ही नहीं काम किये हैं बीमा किसान दुर्घटना, कितनी मेहनत मशक्कत से किसान खड़ा होता है, धरती के सीने को चीरकर खून पसीना बहाकर अपने आपको खड़ा करने का काम करता है, आकस्मात किसी दुर्घटना में मर जाय तो उसके बच्चे, उसकी पत्नी उसका परिवार किसके दरवाजे जाये, कहां जाये, कहां भटके हमारी सरकार पहली ऐसी सरकार थी, हमारे नौजवान मुख्य मंत्री ने जिस तरह से एक बात को सुनिश्चित किया जो पिछली सरकार एक लाख रुपया मृत होने पर दिया करती थी हमने 5 लाख उसका दिया है। वह एक लाख की भी हमने ही शुरूआत की थी। आज हमारी सरकार है हमने 5 लाख रुपया हर किसान परिवार को देने की घोषणा की है और दे भी दे रहे हैं। हमने तो अपने क्षेत्र में 3 लोगों को दिला भी दिया है तो यह 5 लाख रुपया देने का काम हमने किया है। आप प्रयास कीजिए आपको मिलेगा। हमने अपने क्षेत्र में 3 लोगों को दिलाया है आप भी प्रयास कीजिए आपको भी मिल जायेगा। जहां न हो आप सूचित कर दीजिए, मिल जायेगा।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

दोनों योजनायें अलग हैं एक आम परिवार के आम आदमी के लिए योजना हैं और एक किसान के लिए है जो किसान ऐसी मौत मरेंगे, हमारी ही सरकार में एक लाख रुपये का प्राविधान पहली बार हुआ था माननीय मुलायम सिंह यादव जी, सरकार में और अब 5 लाख रुपये का प्राविधान भी समाजवादी सरकार से हुआ है लेकिन किसानों के लिए।

*श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

जिसके पास जमीन नहीं है उसका बतायें।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुर्नवास तथा लोक सेवा प्रबन्धक मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करा देता हूं खतौली में भूमिधर के तौर पर एक डिसमिल जमीन भी अगर किसी के नाम से दर्ज है और दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपये उसको दिये जायेंगे और अगर वह भूमिहीन है तो आम आदमी बीमा योजना से उसको लाभ मिलेगा अन्तर दोनों का सिर्फ एक है, उसको स्पष्ट कर दूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इसलिए लाभ नहीं मिल पाता। आम आदमी बीमा योजना के लिए जो भी भूमिहीन है उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है तहसीलों में पहले और जो किसान है उसका रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कराया जा सकता क्योंकि उसका खतौनी में नाम दर्ज है। सरकार दोनो का प्रीमियम जमा करती है एक पैसा भी उससे लिया नहीं जाता और 5 लाख रुपया सरकार उसका प्रीमियम देती है, 375 करोड़ रुपये का प्राविधान माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में किया है। दूसरी बात, अगर कहीं किसी किसान की मृत्यु दुर्घटना में हुई हो और उसको बीमे की रकम नहीं मिल रही हो तो आप मुझे अवगत करा दीजिएगा, सुनिश्चित रूप से दिलवा दिया जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रो0 शिवाकान्त ओझा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की समस्या को लेकर हमारे बहुत सारे मित्रों ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। सवाल जायज है और जनता पूछती भी है, कि बिजली कब मिल रही है लेकिन यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि दोषी कौन है इसके लिये। हम तो मात्र 11 महीने से सरकार में बैठे हैं, 11 महीने के भीतर कोई नये प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। मान्यवर, इसी सदन के भीतर माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछली बार बिजली की समस्या पर चर्चा करते हुए कहा था कि पूर्व सरकार, जिसके सदस्य सदन के भीतर से निकलकर चले गये, उन्होंने 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, वह हमारी सरकार पर कर्जा है। बिजली खरीद ली 10 हजार करोड़ की और एक पैसा नहीं दिया और उसकी पेमेन्ट करने के लिये बैंकों से भी 18 हजार करोड़ रुपया ले लिया, वह पैसा भी कहां गया। सब बुतों पर चला गया और पत्थरों पर चला गया और बिजली नियामक आयोग का जो अध्यक्ष बनाकर बैठाया गया था, वह इन्हीं के लोग बैठे हुये थे और जब कभी बिजली विभाग ने उसको ठीक करने की बात की तो यह लोग उसको ठीक करने नहीं देते थे। हम प्रयास करते रहे, नहीं कर पाये। बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नियामक आयोग के अध्यक्ष को हटाया और अब हम बिजली को रास्ते पर लाने का काम कर रहे हैं। हमारा ख्याल है कि महीने दो महीने के भीतर हम बिजली के मामले में जितना सरकार का वादा है, उसको पूरा करेंगे। इसके लिये हम नहीं दोषी वह हैं, गुनहगार वह हैं। उनकी सजा अभी हमको मत दीजिये, हमको समय दीजिये, हम उस काम को करने के लिये पूरी तरह तैयार हैं और हमारी सरकार उस काम को करने जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री हमारे बैठे हैं, हमारी सरकार के घोषणा-पत्र में था, समाजवादी पार्टी के घोषणा-पत्र में था, हम किसानों की सरकारी सिंचाई माफ करेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय सिंचाई मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि आपने नहर की सिंचाई माफ की, आपने सरकारी ट्यूबवेल की सिंचाई माफ की और मैं बधाई इसलिये भी देना चाहता हूं कि अभिभाषण में महामहिम ने इस बात का उल्लेख किया कि किसानों के लिये हम अलग से फीडर लगाने का काम करेंगे, जिससे किसानों को नियमित बिजली मिल सके। हमारी सरकार इस बात को महसूस करती है पिछली सरकार के समय बिजली का यह हाल हुआ करता था कि बिजली चली और किसान के खेत तक पानी पहुंचा नहीं, बिजली कट गयी। फिर किसान देख रहा है, फिर बिजली चली, किसान के खेत तक पानी पहुंचा नहीं और किजली कट गयी, इसलिये हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम किसानों के लिये अलग फीडर करेंगे जिससे कंटीनिवस बिजली चलती रहे और किसान के खेत में हम 12 घण्टा, 14 घण्टा, 18 घण्टा जितनी बिजली देगें ताकि किसान के खेत में बराबर पानी जाता रहे, जिससे किसान को कोई दिक्कत पैदा न होने पावे, वह भी काम हमारी सरकार करने जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कर्ज माफी करने का भी काम किया है, हमने वादा किया था समाजवादी पार्टी के मेनीफेस्टो के तहत। मैं अपने नौजवान मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं, 50 हजार रुपये कर्ज माफी का जो हमारा वायदा था, हम उस वायदे को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम उस वायदे को अवश्य पूरा करेगें और कर्ज माफी करने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। माघ मेला, कुम्भ मेला जिसकी सबने बहुत चर्चा की, हमने भी शुरूआत में उसकी चर्चा की थी। कुम्भ मेले में हमारी सरकार जितना कर सकती थी, हम कई कुम्भों के चश्मदीद गवाह हैं, बगल

जिले के रहने वाले भी हैं और एक नहीं, कई लोगों ने जो हमारे विरोधी भी होते हैं, जो हमारी आलोचना भी किया करते थे, वह इस बात को बराबर कहे हैं कि अबकी बार जो सरकार आई है, जिसने एक-एक पुलिया तक, एक-एक झोपड़ी तक, एक-एक टेन्ट तक गैस देने का काम, मिट्टी का तेल देने का काम और चीनी मुहैया कराने का काम किया। कोई किल्लत नहीं थी, जो जितना चाहे उतना ले सकता था और मैं तो यह भी जानता हूं कि बहुत से लोग तो घर ले करके आये हैं उस मिट्टी के तेल और चीनी को और कहा कि माघ मेले से ले करके आये हैं, मान्यवर, ऐसा इन्तजाम करने का काम किया था हमारी सरकार ने बधाई हो आपको। कुम्भ के अन्तर्गत माननीय पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर बैठे हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं माननीय आजम खां उसके सर्वे-सर्वा थे। कितना अच्छा इन्तजाम सड़कों का कितना अच्छा इन्तजाम स्वास्थ्य का था, अगर आप गये होते, आपके परिवार के लोग गये होते तो आपने महसूस किया होता कि कितनी साफ-सफाई और कितना अच्छा इन्तजाम हमारी सरकार ने किया था। हम लोग तो हो आये, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात कह कर बात समाप्त करना चाहूंगा आरक्षण के मुद्दे पर। कितना बड़ा सवाल है, मैं इन लोगों से भी पूछना चाह रहा हूं जो हमारे पुराने साथी विपक्ष में बैठे हैं, इन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर प्रमोशन में आरक्षण करने की बात की वह चले गये नहीं तो मैं उनसे पूछता कि क्या हुआ तुम्हारे नारे का, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया था ना। क्या हुआ, तुम्हारे नारे में सभी के हित की बात सम्मिलित थी और जब उनके बेटे बेटियों के सम्मान का सवाल खड़ा हुआ, उनके बेटे-बेटियों को रोजी-रोटी का सवाल पैदा हुआ तो आपने कह दिया आरक्षण में प्रमोशन उसी का होगा जो हमारी जाति का होगा, बिरादरी का होगा। विशेष जाति बिरादरी के आधार पर प्रमोशन का हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं आप लोग भी अपनी बात को स्पष्ट जरूर कीजिएगा हमने तो राज्य सभा में स्पष्ट किया और लोक सभा में भी स्पष्ट किया, जनता इस बात को जरूर आपसे पूछेगी कि आप बताओ कि आरक्षण में आपका क्या रुख है, आप क्या चाहते हो प्रमोशन में आरक्षण दिया जाय या नहीं दिया जाए। आप अपनी नीतियों का खुलासा क्यों नहीं करते हैं, हमने तो खुलासा किया, राज्य सभा के भीतर भी खुलासा किया है लोक सभा में भी खुलासा किया है और बात बहुत साफ कह दी गई है हमारी पार्टी की ओर से हमारे नेता की ओर से कि हम नौकरी की शुरूआत में आरक्षण के हिमायती है उसके विरोधी नहीं है बल्कि समर्थक है लेकिन नोकरी मिल जाने के बाद सबको बराबर इज्जत है, सबको योग्यता और क्षमता के आधार पर प्रमोशन का अधिकार है। आप लोग क्या करना चाहते हो नारा सत्ता के लिए देते हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देते हो और जब सर्वजन के हित का सवाल पैदा होता है, जब सर्वजन के सुख का सवाल पैदा होता है तो कहते हो यह सम्भव नहीं हो सकता है, यह दोतरफा चेहरा खुलेगा, सब उजागर होगा और जनता सबसे सवाल पूछेगी। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष और विपक्ष के जो भी सम्मानित सदस्यों ने, दलों के नेताओं ने अपने विचार रखे, उनमें जितने भी रचनात्मक सुझाव हैं, हमारी सरकार उन सुझावों को स्वीकार करने और उन पर अमल करने का प्रयत्न करेगी लेकिन हम साथ में यह भी निवेदन करेंगे कि हमने जो रखा है जनता के हित में रखा है, उत्तर प्रदेश की महान जनता की सेवा में रखा है उस महान जनता के साथ किसी प्रकार का भेदभाव, किसी तरह का विश्वासघात, किसी तरह का धोखा आप भी मत कीजिएगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद् प्रस्ताव में माननीय नेता विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-1-महाकुम्भ इलाहाबाद हादसे के दोषियों को सजा दिलाने के सम्बन्ध में। 2-महाकुम्भ की न्यायिक जांच कराने के सम्बन्ध में। 3-कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरस्त करने के सम्बन्ध में। 4-भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में। 5-गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये व दलाल पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इन संशाधनों को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

[6-महिलाओं के यौन-शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की कार्य योजना के सम्बन्ध में,

7-हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार, अपहरण-फिरौती जैसे जघन्य अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण को रोकने के सम्बन्ध में,

8-ब0स0पा0 कार्यकर्ताओं पर लगाये जा रहे फर्जी मुकदमें पर रोकथाम लगाये जाने के सम्बन्ध में,

9-बुनकरों को किसानों की भांति फिक्स रेट पर विद्युत दिये जाने, सस्ती दर पर धागा उपलब्ध कराये जाने, पावरलूमों को बीस घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

10-किसानों के धान एवं गेहूं खरीद में हुई अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,

11-प्रदेश में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तावित करने के सम्बन्ध में,

12-समुचित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

13-ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

14-नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में,

15-प्रदेश में उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या के सम्बन्ध में,

16-सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में,

17-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित करने के सम्बन्ध में,

---

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

18-किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे स्थानान्तरण से प्रभावित हो रहे काम-काज के सम्बन्ध में,

19-बेघर और बेसहारा लोगों को बसाने और उन्हें अच्छी जिन्दगी गुजारने की गारन्टी देने के सम्बन्ध में,

20-बेरोजगारी भत्ता समाप्त कर बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

22-नकली दवाइयों की खरीद फरोख्त रोकने के सम्बन्ध में,

23-बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को समाज का नासूर मानते हुए इस जमीनी हकीकत में पाबन्दी लगाने के सम्बन्ध में,

24-गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने तथा गन्ना किसानों की जीवन्त समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में,

25-प्रदेश के गरीब लड़कियों की शादी के अनुदान की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

26-किसानों के गेहूं की खरीददारी सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

27-सरकारी निगमों को पुनर्जीवित करने एवं कर्मचारियों की छटनी को रोकने के सम्बन्ध में,

28-प्रतिपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न रोके जाने के सम्बन्ध में,

29-सभी प्रमुख उद्योगों का प्रदेश से पलायन एवं प्रस्तावित योजनाओं को रोके जाने के सम्बन्ध में,

30-प्रदेश में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव के सम्बन्ध में,

31-गन्ना क्रय अधिनियम का घोर उल्लंघन एवं माफियाओं द्वारा गन्ना कृषकों के शोषण के सम्बन्ध में,

32-प्रदेश सरकार की तुष्टिकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव के सम्बन्ध में,

33-कन्या विद्या धन योजना के निष्पक्ष व निश्चित मानक लागू कर सर्वसमाज के गरीब बालिकाओं तक योजना को पहुंचाने के सम्बन्ध में,

34-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने एवं ग्रामीण अंचलों के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में,

35-पिछड़े वर्ग हेतु क्रीमी लेयर आय सीमा 05 लाख रुपये तक बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

36-किसानों को खाद बीज व पानी समय पर उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

37-छात्र यूनियन को समाप्त करने के सम्बन्ध में,

38-प्रदेश की वित्तीय कु-व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

39-विधान सभा द्वारा पारित गत बजट को अब तक खर्च न कर पाने के सम्बन्ध में,

40-गरीबों की जमीन व घरों पर हो रहे अवैध कब्जा रोकने के सम्बन्ध में,

41-दंगा रोकने, दंगाइयों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित कराने की कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में,

42-सौहार्द व भाईचारा बनाये रखने के सम्बन्ध में, तथा

43-सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में।'']

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ी हैरत की बात है कि एक ऐसे राजनैतिक दल ने कुम्भ और उसकी आस्था से अपने आपको जोड़ा है, जिनकी नेता ने कभी यह कहा था कि लोग देवी-देवताओं पर प्रसाद क्यों चढ़ाते है, पैसा क्यों चढ़ाते हैं, जेवरात क्यों चढ़ाते हैं, मैं हूं तो जिन्दा देवी। मेरे ऊपर चढ़ाया करें। उनके अन्दर गंगा जी के लिए, यमुना के लिए आस्था हुई है, कुम्भ के लिए आस्था हुई है यह बात हैरत की तो लगती है या यह जो मांग की गई है यह भी उसी तरह का ढोंग है जिस तरह से गन्ना किसानों की हमदर्दी ढोंग है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को अधिकृत कर दीजिए इस प्रसाद को चढ़ाने के लिए।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

आप थे कहां ? आप भोजन करने गए थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किए हैं उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधनों के प्रस्ताव भी जो उपस्थित किए हुए माने गए हैं अस्वीकृत समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 'यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 14 फरवरी, 2013 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में लागू जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के प्रदेश की छावनी परिषदों में भी लागू किये जाने विषयक संकल्प पर जारी चर्चा

श्री अध्यक्ष-

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी उपस्थित नहीं हैं इन्होंने न तो कुछ लिखकर दिया है न ही किसी को अधिकृत किया है इसलिए इनका संकल्प व्यपगत माना जाय।

जनपद वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जलमल मुक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किये जाने विषयक संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

श्री श्याम देव राय चौधरी जी के संकल्प पर चर्चा जारी है आप चर्चा करें।

*श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी, वाराणसी से और अन्य स्थलों से जहां से गंगा गुजरती है जिनको हम बड़ी आस्था और विश्वास के साथ देखते भी हैं और यह मानते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका महत्व है। ऐसी गंगा दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है उनका जो प्रवाह है वह घटता जा रहा है इसलिए मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चर्चा को जारी रखें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश के महानगरों की उपनगरीय क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनंसख्या को दृष्टिगत रखते हुए उपनगरीय क्षेत्र के निवासियों को भी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने विषयक संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

महाना जी आप भी अपनी चर्चा जारी कर दें।

* श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं एक बात कहकर चर्चा जारी करने का निवेदन करूंगा मैंने यह संकल्प रखा था कि महानगरों की उपनगरीय क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उपनगरीय क्षेत्र के निवासियों को भी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराई जायं। मान्यवर, मैं इस पर बाद में विस्तार से चर्चा करूंगा अभी आपने कहा कि इस पर संक्षिप्त में अपनी बातें रखें। इसी सम्बन्ध में मैंने नियम-301 में सूचना दी थी पिछली विधान सभा में यह सूचना दी थी उस पर माननीय नगर विकास मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब आया है इन्होंने जवाब दिया है 'इस सम्बन्ध में अवगत कराना है आवास एवं शहरी नियोजन के पत्र संख्या का भी उल्लेख है उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण को नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्गत कर दिया गया है। मान्यवर, आपने जो इस पत्र का रेफरेंस दिया था मैंने विभाग के उस पत्र को भी निकलवाया था उसमें भी केवल इतना लिखा हुआ है इसके लिए आप आवश्यक कार्यवाही करें। मैं इतनी बात कहकर उस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। माननीय नगर विकास मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जब तक आप इसके ऊपर कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं करेंगे जब भी समय हो विधान सभा के सत्र के बाद जब भी आप उपयुक्त समय समझते हों। एक बार इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लें शायद कोई रास्ता निकल आये क्योंकि बड़े क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग उन परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर होने पड़ रहे हैं। शायद कोई रास्ता निकल आये, शहरों का डेवलपमेन्ट भी हो जाए, लोगों को सुविधायें भी मिल जाएं और सरकार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का एक बहुत बड़ा सकारात्मक सहयोग होगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने जो आपसे और माननीय नगर विकास मंत्री जी से निवेदन किया। जब भी समय हो, विधान सभा सत्र के दौरान या उसके बाद इसके बारे में बैठेंगे एक बार चर्चा करेंगे तो कृपा होगी।

प्रदेश के गरीब व मध्यम वर्ग के रोगियों की जीवन रक्षा के लिये मण्डल स्तर पर एम्स के समान सुविधायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना प्रदेश सरकार द्वारा अपने संसाधनों से करने विषयक संकल्प (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

माननीय बाजपेयी जी हैं ? बाजपेयी जी उपस्थित नहीं हैं।

कुंवर भारतेन्द्र-

मान्यवर, इसको आ जाने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप अनुमति दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

जब मा0 बाजपेयी जी हैं ही नहीं तो कैसे प्रस्तुत हो सकता है। यह संकल्प व्यपगत हो गया।

ठा0 सूरजपाल सिंह-

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में खारे पानी की समस्या के निराकरण हेतु पेयजल की उपलब्धता के लिये पाइप वाटर सप्लाई योजना लागू करने विषयक संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

डा0 धर्मपाल सिंह-

जनपद आगरा की पेयजल समस्या के समाधान हेतु सिंचाई विभाग द्वारा गंगा नदी का जल बल्देव रजबहा एवं पचावर ड्रेन के माध्यम से गोकुल बैराज के डाऊन स्ट्रीम में छोड़े जाने विषयक संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-12, 13 स्थगित।

[2.46 बजे] शासन की 'हमारी बेटी, उसका कल' योजनान्तर्गत प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) के परिवार की प्रत्येक बालिका को रु0 30,000/- की धनराशि प्रदान करने विषयक संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-14 श्री सतीश महाना जी पुनः आपका संकल्प है, इसे प्रस्तुत करेंगे ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, प्रस्तुत कर देते हैं, चर्चा बाद में होती रहेगी। मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :-

''इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि शासन की 'हमारी बेटी, उसका कल' योजनान्तर्गत प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) के परिवार की प्रत्येक बालिका को रु0 30,000/- की धनराशि प्रदान की जाए।''

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर चर्चा जारी रहेगी।

[2.50 बजे] जनपद आगरा महानगर में यातायात की सुगमता हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही, जनपद आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई, जनपद आगरा महानगर के ऐतिहासिक महत्ता के दृष्टिगत आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने के लिये प्रभावी कार्रवाई करने विषयक डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 15 जून, 2012 को नियम-301 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-15 स्थगित है।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

दिनांक 22 फरवरी, 2013 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 54 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें पहली सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की नवसृजित जनपद शामली में वकीलों के लिए चैम्बरों की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। दूसरी सूचना श्री सुरेश राणा की जनपद-शामली के थाना भवन में सहारनपुर-दिल्ली राजमार्ग के निकट जनता धर्मशाला की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को रोके जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। तीसरी सूचना श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्या की प्रदेश में मा0 कांशीराम शहरी आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये भवनों पर अध्यासियों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। चौथी सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की जनपद कौशाम्बी के यमुना नदी के जोगापुर के पम्प कैनाल परियोजना के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। पांचवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत गोमती नदी के सत्थिन घाट पर निर्माणाधीन सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। छठी सूचना डा0 अरुण कुमार की जनपद-बरेली के कतिपय ध्वस्त हो चुके जर्जर मार्गों एवं जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। सातवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट' की जनपद-मथुरा की मुख्य सड़क, मथुरा से सादाबाद जाने वाले मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। आठवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद-रामपुर के टाउन एरिया केमरी में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। नौवी सूचना श्री प्रदीप माथुर की माननीय विधायकों के विवेकाधीन कोष से पूर्व की भांति शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प लगवाये जाने की व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। दसवीं सूचना श्री ललितेशपति त्रिपाठी की जनपद-मिर्जापुर के जिला सहकारी बैंक लि0 के चुनाव में मतदाता सूचियों से कतिपय सहकारी समितियों के नाम हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। ग्यारहवीं सूचना श्री केशव प्रसाद मौर्य की जनपद कौशाम्बी के लेहदरी घाट में गंगा जी पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। बारहवीं सूचना श्री राकेश बाबू की जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा टूण्डला में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत कराये गये ग्रामों में विद्युतीकरण के कार्य को ठेकेदार द्वारा अधूरा कार्य छोड़ देने से उत्पन्न जनता की समस्या के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। तेरहवीं सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के निर्वाचन क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत द यूनाइटेड शुगर कम्पनी सेवरही किसानों को गन्ने बकाये का तत्काल भुगतान एवं पर्ची अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। चौदहवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर की वेब चीनी मिल द्वारा किसानों का गन्ना न खरीदे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। पन्द्रहवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गौतमबुद्ध नगर नोएडा में हड़ताल के दौरान हुई गम्भीर घटनाओं में निर्दोष लोगों को जेल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। सोलहवीं सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की जनपद गोरखपुर के वि0 ख0 सरदारनगर के अन्तर्गत सरैया शुगर मिल प्रा0 लि0 द्वारा गन्ना किसानों के बकाया धनराशि का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। सत्रहवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र बिन्द की जनपद मिर्जापुर के वि0 स0 क्षेत्र मंझवा के अन्तर्गत टाउन एरिया कछवां में मात्र 4-5 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। अट्ठारवीं सूचना श्री दीपक पटेल की विधान सभा क्षेत्र करछना इलाहाबाद के ग्राम तेंदुआवन में प्रजापति, यादव व आदिवासी जाति के लोगों को स्थानीय दबंगों द्वारा परेशान किये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। उन्नीसवीं सूचना श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भईया की जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम चन्द्रासाकला, परगना फिरोजाबाद, तहसील धौरहरा द्वारा किये गये भूमि आवंटन प्रस्ताव की पत्रावली के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। बीसवीं सूचना श्री गेंदालाल चौधरी की जनपद-हाथरस (महामायानगर) में अलीगढ़-आगरा रोड पर फ्लाई ओवर बनाये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। इक्कीसवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली में मिनी स्टेडियम खोले जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। बाइसवीं सूचना श्री राधेश्याम की जनपद सुल्तानपुर में स्थापित पानी के टंकी से तत्काल पानी की सप्लाई कराये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

1-श्री अमरपाल शर्मा,

2-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले),

3-श्रीमती सीमा,

4-श्री सतीश महाना,

5-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

6-श्री जियाउद्दीन रिजवी,

7-श्री अवस्थी बाला प्रसाद,

8-श्री विजय कुमार दुबे,

9-श्री गोरख पासवान,

10-श्री रामचन्द्र चौधरी,

11-श्री बृजेश कुमार,

12-श्री संत प्रसाद,

13-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

14-श्री विजय बहादुर यादव,

15-श्री हुकुम सिंह,

16-श्री रविन्द्र भड़ाना,

17-श्री प्रमोद तिवारी,

18-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,

19-श्री धर्मपाल सिंह,

20-श्री राधेश्याम जायसवाल

21-श्री अगयश रामसरन वर्मा,

22-श्री जय प्रकाश अंचल,

23-श्री उमेश पाण्डेय,

24-श्री भीम प्रसाद सोनकर,

25-सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति,

26-श्री अनीसुर्रहमान,

27-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप,

28-श्रीमती सावित्री बाई फूले,

29-श्री जगराम पासवान,

30-श्री सुरेश बंसल,

31-श्रीमती रूबी प्रसाद तथा

32-श्री काली चरन सुमन।

जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गन्ना आयुक्त द्वारा स्वीकृत मौजमपुर व सादुल्लापुर में गन्ना क्रय केन्द्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लिखित किया गया है कि गढ़मुक्तेश्वर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम माधापुर मौजमपुर.....

राजस्व, आभाव, सहायता पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[सादुल्लापुर में नगलामल चीनी मिल को गन्ना खरीदने हेतु दो क्रय केन्द्र स्वीकृत किये गये थे। सिम्भावली शुगर मिल के दबाव में आकर इन क्रय केन्द्रों को बन्द करा दिया गया जिससे गन्ना किसानों के सामने भारी संकट खड़ा हो गया। यहां तक कि गन्ना किसानों ने अपनी खड़ी गन्ने की फसल में आग लगा दी है। दोनों ग्रामों के गन्ना कृषक ग्राम-माधापुर व सादुल्लापुर संकट में हैं।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गन्ना आयुक्त के सुरक्षण आदेश दिनांक 29-10-2012 द्वारा क्रय केन्द्र माधापुर द्वितीय एवं सादुल्लापुर द्वितीय नगलामल शुगर मिल मेरठ को अभ्यर्पित किये गये। उक्त सुरक्षण आदेश के विरुद्ध सिम्भावली शुगर मिल द्वारा शासन में प्रस्तुत अपील पर शासन के आदेश दिनांक 11-12-2012 द्वारा उक्त क्रय केन्द्रों को सिम्भावली शुगर्स लि0 सिम्भावली जनपद हापुड़ को अभ्यर्पित कर दिया गया। पुनः ग्राम-माधापुर व सादुल्लापुर के किसानों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर विचार करते हुए शासन के आदेश दिनांक 20-12-2012 द्वारा किसानों के गन्ने की खरीद हेतु उक्त ग्रामों में एक नया अलग क्रय केन्द्र खोले जाने के आदेश निर्गत किये गये, जिसके विरुद्ध सिम्भावली चीनी मिल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन ने अपने आदेश दिनांक 23-01-2013 द्वारा पूर्व के आदेश दिनांक 20-12-2012 को निरस्त करते हुए पूर्व में निर्गत आदेश दिनांक 11-12-2012 को प्रभावी रखा गया है।]

श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसमें एक जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मदन चौहान जी, इसमें सवाल नहीं पूछना है, केवल वक्तव्य है, आप बैठ जाइये।

जनपद शामली अन्तर्गत श्री रामेन्द्र पुत्र श्री अमन सिंह की हत्या करने वालों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2013 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह कहा गया है कि रामेन्द्र पुत्र श्री अमन सिंह ग्राम भज्जू थाना भोरा जनपद शामली, मुजफ्फरनगर का निवासी है .....

राजस्व, अभाव, सहायता पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[12 फरवरी, 2013 प्रातः 6 बजे लकड़ी लेकर जा रहा था कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इसका मर्डर कर दिया गया। थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफ0आई0आर0 करा दी गयी थी। परन्तु पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। कानून की बिगड़ती हुई व्यवस्था से जनता में आक्रोश व्याप्त है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-उक्त प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भौराकलां पर श्री रिसाल सिंह पुत्र श्री गेंदा सिंह निवासी ग्राम भाजू थाना भौराकलां, जनपद शामली ने सूचना दी कि उसका भाई रामेन्द्र सिंह उम्र 45 वर्ष जो किसान का कार्य करता था तथा अपनी आजीविका चलाने के लिये खेत में लकड़ियां काटता था दिनांक 12-2-13 को प्रातः 5.30 बजे ट्रैक्टर ट्राली में लकड़ी भरकर अपने गांव भाजू से मण्डी शामली के लिए चला था।

3-शामली रोड पर गांव भाजू व आदमपुर के बीच सड़क पर अज्ञात लोगों द्वारा समय करीब प्रातः 6.00 बजे गोली मारकर व किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर शव सड़क के किनारे खाई में डाल दिया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना भौराकलां पर मु0अ0सं0-29/13 धारा-302, 201 भा0द0वि0 अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष भौराकलां द्वारा की जा रही है। घटना स्थल का निरीक्षण तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक अपराध, उप जिलाधिकारी शामली, क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना द्वारा किया गया और घटना को गम्भीरता से लेते हुए विधि विज्ञान प्रयोगशाला की वैज्ञानिक टीम एवं डाग स्क्वायड से भी घटना स्थल का निरीक्षण कराया गया।

4-घटना का अनावरण किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न गांवों के 20-25 व्यक्तियों से वार्ता की गयी है और अन्य ग्रामीणों से वार्ता की जा रही है। घटना का अनावरण करने हेतु संवेदनशीलता के साथ हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु 5 टीमें गठित की गयी हैं। प्रथम टीम श्री शैलेन्द्र लाल क्षेत्राधिकारी, बुढ़ाना के नेतृत्व में, द्वितीय टीम थानाध्यक्ष भौराकलां के नेतृत्व में, तृतीय टीम उपनिरीक्षक श्री सचिन मलिक, प्रभारी एस0ओ0जी0 के नेतृत्व में, चतुर्थ टीम श्री सतीश राय थानाध्यक्ष फुगाना के नेतृत्व में तथा पंचम टीम उपनिरीक्षक श्री कुलदीप सिंह एस0ओ0जी0 के नेतृत्व में गठित की गयी है। तत्कालीन थानाध्यक्ष भौराकलां को हटाकर नये थानाध्यक्ष की नियुक्ति की गयी है। घटना का अनावरण किये जाने हेतु अनवरत हरसंभव सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।]

*श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस घटना को लगभग दस दिन हो गये, बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी इसलिए इसको मैं सदन के संज्ञान में लाया था। जो वक्तव्य आया है उसमें लिखा हुआ है कि थानाध्यक्ष को हटा दिया गया है। पहले तो मैं यह जानकारी दे दूं कि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थानाध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी, वह बीमार था इसलिए उसे हटाया गया है। अध्यक्ष जी, दस दिन हो गये आज तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हो पायी। मेरा अनुरोध है कि इसके लिए कोई सख्त निर्देश देने का कष्ट करें।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में रोडवेज का बस अड्डा बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद रामपुर की तहसील-बिलासपुर में परिवहन .....

राजस्व, अभाव, सहायता पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है। अब यह कुछ पूछेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह कुछ नहीं पूछेंगे। हम मिलकर कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

तो किस लिये यह सवाल लगाये। बेकार के लिये सरकार का इतना पैसा खर्च हुआ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[निगम को कोई बस स्टेशन नहीं है। वर्तमान में निगम बसें पुराने चिकित्सालय भवन से संचालित हो रही हैं। प्रश्नगत भू-सम्पत्ति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश की है, जिस पर एक पुराना अस्पताल निर्मित है। यह सम्पत्ति जिलाधिकारी, रामपुर द्वारा निगम को बस संचालन कार्य हेतु सुलभ कराया गया है। यह स्थान रामपुर नैनीताल मार्ग में उत्तराखण्ड की सीमा पर पड़ता है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-87 पर स्थित है। यातायात की स्थिति को देखते हुए परिवहन निगम द्वारा यहां एक बस स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्नगत भूमि को 30-30 वर्ष के पट्टे पर कुल 90 वर्ष की अवधि के लिए दिये जाने हेतु राजस्व विभाग ने भूमि का मूल्य तथा पूंजीगत मूल्य जिलाधिकारी, रामपुर के माध्यम से राजकोष में जमा करने की अपेक्षा की थी। जिलाधिकारी, रामपुर द्वारा उक्त भूमि का मूल्यांकन रु0 4.74 करोड़ किया गया है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण परिवहन निगम ने उक्त भूमि को निःशुल्क उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

बिलासपुर में बस स्टेशन स्थापित करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी संज्ञान में आया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग-87 के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए बाईपास बनाने के उद्देश्य से एक परियोजना तैयार की गयी है जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है। अतः इस बात का परीक्षण आवश्यक है कि नगर में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की दृष्टि से और नगर के सुनियोजित विकास की दृष्टि से बिलासपुर में बस अड्डे की स्थापना प्रस्तावित बाईपास के आस-पास की जाये। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कई नगरों में बाईपास बनाने के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा इस बात पर जोर दिया जाता है कि परिवहन निगम शहर के बीच स्थित अपने बस अड्डों को बाईपास पर स्थानान्तरित करे। इस बिन्दु का परीक्षण करने के लिये परिवहन निगम मुख्यालय के अधिकारियों की एक समिति गठित की गयी थी। समिति द्वारा राजस्व विभाग की उपर्युक्त भूमि को बस स्टेशन के लिए उपयुक्त पाया है लेकिन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण परिवहन निगम द्वारा उक्त मूल्यांकित धनराशि रु0 4.74 करोड़ जमा नहीं की जा चुकी है जिसके फलस्वरूप विषयगत भूमि पर बस स्टेशन का निर्माण नहीं हो पा रहा है।]

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-20 पुकारे जाने पर)

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, मेरी बात का जवाब नहीं आया। मैंने कहा है कि इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इसको दिखवा लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

हो गई आपकी बात आ गई है और मंत्री जी ने सुन लिया है।

जनपद बलिया स्थित सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन से गोपालनगर तक जाने वाले मार्ग पर बने जर्जर पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश अंचल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में स्थित .....

राजस्व, अभाव, सहायता पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(श्री अंचल के प्रश्न करने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अंचल जी अरे बस हो गया, इसमें आप कुछ पूछ नहीं सकते। केवल वक्तव्य है। पढ़ लो इसको, इसमें कुछ गलत होगा तो लिखना।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अच्छा ऐसा है यहां का आश्वासन काफी गम्भीरता से लिया जाता है। इस मामले को दिखवा लेंगे और खासतौर से दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

चलिये हो गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[सुमेरनपुर रेलवे स्टेशन से गोपाल नगर तक जाने वाले मार्ग पर बने बाबा बालक दास सेतु के जर्जर हो चुका है। जिले स्तर की तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा जांच करके पुल को रिजेक्ट कर पुनः बनाये जाने की सिफारिश की गई है। जर्जर पुल से कभी भी कोई अप्रिय घटना होने तथा आवागमन में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने तथा पूर्व में कराये गये घटिया कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य दिये जाने की मांग की गई है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि संदर्भगत पुल की डिजाइन में तकनीकी कमियों के कारण अधिक बाढ़ आ जाने से सेतु का पहुंच मार्ग, बैक वाल एवं विंग वाल आदि क्षतिग्रस्त हो गई जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी, बलिया द्वारा जांच संस्थित की गई। उक्त जांच के क्रम में जांच समिति द्वारा तकनीकी कमियां दूर कराने एवं प्रश्नगत पुल के निर्माण व पहुंच मार्ग के स्थानीय एवं भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत डिजाइन बनाकर निर्माण कार्य न कराने के लिये सम्बन्धित दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं क्षतिपूर्ति वसूलने का सुझाव दिया गया, जिसे जिलाधिकारी, बलिया के पत्र दिनांक 02-09-10 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, सेतु निगम को संसूचित किया गया। तत्क्रम में प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम के पत्र दिनांक 25-6-12 के क्रम में श्री पी0के0 सिंह, हेड आफ द डिपार्टमेन्ट सिविल इन्जीनियरिंग आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 से तकनीकी राय ली गई है। उक्त तकनीकी राय के अनुक्रम में नये सेतु के निर्माण की लागत लगभग रु0 780.00 लाख आयेगी, जिसकी स्वीकृति राज्य के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

पुल के क्षतिग्रस्त होने के लिये दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करने हेतु उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम, लखनऊ (मुख्यालय) के पत्र दिनांक 15-10-12 द्वारा जांच समिति गठित की गई है, जिसकी कार्यवाही प्रगति पर है।]

जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत ग्रामों में पेयजल की समस्या को देखते हुए शहरी बोरिंग वाले इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र बिन्द द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(मद संख्या-21 पर माननीय सदस्य श्री रमेश चन्द्र बिन्द का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष-

इसमें माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। अतः यह व्यपगत हो गया।

जनपद वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल अनापूर्ति तथा दूषित जलापूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(मद संख्या-22 पर माननीय सदस्य श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

इसमें माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। अतः यह व्यपगत हो गया।

जनपद आगरा के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के खराब पड़े टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट योजना के अन्तर्गत टंकियों की मरम्मत कराकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह मद माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित है।

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज में सई नदी पर पथरिया रोहाड़ा घाट एवं गुलरिया घाट (उद्धापुर) पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(मद संख्या-24 पर माननीय सदस्य श्री प्रमोद तिवारी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष-

इसमें माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। अतः यह व्यपगत हो गया।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के सीमावर्ती क्षेत्र भाण्डेर रोड से खजूरी तक के सम्पर्क मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(मद संख्या-25 पर माननीय सदस्य श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष-

इसमें माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। अतः यह व्यपगत हो गया।

अब हम उठते हैं। दिनांक 26 फरवरी, 2013 को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 57 मिनट पर मंगलवार दिनांक 26 फरवरी, 2013 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 22 फरवरी, 2013

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 35 विधान सभा (75)-12-06-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।